लोक-सभा

शनिवार,
२५ सितम्बर, १९५४

वाद विवाद

Chamber Lib. 18/X/23

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

खंड ७, १९५४

(१३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र
१९५४

विषय-सूची

खंड ७—१३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५४

सोमवार १३ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
सभा का कार्य	१२९३—१२९५, १३००—१३०७
स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ते में गोवध-विरोधी प्रदर्शनकारियों पर लाठी व अश्रु गैस का प्रयोग	१२९५–१२९६
पटल पर रखे गये पत्र—	
बिजली के पीतल के लैम्प होल्डर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प	१२९६
परिरक्षित फल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि.	१२९६–१२९७
शीशे की चादरें बनाने के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि	१२९७
साइकिल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि	१२९७–१२९८
सुरमा उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना .	१२९८
रूई तथा बालों के पट्टे के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना	१२९८–१२९९
कोको पाउडर और चाकलेट उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना	१२९९–१३००
विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण . . .	१२९९–१३००
१९५४–५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—प्रस्तुत की गई .	१२९९
भारत में बाढ़ की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित	१३०८–१३०९
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपा गया	१३०९–१३११
विशेष विवाह विधेयक—खण्डवार विचार—असमाप्त . . .	१३१२–१३७६

मंगलवार, १४ सितम्बर १९५४

विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . .	१३७७–१४६६

बुधवार, १५ सितम्बर १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें .	१४६७
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ . .	१४६८
भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ . .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (यात्रा भत्ता) नियम, १९५४ . .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा सुविधा) नियम, १९५४ .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (प्रतिकर भत्ता) नियम, १९५४. .	१४६८
भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) नियम, १९५४. . .	१४६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन	१४६८–१४६९
समिति के लिये निर्वाचन—नारियल जटा बोर्ड . . .	१४६९
चन्द्रनगर (विलय) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . .	१४६९
विशेष विवाह विधेयक—खण्डवार विचार—असमाप्त . .	१४६९–१५५३
रेलवे प्लेटफार्मों पर रूसी प्रकाशनों की बिक्री . . .	१५५३–१५६४

बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन तथा भारतीय पुलिस सेवा) वेतन नियम १९५४ का परिशिष्ट	१५६५
राज्य-सभा से सन्देश	१५६५–१५६६
तारांकित प्रश्न संख्या २३२३—क के उत्तर की शुद्धि . .	१५६६
संयुक्त समिति के लिये सदस्यों का नामनिर्देशन संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत नियम बनाने के लिये संयुक्त समिति	१५६७
सदस्य की दोष-सिद्धि	१५६७
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—पुरःस्थापित	१५६८
विशेष विवाह विधेयक—संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५६८–१६५८

शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका की सूचना दी गई	१६५९
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४—सम्मतियां प्राप्त हुई . . .	१६६०

दहेज निषेध विधेयक तथा दहेज का निषेध विधेयक—याचिका उपस्थापित की गई . . . . . स्तम्भ १६६०

बैंकों की अपीलों पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के आदेश के सम्बन्ध में वक्तव्य . . १६६१

विशेष विवाह विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . १६६१–१७०८, १७१८-१७२०

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक —विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १७०९–१७१८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के साठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . . १७२०–१७२६

भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . १७२६

काजी विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . . . १७२७

अत्यावश्यक वस्तु (अस्थायी शक्तियां) संशोधन विधेयक, १९५४—वाद-विवाद स्थगित हुआ १७२८–१७४०

बनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक, १९५४—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त . . . १७४१–१७७२

शनिवार, १८ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

समुद्र–सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . १७७३

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक—पारित . . १७७३–१८५३

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, १९५४—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १८५३–१८६०

सोमवार, २० सितम्बर १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १८६१–१८६२

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग, भारत, अंतिम आदेश संख्या १६, दिनांक ३० अगस्त, १९५४ . . . . . १८६२–१८६३

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित १८६३

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव—स्वीकृत १८६३

स्थगन प्रस्ताव—

लाजपत नगर में विस्थापित व्यक्तियों पर लाठी चार्ज . . १८६४–१८६५

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक–पारित . १८६५–१९११

चन्द्रनगर (विलय) विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . १९११–१९३९

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १९३९–१९५४

मंगलवार, २१ सितम्बर १९५४

स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

लाजपत नगर में नीलाम के अवसर पर कथित लाठी चार्ज १९५५–१९५७

पटल पर रखे गये पत्र—

सीमेन्ट सम्बन्धी औद्योगिक समिति के दूसरे सत्र की कार्यवाही का सारांश १९५७

विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण १९५७–१९५८

भारत के औद्योगिक वित्त निगम का छठा वार्षिक प्रतिवेदन . १९५८

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित १९५८–१९७६

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—असमाप्त १९७६–२०५८

बुधवार, २२ सितम्बर १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . . . २०५९

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—पारित . २०५९–२१२४

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव (चर्चा असमाप्त) २१२४–२१६६

बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखा गया पत्र—

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी प्रवरस मिति के सामने दिये गये साक्ष्य २१६७

राज्य-सभा से सन्देश २१६७–२१६८

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, पटल पर रखा गया . . २१६८–२१६९

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—पारित . . . २१६९–२२३१

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—विचार करने तथा, परिचालित करने के प्रस्तावों पर चर्चा—असमाप्त . . २२३१–२२४४

शुक्रवार, २४ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

भेषजीय जांच समिति का प्रतिवेदन २२४५

	स्तम्भ
उन मामलों के विवरण जिन में भारतीय भंडार विभाग ने न्यूनतम राशि के प्राक्कलन पत्र (टेंडर) स्वीकार नहीं किये थे .	२२४५–२२४६
स्थगन प्रस्ताव——	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	२२४६–२२४८
लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान दिलाना—इस्पात संयंत्र के बारे में रूस का प्रस्ताव	२२४८–२२४९
रेलवे बोर्ड के पुनर्निर्माण और पुनः संगठन के बारे में वक्तव्य .	२२४९–२२५१
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक——विचारार्थ प्रस्ताव—स्वीकृत	२२५१–२३११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . .	२३१२
बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . .	२३१३–२३२१
हिन्दी विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प——अस्वीकृत .	२३२१–२३५२
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—असमाप्त	२३५२–२३६६

शनिवार, २५ सितम्बर १९५४

पटल पर रखे गये पत्र——	
दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग २) . .	२३६७
दामोदर घाटी निगम जांच समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय	२३६७–२३६८
राज्य सभा से सन्देश	२३६८
समिति के लिये निर्वाचन—लोक-लेखा समिति . . .	२३६९–२३७०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पारित . .	२३७०–२४०५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित	२४०५–२५०४

सोमवार, २७ सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश	२५०५
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित	२५०५
लोक-लेखा समिति—नवां प्रतिवेदन उपस्थापित. . . .	२५०६
जेल से संसद् सदस्य की रिहाई . . .	२५०६
समिति के लिये निर्वाचन——	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	२५०६–२५०७
सभा का कार्य	२५०७

	स्तम्भ
कराधान विधियां (जम्मू तथा काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पारित	२५०७–२५२७
मध्यभारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पारित .	२५२८–२५३८
१९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त .	२५२८–२६२६

मंगलवार, २८ सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश—	
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में	२६२७
पटल पर रखे गये पत्र—	
मसाला जांच समिति का प्रतिवेदन . . .	२६२७
तारांकित प्रश्न संख्या २१३० के उत्तर की शुद्धि के सम्बन्ध में वक्तव्य	२६२८
पुनर्वास वित्त प्रशासन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तथा वक्तव्य .	२६२८–२६२९
केन्द्रीय उत्पादन तथा लवण अधिनियम, १९४४ के अधीन अधिसूचनायें	२६२९
लोक-लेखा समिति—प्रतिवेदनों का उपस्थापन . . .	२६२९
स्थगन प्रस्ताव—	
बीमा कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल—अस्वीकृत .	२६२९–२६३१
१९५४–५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—स्वीकृत .	२६३२–२६६९
विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित तथा पारित .	२६६९–२६७०
खाद्य तथा कृषि पदार्थों के मूल्यों में गिरावट पर चर्चा . .	२६७०–२६८८
सेवाओं के नियमों के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . .	२६८८-२७५२
कलकत्ता पत्तन के उप-नौवहन अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोपों के सम्बन्ध में चर्चा . . .	२७५२–२७६०

बुधवार, २९ सितम्बर, १९५४

हैदराबाद राज्य में यशवन्तपुर के निकट रेलवे दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य	२७६१–२७६८
पटल पर रखे गये पत्र—	
पंचवर्षीय योजना की १९५३-५४ की प्रगति का प्रतिवेदन .	२७६८–२७६९
विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . .	२७६९
महानदी पुल समिति का प्रतिवेदन	२७६९
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	२७६९–२७७१
वस्त्र जांच समिति का प्रतिवेदन	२७७१
राज्य सभा से सन्देश	२७७१

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) बिधेयक पर रायें .	२७७१
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२७७१
प्राक्कलन समिति—दसवां तथा ग्यारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२७७२
समितियों के लिये निर्वाचन—	
लोक-लेखा समिति	२७७२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम . . .	२७७२
अनुपस्थिति की अनुमति	२७७२–२७७३
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा—असमाप्त . .	२७७३–२८७८

बृहस्पतिवार, ३० सितम्बर, १९५४

रांज्य सभा से सन्देश	२८७९
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्राक्कलन समिति द्वारा अपने नवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का सारांश और उन पर सरकार के विचार या की गई या की जाने वाली कार्यवाही	२८८०
इस्पात परियोजना सम्बन्धी प्रगति का अग्रेतर ब्यौरा देने वाला विवरण	२८८०–२८८३
कुछ राज्य उद्यमों के वार्षिक प्रतिवेदन, अन्तिम लेखे तथा सन्तुलन पत्र	२८८३–२८८४
पुनर्वास वित्त प्रशासन का लेखा-परीक्षित सन्तुलन पत्र तथा हानि-लाभ लेखा	२८८४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२८८४
लोक-लेखा समिति—दसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२८८५
याचिका समिति—चौथा प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२८८५
जेल से सदस्य की रिहाई	२८८५
हैदराबाद राज्य में यशवन्तपुर के समीप रेल दुर्घटना के बारे में अनुपूरक विवरण	२८८५–२८८६
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—पुरःस्थापित . .	२८८६–२८८७
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित .	२८८७
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत .	२८८७–२९५०
मोटरगाड़ी उद्योग	२९५०–२९७५
राज्य सभा से सन्देश	२९७५–२९७६

लोक सभा

शनिवार, २५ सितम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये–भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

पटल पर रखे गये पत्र

दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग दो)

अध्यक्ष महोदय : आज प्रश्न काल नहीं है । अतः कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा । पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : आप की अनुमति से मैं श्री गुलजारी लाल नन्दा की ओर से दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४५ की उपधारा (५) के अधीन दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग दो) १९५१-५२, की एक प्रति पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रख दी गई देखिये संख्या एस—३६०/५४**]

दामोदर घाटी निगम जांच समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): श्री गुलजारी लाल नन्दा की ओर से मैं

२१ मई, १९५४ को पटल पर रखे गये दामोदर घाटी निगम जांच समिति के प्रतिवेदन के अध्याय ८ की सिफारिश संख्या ७३ से ७५, ७८ से ८१ और ८८ से ९१ के सम्बन्ध में निर्णयों के विवरण की एक प्रति पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रख दी गई दखिये संख्या एस—३६१/५४**]

राज्य-सभा से संदेश

सचिव : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य सभा के सचिव से ये तीन संदेश प्राप्त हुए हैं : —

(१) राज्य-सभा ने लोक-सभा द्वारा २० सितम्बर १९५४ को पारित चन्द्र नगर विलय (विधेयक), १९५४ को बिना किसी संशोधन के अपनी २३ सितम्बर, १९५४ की बैठक में पारित कर दिया है ।

(२) राज्य-सभा ने अपनी २४ सितम्बर, १९५४ की बैठक में हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक, १९५२ संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थित करने की अवधी को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाने के लिये एक प्रस्ताव पारित किया है ।

(३) राज्य-सभा अपनी २३ सितम्बर, १९५४ की बैठक में विशेष विवाह विधेयक १९५४ में लोक-सभा द्वारा १७ सितम्बर १९५४ को किये गये संशोधनों से सहमत हो गई है ।

समिति के लिए निर्वाचन

लोक-लेखा समिति

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"इस सभा के सदस्य, लोक-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम २३८ के उप-नियम (३) के अनुसार अपेक्षित विधि से १९५४–५५ के शेष भाग के लिये, लोक-लेखा समिति से श्री खांडू भाई कासन जी देसाई के त्यागपत्र दे देने के कारण उन के स्थान पर काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य का निर्वाचन करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"इस सभा के सदस्य लोक-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम २३८ के उप-नियम (३) के अनुसार अपेक्षित विधि से, १९५४–५५ के शेष भाग के लिये , लोक-लेखा समिति से श्री खाण्डू भाई कासन जी देसाई के त्यागपत्र दे देने के कारण उन के स्थान पर काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य का निर्वाचन करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदस्यों को यह सूचना देनी है कि लोक-लेखा समिति के सम्बन्ध में नाम निर्देशन प्राप्त करने और नाम वापस लेने के लिये और, यदि आवश्यक हो तो, निर्वाचन करने के लिये निम्न दिनांक निर्धारित किये गये हैं :—

नाम निर्देशन का दिनांक	नाम वापिस लेने का दिनांक	निर्वाचन का दिनांक
२७-९-१९५४	२८-९-१९५४	२९-९-१९५४

समिति के लिये नाम निर्देशन तथा नाम वापस लेने के आवेदन इस के लिये निश्चित दिनांक को ३ बजे म० प० तक संसदीय सूचना कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे और निर्वाचन संसद् भवन की पहली मंजिल पर समिति कक्ष संख्या ६२ में एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा ।

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी । इस विधेयक के लिये नियत ७ घंटों के समय में से ५ घन्टे तक कल ही विचार हो चुका है । अब जैसा कि सभा स्वीकार कर चुकी है १ घंटे तक खंडवार विचार होगा और फिर तृतीय वाचन होगा, और १ बजे विधेयक निबटा दिया जायेगा । इस के पश्चात् सभा निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक पर विचार करेगी ।

अब हम उक्त विधेयक पर विचार करेंगे । खण्ड २, श्री नायर ।

खण्ड २—१९३४ के अधिनियम ३२ की प्रथम अनुसूची का संशोधन अनुसूची

श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील) : श्रीमान्, मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या सभा सारे संशोधनों पर एक साथ या एक एक पर अलग अलग विचार करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि खण्ड २ के संशोधनों को एक साथ लिया जा सकता है और फिर अनुसूची के संशोधनों को भी एक साथ लिया जा सकता है ।

क्या वह चाहते हैं कि खण्ड २ तथा अनुसूची को सभा के समक्ष एक साथ रखा जाये ?

श्री वी० पी० नायर : हां, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री को आपत्ति न हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : श्रीमान्, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अतः हम दोनों को साथ साथ लेंगे : वह अपने सारे संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री वी० पी० नायर ने अपने सभी संशोधन प्रस्तुत किये ।

श्री वी० पी० नायर : मेरे एक संशोधन का ध्येय इंगलिस्तान की बनी वस्तुओं पर लगाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्कों में विभिन्नता को हटाना है । जो भी सरकारी लेख तथा पुस्तकें मुझे मिल सकी हैं उन से मैं यह नहीं समझ सका हूं कि सरकार आज कल भी इंगलिस्तान या उस के उपनिवेशों में बने माल को अधिमान क्यों देती है । इस सभा में यह प्रश्न कई बार उठाया गया है परन्तु दुर्भाग्यवश हमें इस का स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है । जब भी यह प्रश्न उठाया गया है तभी या तो माननीय मंत्री ने यह बात छोड़ दी है और या यह कहा गया है कि सरकार विस्तृत जानकारी एकत्रित कर रही है ।

जहां तक मैं समझ सका हूं, यह एक बड़ा ही सरल मामला है, क्योंकि मेरे पास कुछ नवीनतम आंकड़े हैं । इनसे सम्बन्धित हितों तथा ब्रिटिश उपनिवेशों और ब्रिटेन के साथ वह व्यापार प्रकट होता है जिस के प्रति अधिमान दिया जाता है । मैं राजकोषीय आयोग के १९४९-५० के प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहा हूं । इस में विस्तारपूर्वक यह बताया गया है कि कैसा और कितना अधिमान दिया जाता है ।

भारत ब्रिटिश व्यापार करार संबंधी अध्याय में बताया गया है कि उन दिनों में सरकार का अनुमान था कि सारे निर्यात में कम से कम दस प्रतिशत अधिमानित वस्तुओं का था । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि अधिमान देने से हमें कितनी हानि होती है । यदि हम इन वस्तुओं को ब्रिटेन या उस के उपनिवेशों से आयात न करें तो हमें कितना शुल्क राजस्व में प्राप्त होगा । और यदि हम उन्हें उपरोक्त देशों से आयात करते हैं तो हमें कितना शुल्क राजस्व में प्राप्त होगा । जब तक इन प्रश्नों का उत्तर न दिया जाये तब तक मेरा ख्याल है कि सरकार किसी भी प्रकार अधिमान शुल्क जारी रखने का समर्थन नहीं कर सकती ।

श्रीमान्, फिर मोटर उद्योग के सम्बन्ध में एक संशोधन है । मोटरों के मामले में, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री कम से कम अपने मंत्रालय के कार्य के लिये रूस को दो कारों का क्रयादेश देने को तैयार हैं । इस के अतिरिक्त वह, इसी प्रकार की कारों के यहां निर्माण होने की संभावनाओं पर विचार करने के लिये भी तैयार हैं, मुझे इस की भी प्रसन्नता है ।

मोटर गाड़ी उद्योग के विषय में सरकार के दृष्टिकोण को देख कर चिन्ता होती है । यह उद्योग ऐसा है जिसे सरकार को सब प्रकार की सहायता देनी चाहिये । कल माननीय मंत्री ने कहा था कि इस उद्योग पर विदेशियों का नियंत्रण नहीं है : हो सकता है उन का केवल १० या १५ प्रतिशत धन लगा हुआ हो, किन्तु मैं समझता हूं कि निर्माण संयंत्र पर विदेशियों का पूर्ण अधिकार है ।

भारत के मोटर गाड़ी बनाने वाले एकक भारत के माल पर अवलम्बित नहीं हैं,

[श्री वी० पी० नायर]

किन्तु फिर भी सरकार कहती है कि १९५४ तक ६५ या ७० प्रतिशत पुर्जे भारत में बना करेंगे । मैं पूछता हूं कि सिलिंडर ब्लाक, डिफेरेंशिलगियर तथा क्रैंकशैफ्ट देश में बनाने के लिये कितना समय लगेगा । और भी बहुत से पुर्जे विदेशों से मंगवाये जाते हैं ।

मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि मोटर गाड़ी उद्योग में ब्रिटिश और अमरीकनों का बहुत हाथ है और माननीय मंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वीकार किया है कि विदेशियों का हमारे सार्थों में सांझा है । हम नहीं जानते कि भारत में निर्मित जीपें पूर्णतया भारतीय होंगी ।

हम ६ या ७ करोड़ रुपये की मोटर गाड़ियां और पूर्जों का आयात करते हैं और उनका मूल्य निर्धारित करने में भी सरकार का कोई हाथ नहीं है । माननीय मंत्री ने मूल्य निर्धारित न किये जाने के पक्ष में यह तर्क दिया था कि यह उद्योग लाभ अर्जन नहीं कर रहा । मैं पूछता हूं लाभ किसे प्राप्त नहीं हो रहा ? भारत में बनने वाली मोटर गाड़ियों के लिये सामान तो विदेश से खरीदा जाता है और लाभ विदेशी सार्थों को होता है । भारत में इतनी सस्ती मजदूरी होते हुए भी यहां हिन्दुस्तान १० मोटर कार की लागत १०,००० रुपये आये, यह आश्चर्य की बात है ।

इस उद्योग को लाभ अवश्य होता है किन्तु वह छिपा लिया जाता है । मुझे इसी बात से चिढ़ लगती है । सरकार ने सब प्रकार की २०,००० मोटर गाड़ियों की आवश्यकत का अनुमान लगाया है । यदि कारों का मूल्य कम किया जा सके, तो यह मांग बढ़ कर २,००,००० हो सकती है । इस बात को सरकार भूल गई है । एक दूसरे देश ने प्रविधिक प्रशिक्षण देने तथा फैक्टरी स्थापित करने के लिये अपनी सेवायें भेंट की हैं, किन्तु एक महान् अभिवक्ता इसे कहानी बताते हैं । व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौता सम्मेलन में श्री घमंडी लाल बंसल भारत के प्रतिनिधि थे एक कहानी यह भी है कि यह प्रतिनिधि १९ ज्यूल वाली घड़ियां वहां से भर कर लाये थे और सीमा शुल्क अधिकारियों को बताया कि वे खिलोनों की घड़ियां थीं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : क्या इस प्रकार सभा में किसी सदस्य पर दोषारोपण किया जा सकता है ?

श्री वी० पी० नायर : मैं ने यह कहा है कि उस सदस्य को इस बात का ज्ञान था कि घड़ियों को खिलौनों की घड़ियां बताया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वह कहना चाहते हैं कि विदेशों में होने वाले सम्मेलनों में भारत से प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त करने के लिये विदेशी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्री बंसल ने उस की शिकायत की थी और वित्त मंत्रालय ने इस की जांच की थी और शुल्क दिया जा चुका है । परन्तु इस प्रकार के वक्तव्य को सहन नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इस में संसद् सदस्यों का उल्लेख किया गया है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है । मैं ने यह बात बम्बई में सुनी थी । मेरा अभिप्राय यह है कि हमारे प्रतिनिधि सम्मेलनों में जाकर इन पहलुओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि और ही बातों में पड़ जाते हैं । सोवियत रूस की कारों का निर्यात करने वाले सार्थ ने ७००·८० शिलिंग मूल्य की कारें देने को

कहा है । मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

शीशे के मनकों और झूठे मोतियों पर शुल्क बढ़ा दिया गया है । मैं ने एक अधिसूचना में पढ़ा है कि मूल्यवान कटे और अनकटे पत्थरों पर शुल्क की दर को घटा कर २५ प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत कर दी गई है । मैं इस स्थिति को नहीं समझ सकता कि एक ओर प्रशुल्क बढ़ाया जाता है और दूसरी ओर घटाया जाता है ।

हम झूठे मोती और शीशे के मनके अधिक मूल्य के नहीं मंगवाते हैं, और इन वस्तुओं को कम आय वाले लोग आभूषणों के रूप में काम में लाते हैं । अनकटे पत्थरों के बारे में कहा जा सकता है कि उन से हीरा तराशने वाले भारतीय मजदूरों को काम मिलता है, और उन के लाभार्थ इन पर प्रशुल्क कम कर दिया गया है । किन्तु इन मजदूरों ने अधिक प्रशुल्क होने की अवस्था में भी कभी सरकार से अधिक प्रशुल्क होने की शिकायत नहीं की । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि हीरे और मोती पर जो अमीरों के घरों में जाते हैं, प्रशुल्क क्यों कम किया गया है और साधारण व्यक्तियों के काम में आने वाले झूठे मोतियों पर प्रशुल्क क्यों बढ़ाया गया है ।

व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते के विषय में तीन प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री करमरकर के उत्तर संतोषजनक नहीं थे । इस समझौते की नीति यह है कि अविकसित देशों के बाजारों में औद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील देशों का माल भर दिया जाये, और व्यापार पर प्रतिबन्धों को हटा दिया जाये । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रमुख देशों ने हमारे माल का आयात करने में कुछ उदारता दिखाई है, जिस से कि हम अपने यहां उन के माल का आयात करने में उदारता से काम लें

इंगलिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा था कि अमरीका में माल के आयात पर अत्याधिक प्रशुल्क लिया जाता है और उन की नौवहन नीति आदि के कारण व्यापार पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगे हुए हैं । मैं मन्त्री महोदय से पूछता हूं कि अमरीका की इस नीति में क्या कोई परिवर्तन हुआ है ? उदार आयात नीति में कठिनाइयां हैं क्योंकि सरकार को विदेशों की वस्तुओं के गिरते हुए मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है । जापान जैसे देशों ने अपने निर्यात के लिये वित्तीय सहायता दी है ।

कल मैं ने सोडा ऐश के मूल्यों के सम्बन्ध में प्रश्न किया था, मैं उन कठिनाइयों की ओर संकेत कर रहा हूं जो आयात नीति को उदार करने के कारण उत्पन्न हो जायेंगी । उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि १२ अगस्त तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया था, किन्तु मैं ने किसी पत्र में भी इस की अन्तिम तिथि १२ अगस्त नहीं पाई । निम्नतम मूल्य १५-०-० पौण्ड था, किन्तु जिन को लाइसेंस दिये गये हैं, उन्हों ने १५-११-० पौण्ड या १६-०-० पौण्ड मूल्य कथन किया था ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह १५-११-० पौण्ड है ?

श्री वी० पी० नायर : बात यह है कि माननीय मंत्री को प्रत्येक स्वीकृत या अस्वीकृत लाइसेंस का निजी ज्ञान होता है : जिन सार्थों ने १६ पौण्ड से अधिक मूल्य कथन किया था, उन्हों ने बाद में बहुत कम मूल्य कथन किया । बेडल स्वायर एंड कम्पनी ने जिसे ६ लाख रुपये का आयात लाइसेंस दिया गया ऐसा ही किया । जापान बहुत सस्ता सोडा ऐश दे सकता है, किन्तु यदि प्रशुल्क बढ़ाया जायेगा, तो जापान के माल के यहां आने की कम संभावना होगी ।

[श्री वी० पी० नायर]

आयात नीति का प्रश्न बड़े महत्व का है, जिस के सम्बन्ध में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने कल कहा था कि इस सभा में नीति सम्बन्धी प्रश्न बहुत कम थे । उदार आयात नीति का आरम्भ पहले इस के समर्थकों को अपने देश से करना चाहिये । कल श्री कृष्णमाचारी ने कहा था कि वे स्वयं प्रत्येक परमिट के मामले का फैसला करते हैं । सोडा ऐश, सोडियम सल्फाइड तथा ब्लैक फिक्स के मामले में ही केवल तदर्थ आधार पर एक लाइसेंस दिया गया था । पहले नियम के अनुसार केवल आवश्यक वस्तुओं के लिये ही २५,००० रुपये तक के तदर्थ लाइसेन्स दिये जाते थे । अब नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है और अमरीका तथा इंगलिस्तान से आयात के लिये तदर्थ लाइसेंस दिये जाते हैं । उदारता की नीति पहले उस सार्थ से आरम्भ हुई थी, जिस में माननीय मंत्री स्वयं दिलचस्पी रखते थे । मैं ने परमिटों की सूची प्राप्त करने का प्रयत्न किया । प्रति सप्ताह सरकार दिये गये आयात लाइसेंसों की ५०० या ६०० पृष्ठ की एक पुस्तक छपवाती है, जिसे पढ़ना सदस्यों के लिये कठिन है । मुझे मालूम है कि आयात विभाग के द्वारा कुछ गड़बड़ अवश्य की गई है ।

मैं अधिक नहीं कहना चाहता और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री उन बातों का जो मैं ने व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते के विषय में और आयात शुल्क में भेद भाव के सम्बन्ध में उठाई हैं निष्पक्ष रूप से उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री वी० पी० नायर के संशोधन प्रस्तुत किये गये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे मित्र श्री नायर ने यह आरोप लगाया है कि उन के द्वारा उठाये गये प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है । चाहे सभा के किसी भी पक्ष द्वारा प्रश्न उठाये जायें हमें सन्तोषजनक उत्तर देना है, किन्तु मैं सोचता हूं कि प्रश्न भी इस प्रकार के होने चाहियें जिन का कि हम उत्तर दे सकें । प्रश्न किसी ऐसे कारण से न उठाये जायें जिस से किसी दल विशेष की प्रतिष्ठा बढ़े, और जहां तक सरकारी नीति का सम्बन्ध है कोई प्रयोजन पूरा न हो । साथ ही प्रश्न उस विषय से संगत हों जिस पर सभा में चर्चा हो रही हो । मैं कोई अतिमानव नहीं हूं, मैं सभा के समक्ष रखे गये किसी प्रश्न विशेष का उत्तर देने के लिये समुचित तैयारी कर के आता हूं । वास्तव में श्रीमान्, कल मैं ने आप से उत्तर देने के लिये आधा घंटा मांगा था किन्तु चर्चा के समाप्त हो जाने पर मुझे एक घंटा मिल गया, तथा मैंने ५९ मिनट तक अपनी समस्त योग्यता से माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दिया । यदि श्री नायर को सन्तोष न हुआ हो तो मुझे उन से केवल यही कहना है कि सरकार उन्हें सन्तोष देने योग्य नहीं है । इस तथ्य को वह सदैव से ही जानते हैं ।

विशेष संशोधनों के सम्बन्ध में उन के आरोप का मुख्य आधार अधिमानता का विषय था । इस प्रश्न को सभा के समक्ष कई बार उठाया गया है व्यवहारतः हम प्रत्येक सत्र में दो विधेयक प्रस्तुत करते हैं--प्रत्येक सत्र में एक आयात निर्यात विधेयक निश्चय ही होता है--तथा पिछले ढ़ाई वर्षों में मैं सोचता हूं कि ८ या १० विधेयक रखे गये हैं । इस के अलावा आयव्ययक सम्बन्धी चर्चा के अवसर भी आते हैं । इस समय श्री लंका सुन्दरम् यहां नहीं हैं, जो निश्चय ही राजकीय अधिमानता के विशेषज्ञ हैं । मैं ने इस विशेष मामले के मूल्यांकन करने की प्रतिज्ञा की थी, तथा मैं ने इस का मूल्यांकन

कर भी लिया है। मेरे पास प्रतिवेदन है किन्तु मैं उसे सभा के समक्ष रखना नहीं चाहता हूं क्योंकि सरकार हमारे द्वारा नियुक्त की गई समिति के परिणामों को प्रकट करना जनता के हित में ठीक नहीं समझती है ।

अपने माननीय मित्र श्री नायर द्वारा उठाये गये प्रश्नों के ब्यौरे में जाने के पूर्व जहां तक गैट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) का सम्बन्ध है । जिस के बारे में कल मैं ने विस्तारपूर्वक कहा था तो यह सारा प्रश्न अभी अनिश्चित सा है । किसी न किसी प्रकार इस वर्ष के अन्त तक अथवा अगले वर्ष के पूर्व तक इस का निर्णय कर लिया जायेगा । विभिन्न राष्ट्रों के दृष्टिकोण. जिन्हों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन को जिस की व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौता एक सहायक संस्था है, प्रेरित किया था यह है कि वह इस विचार को त्याग रहे हैं । स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की भावना कुछ दलों के मध्य व्यापार मात्र बन कर रह गई हैं तथा यह भी सम्भव है कि गैट में भी पर्याप्त परिवर्तन किये जायेंगे । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि इस सभा में हवाना चार्टर पर १९४९ में चर्चा हुई थी मुझे स्मरण है कि एक स्वतन्त्र सदस्य की हैसियत से मैं ने इस में भाग लिया था क्योंकि मैं ने अनुभव किया था कि हवाना चार्टर अविकसित देशों को अपने हितों का संरक्षण करने के लिये पर्याप्त शक्तियां देता था । तथा एक विशाल किन्तु अविकसित देश होने के नाते हमें अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के नाते व्यापार की यथा सम्भव बाधाओं को हटा देना चाहिये. । मुझे स्मरण है कि १९५१ में जब कि मुझे आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् में भारतीय शिष्ट मण्डल के नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तो किसी एक बड़े देश ने प्रतिबन्ध लगाने की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कुछ संशोधन प्रस्तुत किये थे । मैंने उन्हें यह संकेत दिया था कि "एक ऐसा भी अविकसित देश है जो हवाना चार्टर का अनुमोदन करने को प्रस्तुत है जबकि कई बड़े देश ऐसा न कर सके थे ।" इसलिये यह एक ऐसा मामला है जिस को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इसलिये मैं न केवल अपने माननीय मित्र श्री नायर को प्रत्युत सभी सदस्यों को यह सुझाव दूंगा कि अब इस स्थिति के परीक्षण से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि यह सारी चीज निर्णयाधीन है । यदि मेरे आश्वासन का कुछ मूल्य है तो मैं आश्वासन दे दूंगा कि मैं यथा शक्ति यह प्रयत्न करूंगा कि एक अविकसित देश होने के नाते हम अपनी वर्तमान स्थिति को बनाये रखें ।

श्रीमान् कल भी परिमाण सम्बन्धी प्रतिबन्धों पर बोलते हुए मैं ने कहा था कि यद्यपि कई कारणों से मैं इन प्रतिबन्धों को नहीं चाहता हूं क्योंकि इस मामले में कार्यपालिका के स्वविवेक की आवश्यकता है, तथा यह भी कि सम्पूर्ण व्यापार में एक असंतुलन पैदा हो जाता है तथा जिन लोगों के पास कोई निर्धारित आवंटन नहीं है उन्हें व्यापार में आने से रोकना है । किन्तु अपने विस्तार कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हम इस के बिना काम नहीं चला सकते हैं तथा विदेशी मुद्रा का अधिरक्षण भी, हमारे कार्यक्रम के प्रारम्भ होने पर, एक आवश्यक अंग होगा । इसलिये ऐसे मामलों में सभा के सदस्यों को युक्तिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिये । देश के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें यह मानना चाहिये कि इस समस्या के प्रति सरकार का दृष्टिकोण दृढ़ है तथा वह निश्चित रूप से देश की आवश्यकताओं पर आधारित है । राजकोषीय आयोग के प्रतिवेदन को उद्धृत करने तथा मुझे बताने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । राजकीय अधिमान सम्बन्धी स्थिति का मैं ने

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

मूल्यांकन किया हुआ है तथा मैं एक विशेष तथ्य के सम्बन्ध में सभा का विश्वास करूंगा। १९५१-५२ में हम ने लगभग ५२ करोड़ रुपये के आयात को अधिमानता दी जब कि हमें २०५ करोड़ से अधिक के निर्यात की अधिमानता प्राप्त हुई। मेरे माननीय मित्र श्री नायर चाहते हैं कि मैं उन को बतलाऊं कि हमें कितना लाभ हुआ है। यद्यपि मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं, किन्तु वे महत्वपूर्ण मदें जिन में हमें अधिमान मिला है चाय, रूई, रूई का बना सामान, नारियल की जटा के कपड़े, टाट व चटाइयां, दरियां, चमड़े तथा खालें हैं। मैं माननीय मित्र श्री नायर से ग्रेट ब्रिटेन की रायल इकानामिक सोसायटी द्वारा प्रकाशित जून, १९५४ के 'इकानामिक जरनल' का निर्देश करूंगा जिस में सर डोनाल्ड मैक्डूगल तथा श्री हट, दो प्रसिद्ध अर्थ शास्त्रियों द्वारा राजकीय अधिमानों का मूल्यांकन तथा परिमाणात्मक विश्लेषण किया गया है। यह ब्रिटेन के दृष्टिकोण के अनुसार है, किन्तु इंगलैंड में भारतीय आयात को जो सापेक्ष स्थान दिया गया है उस से ज्ञात होता है कि बात ऐसी नहीं है कि हम ने बहुत कुछ दे दिया है। वास्तव में जहां तक ब्रिटेन का सम्बन्ध है वह हमारे अधिमानों को दिखाता है जहां तक भारत का सम्बन्ध है ब्रिटेन जाने वाले माल पर ४९.८ प्रतिशत का अधिमान नहीं है। लाभ केवल माल का २·६ प्रतिशत है हम ने अधिमान की जो प्रतिशतता निश्चित की है वह बहुत कम है। जहां तक परिमाणात्मक विश्लेषण का सम्बन्ध है हमें इंग्लैंड भेजे जाने वाले माल का चौगुना अधिमान प्राप्त होता है किन्तु यह चित्र प्रति वर्ष और कभी कभी तो प्रति माह परिवर्तित होता रहता है। इस समय यह भारत के अहित में नहीं है।

यह प्रश्न सरकार द्वारा अपनी प्रतिरक्षा किये जाने अथवा व्यर्थ में ही परेशान होने का विषय नहीं है, किन्तु सरकार का इरादा प्रतिरक्षा करने का है यदि कोई माननीय सदस्य चाहें तो मैं आपत्ति उठाने को तैयार हूं। जहां तक मैं जानता हूं मैं इस का उल्लेख करने के लिये प्रस्तुत हूं। एक उदाहरण है जिस में माननीय सदस्य ने व्यक्तिगत निर्देश किया है ऐसा नहीं है कि मेरे लड़के कोई व्यापार कर रहे हैं तथा मेरे नाम से कोई फर्म चल रही है। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ने पहिले कुछ व्यापार सम्बन्धी कार्य किया है और यदि भारत के कुछ भाग में इस की साख है, तो मैं उन से अपना नाम न रखने को नहीं कह सकता हूं। जिस उदाहरण विशेष का निर्देश किया गया है, उस के नेता ने प्रधान मंत्री को लिखा, तथा प्रधान मंत्री ने उत्तर भेजा, जो सन्तोषजनक होना चाहिये था। जब मैं ने प्रधान मंत्री से कहा कि मैं जांच कराने को प्रस्तुत हूं तो उन्हों ने कहा कि "मैं इस मामले को जानता हूं तथा मैं इस पर अग्रेतर जांच नहीं करना चाहता हूं।" यह विशेष उदाहरण मेरी जानकारी के बाहर था क्योंकि प्रभार लेते समय प्रधान मंत्री यह जानते थे कि मेरे लड़के व्यापार कर रहे हैं तथा उन्हों ने कहा था, "कि कोई भी मामला जिस से तुम्हारे पुत्र, अथवा कोई सम्बन्धी अथवा पुत्रों की फर्म सम्बन्धित हो वह निपटारे के लिये मेरे पास भेजी जाये।" ऐसे अनुदेश हैं। चाहे अनुज्ञप्तियां दी जायें या न दी जायें यह मामला प्रधान मंत्री तथा सम्बन्धित पक्षों से सम्बन्ध रखता है। यह सब इस सभा में निश्चित रूप से बता दिया गया था। यदि वह यह अनुभव करते हैं कि सरकार ठीक नहीं कर रही है तो स्पष्ट है कि उन्हें इस मामले को प्रधान मंत्री तक ले जाना चाहिये मैं इस बात के लिये क्षमा नहीं मांगूंगा कि मेरे पुत्र व्यापार कर रहे हैं तथा सौभाग्य

अथवा दुर्भाग्य से यह व्यापार मेरे नाम में किया जा रहा है ।

मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में, माननीय मित्र संभवतः पर्याप्त जानकारी रखते हैं। वह सिलिंडरों और मोटर गाड़ी के निचले भागों में रखी जाने वाली वस्तुओं तक को भी जानते हैं, परन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक ड्राइवर मोटर इंजीनियर होता है । इस देश में पचास या साठ हजार के लगभग ड्राइवर हैं और बड़ी कठिनाई से उन में से कोई पांच हजार इंजीनियरिंग का काम जानते हैं । इसी कारण रातों के समय हम नित्य प्रति दिल्ली के विभिन्न भागों में डी० टी० एस० की बसों को बिगड़ी हालत में खड़ा देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने मोटर कार में यात्रा की है अथवा वह उसे चलाना जानता है तो इस का अर्थ यह नहीं होता है कि वह मोटर का इंजीनियर भी है अथवा उस के सम्बन्ध में सारी बातों का ज्ञान रखता है । सत्य तो यह है कि यहां का मोटर गाड़ी उद्योग विदेशी सहायता पर निर्भर करता है । हमारे मोटर गाड़ी उद्योग के व्यक्ति माडलों में जल्दी जल्दी परिवर्तन कर सकने योग्य हैं ताकि लोगों की रुचियों तथा विचारों को आज से अधिक और बड़े पैमाने पर संतुष्ट किया जाये । इसी प्रकार से उद्योग प्रगति कर सकता है । रूस में भी मुझे पता नहीं कि माननीय मित्र कभी वहां गये हैं अथवा नहीं, लेकिन मैं नहीं गया हूं, जब मोटर गाड़ी उद्योग आरम्भ हुआ था तो उन्हों ने फोर्ड द्वारा अस्वीकृत 'जिगें' ला कर अपना उद्योग चालू किया था मेरे विचार में हम मोटर गाड़ी उद्योग के सम्बन्ध में अधिक परिश्रम नहीं कर रहे ह । मैं ने कल सभा में घोषणा की थी कि हम एक या दो कारों का आयात करने का प्रयत्न करेंगे और हम अब यह भी देखने लगे हैं कि क्या इस देश में भी कुछ निर्माण कार्य किया जा सकता है हम न कोई पक्षपात रखते है और न ही हमारे देश में किसी प्रकार का कोई पर या आवरण ही है । हमारे देश से कोई भी देश व्यापार कर सकता है । और हम बड़े से बड़े पूंजीपति देशों से व्यापार करते हुए भय नहीं खाते हैं और न ही हमें साम्यवादी देशों से व्याापार करते हुए डर लगता है । हम मैत्रीभाव से जो कुछ भी विदेशों से प्राप्त करते हैं उसे हम यहां के लोगों की भलाई के कामों में लगाते हैं ।

झूठे मोतियों, कांच के मनकों और क़ीमती पत्थरों के प्रश्न पर रुकावट थी । झूठे मोतियों तथा कांच के मनकों के निर्माण के लिये हमारे यहां एक स्थानीय उद्योग है और मैं उन से सहमत हूं कि इस सम्बन्ध में जो मात्रा निषेध किया गया था वह तनिक कठोर है और इसी कारण से आयात, कम हुआ । यह कठिनाई दुर्भाग्यपूर्ण है। यह व्यापार अधिकतर चलते फिरते छोटे व्यापारियों के हाथों में है । इसी कारण हम ने स्थानीय उद्योग का ध्यान रखते हुए उन के आयात को यथा संभव मात्रा तक कम करने के लिये मोतियों तथा कांच के मनकों पर शुल्क बढ़ा दिया था । निश्चय ही यह नीति संरक्षण देने के हेतु है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय उसी जिले से सम्बन्ध रखते हैं, जहां इन को बनाया जाता है । यह एक कुटीर उद्योग है और मैं नहीं चाहता कि यह उद्योग संकट में पड़ जाये । इसी कारण हम ने शुल्क को बढ़ा दिया है ।

जहां तक कीमती पत्थरों का सम्बन्ध है विलास वस्तुओं के उपयोग के सम्बन्ध में हमारे दल की नीति स्पष्ट ही है, और हम उस नीति से परे नहीं जाना चाहते हैं, अर्थात् हम अनावश्यक बिलास वस्तुओं के उपयोग के विरुद्ध हैं और अपने आत्मसंयमी स्वभाव को

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

नहीं छोड़ेंगे । हम नहीं चाहते कि लोग हीरे और जवाहरात क्रय करना आरम्भ करें । माननीय मित्र ने ठीक ही कहा है कि इस देश में इन का व्यापार भी खूब होता है। इस देश के कुछ कारीगर हीरों आदि की कटाई करते हैं और सरकार ने २५ प्रतिशत का अधिक शुल्क लगा कर अथवा आयात पर निषेध कर के इस व्यापार को कठिन बना दिया है । सूरत में कई सहकारी संस्थायें यह कार्य कर रही हैं । हमें इन लोगों को युक्तियुक्त शर्तों पर आयात करने की आज्ञा देनी है और फिर उन्हें कटाई इत्यादि के पश्चात् निर्यात किया जायेगा—यह एक प्रकार का उभय मार्ग यातायात होगा । हो सकता है कि मैं ने एक दो स्थानों पर गलती की हो, परन्तु हमारी इच्छा यह है कि उन लोगों की सहायता की जाये जिन्हों ने किसी कला को अपनाया है और वह कला भी जीवित रहे और उस के साथ साथ उन व्यक्तियों का रोज़गार भी बना रहे ।

इसी प्रकार से मैं श्री वी० पी० नायर के प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं । जहां तक उन के संशोधनों का सम्बन्ध है, इस समय हम अपनी इंगलैंड को संरक्षण देने की नीति से विचलित होने की इच्छा नहीं रखते हैं । इस समय हमें इस में लाभ है, चाहे यह लाभ कोई अधिक लाभ न हो । यह लाभ समाप्त हो सकता है और प्रश्न यह उठाया गया था कि श्री थारनी क्रौफ्ट को बताया गया है कि इंगलैण्ड भारतीय कपास के कपड़े आयात नहीं करेगा क्योंकि एक तो भारत अधिक शुल्क लेता है और दूसरे वहां पर मात्रा निषेध की नीति चालू है । हम शुल्क हटा नहीं सकते हैं । हमें राजस्व लेना है । यदि इंगलैंड कोई परिवर्तन करता है अथवा कोई अन्य घटना हो जाती है तो निश्चय ही यह समय पुनरीक्षण करने का है । मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि साम्राज्यिक अधिमान होते हुए भी भारत के हित रक्षित रहेंगे । किन्तु यह संशोधन जहां तक मैं समझता हूं, इसलिये प्रस्तुत किये गये थे कि मैं सरकार की नीति का स्पष्टीकरण करूं और मेरा विचार है कि मैं ने उन्हें संतुष्ट कर दिया है ।

श्री वी० पी० नायर : कल जो बात मैं ने कही थी वह बहुत महत्वपूर्ण है । आज तक जो विदेशी पूंजी यहां लगाई गई है, सरकार ने उसे केवल सामरिक महत्व के उद्योगों के लिये ही स्वीकार किया था और विनियोजन की आज्ञा दी थी, परन्तु मैं जान सकता हूं कि क्या हाल ही में विदेशी पूंजी इस देश में छोटे छोटे साधारण उद्योगों जैसे चाकलेट, और टाइपराइटर उद्योग आदि के अधिष्ठापन के लिये भी लगाई गई है और वह भी उस स्थिति में जब कि भारतीय पूंजी भी भली भांति लगाई जा सकती थी ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस सम्बन्ध में उत्तर दे चुका हूं । मैं ने कहा था कि सरकार की नीति कोई स्थिर अथवा एक स्थान पर रुकी रहने वाली नहीं है । हम ने एक विशेष प्रस्तावना ले कर कार्य आरम्भ किया था और यदि वह प्रस्तावना संतोषजनक नहीं है तो हम उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक बदलने अथवा बढ़ाने को तैयार हैं। हम ने ७० तथा ३० प्रतिशत के हिसाब से कार्य आरम्भ किया था, और यह चलता चला जा रहा है । वास्तव में मुझे भारतीय व्यापार मण्डल के एक अत्यन्त योग्य सदस्य ने बताया था कि मण्डल में हुए वार्तालाप से उन्हों ने यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि इस देश के लिये उपभोक्ता उद्योग उपयुक्त नहीं है तो इसलिये इस आधार पर संभवतः

इन उद्योगों में विदेशी पूंजी लगाये जाने पर मण्डल असहमत न होगा । सन् १९४८ में भी हमें एक महान अर्थशास्त्री ने सुझाव दिया था कि यदि हम उपभोक्ता उद्योगों में विदेशी पंजी लगाये जाने की आज्ञा दें तो यह बहुत अधिक अच्छा होगा और कोई कठिनाई भी नहीं होगी । कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं । ऐसा टाईपराइटरों के उद्योग के बारे में हो सकता है मेरी अन्तरात्मा बिल्कुल शुद्ध है–यद्यपि हम ने अभी तक इन के लिये अनुज्ञप्ति नहीं दी है, परन्तु जब हम अपनी नीति का पुनरीक्षण करेंगे तो हम संभवत: अनुज्ञप्ति दे दें । टाईपराइटरों सम्बन्धी बहुत सी प्राविधिक बातों में हम अभी विदेशों की बराबरी नहीं कर सकते हैं । मेरे और श्री नायर के मध्य बहुत से विषयों पर असहमति होगी, परन्तु दुर्भाग्य से मामले का निर्णय करना इस सरकार के हाथ में है न कि श्री नायर की सरकार के हाथ में ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखूंगा । क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि उन्हें एक साथ ही रख दिया जाये ।

श्री वी० पी० नायर : हां, श्रीमान् :

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १, २ , ३, ४ तथा ५ सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड १, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

कुमारी एनी मैस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं और मेरे विरोध करने के सामान्य कारण यह है कि इस मंत्रालय के प्रशासन ने संरक्षण देने के सम्बन्ध में पक्षपात की नीति अपना रखी है । जिन उद्योगों को संरक्षण दिया गया है उन की सूची को देखने से पता चलता है कि टिटेनियम उद्योग को वैसे ही छोड़ दिया गया है । इस मंत्रालय ने जो भी संरक्षण दिये हैं वह विदेशियों के ही हित में रहे हैं । टिटेनियम उद्योग भारत में अपनी प्रकार का एक ही उद्योग है और इस के लिये त्रावनकोर-कोचीन में पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है । इसे दीवान सरकार ने कुछ समय पहले आरम्भ किया था और राज्य सरकार ने इस में ५१ प्रतिशत और विदेशियों ने ४९ प्रतिशत पूंजी लगाई है ।

पिछले कुछ वर्षों से इस उद्योग की स्थिति बिगड़ रही है । मैं ने इस सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव भी रखा था परन्तु वह अनियमित घोषित कर दिया गया था ।

उस के पश्चात् औद्योगिक निगम से माननीय मंत्री ने ऋण दिये जाने की सिफारिश की थी और ऋण दिये जाने से पूर्व मेरी भी राय ली गई थी क्योंकि वह उद्योग मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है । मैं ने कहा था कि इस उद्योग का विदेशियों द्वारा शोषण किया जा रहा है अत: ऋण तभी दिया जाय जब

[कुमारी एनी मस्करीन]

यह शर्त रख दी जाय कि वह लोग इस उद्योग का विकास करेंगे ।

(पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए)

अभी पिछले दिनों जब मैं फैक्टरी को देखने के लिये गई तो यह पता लगा कि उन्हें जो १५ लाख का ऋण मिला था उस में से नौ लाख रुपया तो बकाया वेतनों के रूप में दिया गया है । और केवल ६ लाख रुपया उद्योग में लगाया गया है मैं ने प्रबन्धक से बात चीत की, पहले तो उस ने जानकारी देने में आना-कानी की, परन्तु मुझे फिर लोकसभा सदस्य होने के नाते उपर्युक्त जानकारी दे दी । मैं ने इस सम्बन्ध में औद्योगिक निगम को चेतावनी भी दे दी है ।

टिटेनियम के उत्पादों के वितरण के बारे में यह स्थिति है कि उद्योग आरम्भ हुआ था तब अधिक उत्पादन भी होने लगा । उस समय हमारे वितरक हमारे अपने उद्योग के अभिकर्त्ता थे, परन्तु पिछली मई में, वह अभिकर्ता बदल दिये गये हैं और यह कार्य टी० टी० कृष्णमाचारी एंड कम्पनी को सौंप दिया गया है । विकास के समय मंत्रालय ने अपने प्रभाव द्वारा अभिकर्ताओं को बदल दिया । क्या यह मंत्रालय की स्वार्थपरता नहीं है ? तमाम औद्योगिक उत्पादनों के वितरण के लिये टी० टी० कृष्णमाचारी एंड कम्पनी ने अपने अभिकर्ता हैं और ऐसा परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में एक निर्णय किया गया था । क्या यह सब कुछ स्वयं ही हुआ है ? मैं तो यह चाहती हूं कि मंत्रालय संशय से परे होने चाहियें . . . (अन्तर्बाधायें) । मुझे तो संदेह है कि इस कार्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का हाथ है । मैं इसी सम्बन्ध में श्री नायर से सहमत हूं । मझे इस बात पर विशेष आपत्ति है कि एक मंत्री के पुत्र वितरक अभिकर्ता हों, विशेषकर जबकि उन के पास वाणिज्य तथा उद्योग विभाग हों ।

अगली बात रंग उद्योग के बारे में है । रंगों की भी इस देश में बहुत अधिक आवश्यकता है । हम इस का पर्याप्त आयात कर रहे हैं । यदि टिटेनियम डाईआक्साइड को अलसी के तेल में मिला कर कुछ रासायनिक प्रयोग किये जायें तो इस से बड़े सस्ते मूल्य का रंग तैयार हो जाता है । इस प्रकार त्रावनकोर-कोचीन में इस उद्योग के विकसित किये जाने की बड़ी गुंजाइश है । मैं ने इस सम्बन्ध में विदेशी प्रबन्धक से बातचीत की थी, परन्तु उस ने इन्कार कर दिया । सारे भारत में यही एक ऐसा उद्योग है जिस के लिये कच्चा माल इतनी बहुतात में उपलब्ध है ।

हम देश के लाभ के लिये इस का विकास भी कर सकते हैं । हमारे देश में रंग छोटे पैमाने पर तैयार किया जाता है ।

मैं माननीय मंत्री के समक्ष वह तथ्य रख रही हूं जो हमारे देश को नष्ट करते हैं, और मेरे निर्वाचकों को बेरोज़गार कर रहे हैं ।

यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इस प्रकार के पक्षपात तथा भेद भाव की निंदा करूं । जिन लोगों का रोज़गार आप इस प्रकार छीन रहे हैं क्या वह आप की सहायता कर सकते हैं और आप क्या उन लोगों से ऐसी आशायें रख सकते हैं ? इस उद्योग में १५ लाख रुपये विदेशियों पर व्यय किये जाने की आज्ञा दी गई है अतः इस परिस्थिति में मैं अपना कर्तव्य समझती हूं कि आप से यह प्रार्थना करूं कि प्रशासन में सुधार किया जाये

श्री एल० एन० मिश्र (दरभंगा व भागलपुर) : मैं कुछ भी कहने की इच्छा नहीं रखता था किन्तु व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार जैसे अन्तर्राष्ट्रीय निकाय के सम्बन्ध में श्री वी० पी० नायर के विचारों ने मुझे उत्तेजित कर दिया है । मेरा विचार है कि श्री नायर ने जो कुछ कहा था वह सदन की प्रतिष्ठा के लिये अपमानसूचक था । व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है तथा इस ने अनेक अच्छे कार्य किये हैं । यह बात सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष अथवा विश्व बैंक की भांति उसे सफलता नहीं मिली है । परन्तु विश्व व्यापार के प्रसार में यह अत्यन्त सहायक सिद्ध हुआ है । प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतों की कमी का स्वतः प्रसार करने के साथ ही व्यापार जगत में भेदजनक व्यवहार के प्रति यह एक प्रबल संरक्षण है ।

पाकिस्तान के साथ पटसन के सम्बन्ध में हमारा झगड़ा सुलझाने में इस ने सहायता दी है किन्तु श्री नायर ने उस की कोई प्रशंसा नहीं की वरन् उन्होंने संगठना की भर्त्सना ही की है । मैं नहीं समझता कि इस संस्था का सदस्य होने के नाते हमें किसी संरक्षित वस्तु के सम्बन्ध में हानि उठानी पड़ी है । मेरा विचार है कि इस संस्था का सदस्य बना रहने में भारत औचित्य युक्त कार्य कर रहा है ।

श्री झुनझुनवाला : (भागलपुर मध्य) : माननीय मंत्री की प्रशासनिक योग्यता का प्रशंसक होते हुए भी मैं उन की कितनी बातों से सहमत नहीं हूं ।

मैं उन की मात्रा सम्बन्धी नियंत्रण की नीति को नहीं समझ सका हूं । उन्होंने यह युक्ति उपस्थित की है कि जब बाजार में अधिक वस्तुयें होंगी तो उपभोक्ताओं को वे सस्ती कीमतों पर मिलेंगी । किन्तु मेरे विचार में सस्ती वस्तुयें मिलने का कारण मात्रा सम्बन्धी नियंत्रण में ढिलाई नहीं वरन् बाजार में अधिक वस्तुओं की उपलब्धि है ।

विदेशी वस्तुओं की कीमतें कम करने में सब से बड़ी बाधा का कारण यह है कि अभ्यंश केवल प्रस्थापित व्यापारियों तक ही सीमित रखे गये थे । प्रारम्भ से ही इस अन्याय की ओर संकेत किया जा रहा है । हम ने अनेक बार यह जानने का प्रयत्न किया कि इस के परोक्ष में क्या सिद्धान्त है लेकिन कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला । इस से उपभोक्ता को भले ही कुछ अस्थायी लाभ हो, हमारे उद्योगों के विकास में अवरोध उत्पन्न होगा । माननीय मंत्री को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि उपभोक्ता को वस्तुयें उचित और सस्ते मूल्य पर मिले किन्तु वे वस्तुयें अच्छी भी हों । उन्हें देश का आगामी भविष्य विस्परण नहीं कर देना चाहिये । यदि बाहर से मंगाई गई उपभोक्ता वस्तुओं की कमी है तो लोग स्वदेश में बनी वस्तुओं को खरीदेंगे । कुछ समय के लिये वे इन स्वदेशी वस्तुओं को पसन्द न करें किन्तु वे इन्हें खरीदने के लिये विवश हो जायेंगे । स्वाभाविक है हमारे उद्योगों का विकास होगा ।

माननीय मंत्री ने आयात में ढिलाई करने के सम्बन्ध में अनेक बातें कहीं, किन्तु देश को वर्तमान में मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों की आवश्यकता है । हमारे देशवासियों को विदेशी वस्तुयें खरीदने के स्थान पर यहां की बनी वस्तुयें ही खरीदना चाहियें । ऐसा तभी हो सकता है जब वे यह अनुभव करें कि उन के लिये स्वदेशी वस्तुयें खरीदने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है । माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह अपना नारा "उपभोक्ता की प्राथमिकता" के स्थान पर "उपभोक्ताओं की देशभक्ति" कर दें ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : विधेयक पर चर्चा होते समय मैं सदन में

[श्री तुलसीदास]

उपस्थित नहीं था । अतः यदि मैं किसी बात को दोहरा दूं तो उम्मीद है आप मुझे क्षमा करेंगे ।

मंत्रालय ने १९५०–५१ में एक आयात नियंत्रण समिति की नियुक्ति की थी । मुझे उस का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । इस में हमें अनेक कठिनाइयों का अनुभव हुआ । विभिन्न सम्बन्धित हितों ने विभिन्न कठिनाइयों की ओर संकेत किया । उन दिनों विदेश विनिमय कठिनाइयों का भी प्रश्न था । अतः हम ने आयात में ढिलाई करने का सुझाव उपस्थित नहीं किया था जैसा कि अब प्रस्तुत विधेयक में किया जा रहा है । आयात शुल्क और आयात में ढिलाई अत्यन्त स्वस्थ है । हम ने सदैव यही अनुभव किया कि यह आदर्श सिद्ध होगा । लेकिन इस प्रकार का निश्चित सिद्धान्त निर्धारित करना अत्यन्त कठिन है कि एक विशिष्ट वस्तु के विषय में मात्रा सम्बन्धी नियंत्रण उचित रहेगा अथवा आयात शुल्क में वृद्धि या उस पर पूर्ण प्रतिबन्ध श्रेयस्कर है । हम ने अनुभव किया कि दोनों में सन्तुलन स्थापित करने की आवश्यकता है । प्रस्तुत विधेयक के सम्बन्ध में भी मेरा यही मत है ।

मैं प्रस्तुत व्यवस्था का स्वागत करता हूं । लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि इस मात्रा सम्बन्धी नियंत्रण का विचार परिव्यक्त नहीं कर सकते हैं । इस देश में निर्मित कुछ विशिष्ट वस्तुओं के प्रति लोगों की हीन भावना है और इस देश में उद्योग उन वस्तुओं के उत्पादन की पर्याप्त क्षमता रखता है फिर भी लोग विदेश में बनी वस्तुयें खरीदना ही पसन्द करते हैं । उन वस्तुओं पर आयात शुल्क में वृद्धि कर देने पर भी उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचना सम्भव नहीं था । मेरा विचार है कि इस प्रकार की वस्तुओं के सम्बन्ध में मात्रा सम्बन्धी नियंत्रण रहने चाहियें ।

इस के बाद विदेशी पूंजी का प्रश्न है । एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम स्थिर नीति नहीं रख सकते हैं । लेकिन हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना है कि कहीं हमारे उद्योग विनष्ट न हो जायें जैसा दियासलाई उद्योग के सम्बन्ध में हुआ था । भारतीय पूंजी द्वारा स्थापित दियासलाई का प्रत्येक उद्योग विदेशी पूंजी द्वारा पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया । अतः स्थिर नीति अपनाना कठिन है । प्रत्येक देश में यह नीति सम्बल प्राप्त कर रही है कि प्रत्येक उद्योग देश के राष्ट्रजनों द्वारा ही संचालित किया जाये । अतः हमें यह विचार करना है कि विदेशी पूंजी के प्रादुर्भाव से वैसी स्थिति न हो जाये जैसी दो उद्योगों दियासलाई और सिगरेट के सम्बन्ध में हुई थी ।

मैं यह बात मानता हूं कि आयात शुल्क राजस्व का साधन है तथा इस से देश के बृहत्तर हित का लाभ होगा । लेकिन सिद्धान्त की दृष्टि से निर्यात शुल्क देश के हितों के सर्वथा विरुद्ध है । हम चाहते हैं कि इस देश से वस्तुओं का निर्यात हो और जिन वस्तुओं के निर्यात की अनुमति हम दें, निर्यात शुल्क को सिद्धान्त रूप में राजस्व का साधन नहीं समझना चाहिये असाधारण स्थिति में ही ऐसा राजस्व का साधन समझना चाहिये जैसा युद्ध के पश्चात् हुआ था । निर्यात शुल्क ने विदेशों में भारत को अपयश का भागी बनाया है और जो देश हमारे यहां की वस्तुओं को खरीदते थे उन के लिये यह असन्तोषकारी सिद्ध हुआ है ।

वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत विवरण में एक और बात का उल्लेख किया गया है । जब कभी भी मात्रा सम्बन्धी नियंत्रण होता

है तो मध्यम व्यक्ति (आढ़तियां) ही लाभ अर्जन करता है तथा आयात में ढिलाई की अनुमति दे कर राजकोष को यह लाभ प्राप्त कर लेना चाहिये । मैं आप को विश्वास दिला दूं कि लाभ निश्चित रूप में उपभोक्ताओं के हाथों में ही जायेगा । यह एक अच्छी बात है ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत व्यवस्था का स्वागत करता हूं ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : पिछले दो दिन से इस बिल पर जो बहस चल रही है उस को और हमारे मिनिस्टर महोदय ने जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पालिसी के बारे में जो बयान दिया है और हमारे श्री अशोक मेहता ने जो इस विषय में बहुत कुछ कहा उन को तुलना करने से हिन्दुस्तान की इंडस्ट्रियल पालिसी हमारे सामने आ जाती है । मेरी समझ में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पालिसी में इस बिल में जो लिबरलाइजेशन किया गया है वह हमारे देश की सनत को बढ़ावा देने वाली पालिसी नहीं है । लिबरलाइज़ेशन पालिसी से हिन्दुस्तान में जो चीज़ें पैदा होती हैं उन को और हमारी सनत को बढ़ावा नहीं हो सकता । रा मैटीरियल के लिये ड्यूटी लगनी चाहिये ताकि रा मैटीरियल का एक्सपोर्ट कम हो, अलबत्ता फिनिश्ड गुड्स में आप लिबरलाइज़ेशन से काम ले सकते हैं और आज हम देखते हैं कि हमारी गलत और लिबरल पालिसी की वजह से हमारे घरेलू उद्योग और काटेज इंडस्ट्रीज तरक्की नहीं कर रही हैं और उन को तरक्की देने के लिये यह जरूरी है कि हम अपना जरूरी रा मैटीरियल का सामान दूसरे देशों में जाने से रोकें और उस पर ड्यूटी वगैरह लगायें और उस में लिबरलाइज़ेशन बर्तें । हमें जो देश में गृह उद्योग हैं उन को इस प्रकार से बढ़ावा देना चाहिये और सहूलियतें और संरक्षण देना चाहिये जैसी आप की साइकिल इंडस्ट्री है इस को प्रोटैक्शन जरूरी है और आप दे रहे हैं । देश की टैक्सटाइल इंडस्ट्री को पिछले सौ वर्षों से प्रोटैक्शन दिया जा रहा है और यह देना जरूरी है क्योंकि तभी फौरेन चीजों से वह कम्पीट कर सकती हैं, उस इंडस्ट्री को सूत और कपास में अन्दरूनी तौर पर प्रोटैक्शन मिलता है । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे देश की बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं उन को बढ़ावा देने के लिये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पालिसी का रिवाइज़ होना जरूरी है । हमें रा मैटीरियल जिन की कि खुद हमारे उद्योगों को जरूरत है उन के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाना चाहिये लेकिन फिनिश्ड गुड्स पर जो ड्यूटी लगाई जाती है वह मैं बिल्कुल गलत पालिसी समझता हूं । हां रा मैटीरियल के बारे में आप एक्सपोर्ट में लिबरल मत रहिये और ड्यूटी अवश्य लगाइये । बस और अधिक न कहते हुए मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और उस के अनुसार अपनी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पालिसी चलाये जिस से हमारे देश के जो गृह उद्योग हैं बेसिक इंडस्ट्रीज हैं वह तरक्की करें । वर्तमान रूप में जिस प्रकार यह बिल है उस का मैं पूरा समर्थन तो नहीं कर सकता, तथापि मुझे आशा है कि सरकार मेरे सुझाव पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कुमारी एनी मस्करीन ने टिटेनियम डायोक्साइड के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे थे । प्रशुल्क आयोग ने इस की जांच की है और सरकार के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । सरकार ने इस पर ९दिसम्बर, १९५३ को संकल्प जारी किया था । प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की है—प्रतिवेदन पुस्तकालय में उपलब्ध है—कि ट्रावनकोर टिटेनियम प्राडक्ट्स लिमिटेड को टिटेनियम पिगमेंट्स का विक्रय मूल्य अनातेस के लिये १४० रु० प्रति हंडरवेट अथवा उससे कम

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

और रुटाइल का १५४ रु० प्रति हंडरडवेट हो। उक्त स्तर पर मूल्य कम करने में समवाय को समर्थ बनाने की दृष्टि से, उस ने सिफारिश की कि दोनों प्रकार के टिटेनियम डायोक्साइड की बिक्री पर प्रति टन ३०० रु० की सहायता दी जाये जो अधिकतम २,७०,००० रु० तक हो, इलमिनाइट के निर्यात पर २ रु० प्रति टन अधिक कर लगाया जाये और समवाय द्वारा कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त टिटेनियम हेट्राकलोराइड पर बहिःशुल्क वापस लौटा दिया जाये। संकल्प की दूसरी कंडिका में सरकार ने कहा है :

"सरकार देश में टिटेनियम डायोक्साइड के उपभोग में वृद्धि करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में आयोग से सहमत है।"

भारतीय समवाय को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों को अभी क्रियान्वित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस के बाद से उस समवाय को भारी निर्यात का आर्डर मिल गया है, जिस से आशा की जाती है, कि वह बिना किसी आर्थिक सहायता के लाभकारी उत्पादन बनाये रख सकता है। और फिर चूंकि वह उद्योग अपने उत्पादन को एनाटेस प्रकार के टिटेनियम पिगमेंट तक ही सीमित रखना चाहता है, अतः टिटेनियम ट्रेट्राल्कोराइड पर आयात शुल्क के सम्बन्ध में उसे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।

कुमारी एनी मैस्करीन : टिटेनियम डाईआक्साइड के विषय क्या होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक टिटेनियम डाईआक्साइड का सम्बन्ध है, जो चीज बिक रही है वह एनाटेस प्रकार का टिटेनियम पिगमेंट है।

उप-पैरा (क) से (ट) में प्रशुल्क आयोग की अन्य सिफारिशें भी हैं जिन की चर्चा मंत्रालय के संकल्प के पैरा ४ में की गई है। पैरा ५ में सरकार ने कहा है कि :

"इन सिफारिशों के क्रियान्वीकरण में सहायता देने के लिये सरकार यथा संभव उपयुक्त कार्यवाही करेगी। इस अवसर पर वह उद्योग का ध्यान पूर्व पैराग्राफ की सिफारिशों (ञ) और (ट) की ओर आकर्षित करती है, जो लागत को कम करने और देश में टिटेनियम डाईआक्साइड के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये उस के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में है।"

कुमारी एनी मैस्करीन : मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। क्या उन को १५ लाख रुपये देने के बाद सरकार ने कभी उन के लेखाओं के परीक्षण के लिये कहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सच तो यह है कि १५ लाख रुपये की वह राशि सरकार द्वारा नहीं बल्कि औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी गई थी। अतः लेखा परीक्षण का कार्य औद्योगिक वित्त निगम का है। सरकार ने यह धन नहीं दिया है।

कुमारी एनी मैस्करीन : परन्तु सरकार ने सिफारिश की है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस पैराग्राफ ५ के अतिरिक्त मुझे पता नहीं क्या किया गया है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, सभा को मेरे कथन पर विश्वास करना होगा कि मुझे इस के विषय में कुछ भी नहीं मालूम है। मैं ने उन से किसी को भी ऐजेंसी देने के लिये नहीं कहा था। परन्तु निश्चय ही मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि क्या पैरा ५ में सिफारिशें करते समय मंत्रालय ने किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा की थी या एजेंसी दिये जाने के लिये किसी व्यक्ति विशेष की सिफारिश की थी। मैं समझता हूं

कि इस के परे मेरी माननीय मित्र काल्पनिक बातें कर रही हैं ।

कुमारी एनी मैस्करीन : मुझे यह सूचना सीधे त्रावनकोर टिटेनियम प्राडक्ट्स लिमिटेड, के प्रबन्धक से प्राप्त हुई थी कि सर्व श्री टी० टी० कृष्णमाचारी एण्ड कम्पनी को एजेन्सी दी जायेगी ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम इस सम्बन्ध में जांच करेंगे कि क्या किसी ने किसी फर्म विशेष की सिफारिश की है । यह जांच की जायेगी और उस जांच के परिणाम संसदीय-कार्य के मंत्रालय को भेज दिये जायेंगे और सभा के सदस्यों को प्राप्त हो जायेंगे । इस से अधिक मैं उस मामले पर और कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि टिटेनियम उत्पादों के उपयोग के द्वारा भारत में बैरियम क्लोराइड का निर्माण करने के लिये सरकार ने किसी जर्मन फर्म को आमंत्रित किया है, और यदि हां, तो उस जर्मन फर्म के अभिकर्ताओं के रूप में आज-कल कौन व्यक्ति काम कर रहे हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार किसी को आमंत्रित नहीं करती है । मैं समझता हूं कि बेरियम क्लोराइड के सम्बन्ध में हम कोई विशेष जांच नहीं करवा रहे हैं । इस मामले में सरकार ने अभी तक कोई अगुआई नहीं की है । कदाचित् औद्योगिक विकास निगम के अधीन वह ऐसा करे । बहुत सी चीजें हो सकती हैं । वस्तुतः सलेम के लोगों ने मेरे पास अभ्यावेदन भेजे हैं कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जाये । परन्तु हम ने उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है ।

मेरे माननीय मित्र श्री एल० एन० मिश्र ने व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के विषय में सरकार की नीति का जो समर्थन किया उस के लिये मैं उन का कृतज्ञ हूं ।

श्री झुनझुनवाला मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं । व्यक्तिगत रूप से वे मेरे समर्थक हैं । परन्तु मेरी नीतियों से वह सहमत नहीं हैं । उतने समर्थन के लिये मैं कृतज्ञ हूं परन्तु जहां पर वह मुझ से असहमत हैं, मैं समझता हूं वह मेरा दुर्भाग्य है । फिर भी मैं यह समझता नहीं हूं कि उन्हों ने जो कुछ कहा, उस से मुझे यह विश्वास हो गया है कि मेरी नीति गलत है ।

सच बात तो यह है कि उपभोक्ता की मांग के सम्बन्ध में, केवल कुछ वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने मात्र से मांग नहीं होती । कहा जाता है कि प्रकृति शून्य से घृणा करती है, परन्तु जहां तक मांग और पूर्ति के प्रश्न का सम्बन्ध है, जब तक कि प्रदाय नहीं होता, मांग नहीं होती । और यदि प्रदाय को बलति, रोक दिया जाये, तो मांग समाप्त हो जाती है । लोग कुछ चीजों के उपयोग के आदी होते हैं और यदि वे चीजें उन्हें प्राप्त न हों तो वे उन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और या तो वे अन्य एवज चीजें खरीदेंगे या फिर उन वस्तुओं का उपयोग ही छोड़ देंगे अतः यदि आप सचमुच इस देश का औद्योगीकरण करना चाहते हैं—और देश में औद्योगीकरण का अर्थ है कुछ उपभोक्ता सामग्रियों का उत्पादन क्योंकि सभी उत्पादक पदार्थों या उत्पादक मशीन आदि का अन्ततोगत्वा एकमात्र ध्येय उपभोक्ता सामग्रियों का उत्पादन करना और उपभोक्ता के जीवन-यापन स्तर को ऊपर उठाना होता है—तो हमें मांग पैदा करनी होगी । उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु का इस्तेमाल करवाना एक कठिन चीज है । माननीय सदस्य ने उपभोक्ताओं के अधिमान की चर्चा की । मैं तो उपभोक्ता का रूझान कहूंगा । उपभोक्ता का अधिमान

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

अधिकाधिक उपभोग सामग्रियों के उपलब्ध होने के साथ साथ बढ़ता जाता है।

मैं सभा में खुदरा वितरण के सम्बन्ध में इंग्लैंड में किये गये एक प्रयोग की चर्चा करना चाहूंगा। आम तौर पर खुदरा दुकान पर एक विक्रेता होता है। लोग जाते हैं और किसी वस्तु विशेष की मांग करते हैं और विक्रेता उन्हें मूल्य बता देता है और वह वस्तु बेच देता है या वह उन के हाथ कोई और चीज बेचना चाहता है, और इसीलिये वह कहता है कि अमुक चीज सस्ती और अच्छी है। परन्तु ब्रिटेन में अब बहुत से स्थानों पर इस प्रकार से बिक्री नहीं की जाती है। वहां ऐसी दुकानें हैं जिन में सभी चीजें रखी होती हैं और लोग जाते हैं और अपनी पसन्द की वस्तु छांट लेते हैं। फिर कांउंटर पर उसका बिल बनवा कर उस का मूल्य चुकता कर देते हैं और चले जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार, इस के फलस्वरूप बहुत सी दुकानों की बिक्री चार सौ प्रतिशत तक बढ़ गई है। एक व्यक्ति किसी दुकान पर टूथपेस्ट खरीदने जाता है, परन्तु वहां पर वह कोई और अच्छी चीज देखता है, और तब उस को याद आता है कि शायद उस चीज की भी उस को आवश्यकता है, अतः उस को भी खरीद लिया जाये। और वह उस चीज को भी ले लेता है, और इसी प्रकार वह अन्य चीजें देखता है और उन को खरीद लेता है। अन्त में वह उन सब वस्तुओं का दाम दे कर चला जाता है। अतः लोगों द्वारा चीजों को देखे जाने का प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसलिये दुकानों में एक प्रदर्शन की खिड़की (शाप विन्डो) होती है। यदि कोई महिला किसी साढ़ी की दुकान पर जाती है, तो उस का पति उस के साथ केवल एक साढ़ी खरीदने के लिये जाता है। परन्तु वहां पर वह महिला अन्य प्रकार की साढ़ियां भी देखती है, और जब तक कि उस का पति बहुत नाराज न हों, वह दो साढ़ियां खरीद लेती है। बिल्कुल यही बात वहां पर भी लागू होती है जहां पर कि मेरे समान कोई व्यक्ति किसी किताबों की दुकान पर जाता है। मैं एक विशेष पुस्तक खरीदने के लिये जाता हूं, परन्तु वहां मैं कोई और पुस्तक देखता हूं और उस के आकर्षक आवरण आदि से प्रभावित हो कर या यह सोच कर कि शायद वह एक अच्छी पुस्तक हो मैं उसे खरीद लेता हूं।

अतः उपभोग का रुझान देखने से और उस अवसर पर होने वाली अन्य चीजों से विकसित होता है। इसलिये यह कहना व्यर्थ है कि आप माल पर प्रतिबन्ध लगा दीजिये तो मांग बढ़ जायेगी। संभव है जिस क्षेत्र विशेष में मेरे मित्र काम कर रहे हैं, उस में यह बात ठीक हो, परन्तु एक ऐसे व्यक्ति के दृष्टिकोण से, जो इस के बारे में कुछ अधिक जानता है, एक ऐसे व्यक्ति के दृष्टिकोण से, जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होता है जो उन मनोवैज्ञानिक तथा अन्य बातों को जानते हैं जिन से मांग बढ़ती है, श्री झुनझुनवाला का विचार सही नहीं है।

श्री तुलसी दास ने विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में कहा। उन्हों ने इस पर बहुत जोर नहीं दिया। परन्तु एक बात उन्हों ने आयात और निर्यात शुल्कों के सम्बन्ध में सरकार के पक्षपात के विषय में कही। मैं बता चुका हूं—और मैं समझता हूं कि मेरे सहयोगी वित्त मंत्री भी एक या दो बार इस बात को कह चुके हैं—कि जब कि हम आयात शुल्कों का उपयोग राजस्व पैदा करने के लिये करते हैं, हम निर्यात शुल्कों को केवल राजस्व पैदा करने के प्रयोजन के लिये काम में नहीं लाते हैं। निर्यात शुल्कों से प्रसांगिक रूप में राजस्व अर्जित हो जाता है और उस की हमें प्रसन्नता है क्योंकि हम धन प्राप्त करना

चाहेंगे । परन्तु यदि हम यह देखते हैं कि विदेशी ग्राहक वस्तुओं मूल्य को अधिक समझता है और इसलिये वह उन्हें नहीं खरीदता, तो हम निर्यात शुल्कों को घटाने या उन को बिल्कुल समाप्त कर देने के लिये सदैव तैयार रहते हैं । चाहे हमें हानि उठानी पड़े और उस की पूर्ति अन्य उपायों से करनी पड़े, परन्तु हम निर्यात शुल्कों को अपने देश के लोगों को मिले हुए अतिरिक्त धन को इकट्ठा करने के एक उपाय के रूप में मानने को सदैव तैयार रहते हैं । हम उसे एक अस्थायी राजस्व के साधन के रूप में नहीं देखते हैं, और न हम ऐसा चाहते हैं । इस सम्बन्ध में यही हमारा दृष्टिकोण है । परन्तु कदाचित्, इस नीति को क्रियान्वित करते समय हम उतना आगे नहीं जाते हैं जितना कि श्री तुलसी दास हम से चाहते हैं । कभी कभी सरकार से गलती हो जाती है .....

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : उदाहरणार्थ काली मिर्च के मामले में ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दुर्भाग्यवश काली मिर्च के मामले में स्थिति यह है कि जब कि मैं ने करीब करीब यह निश्चय कर लिया कि इस में कमी की आवश्यकता है, तो मैं देखता हूं कि भाव बढ़ जाते हैं । एक समय वह था जबकि हम ने यह अनुभव किया कि अब और नीचे हम नहीं जा सकते हैं और घटे हुए भावों के विषय में हम परेशान थे । अगले सप्ताह में मेरे कार्यालय ने मुझे बताया कि भाव बहुत बढ़ गये हैं । मेरी रुझान न होने का कोई प्रश्न नहीं है, यह तो श्री थामस तथा उन के मित्रों की अपेक्षा बाजार का मेरे लिये अधिक अनुकूल होने की बात है ।

श्री ए० एम० थामस : अभी भी वह १,३०० रुपये से अधिक नहीं है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस विषय में मतभेद हो सकता है । मैं नीति बता रहा हूं और उस नीति को क्रियान्वित करते समय व्यापार तथा उत्पादक के हाथों में जाने वाले धन के बीच परस्पर विरोधी दावों के समायोजन का प्रश्न होता है । और इस में से कुछ धन राज्य के पास जाता है । मुझे कहना पड़ता है कि इस में सरकार को ही मध्यस्थ बनना होता है, और हमें उसे भली प्रकार निबाहना पड़ता है । आप यह कह सकते हैं कि कोई विशेष निश्चय जो हम करते हैं, वह उस नीति को क्रियान्वित करने का सही तरीका नहीं है परन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि मूलत: हमारी नीति सही है क्योंकि हम निर्यात शुल्कों को अपने स्थायी राजस्व का एक अंग नहीं मानते हैं ।

खेद है कि तामिल और अंग्रेजी को छोड़ कर मुझे अन्य कोई भाषा नहीं आती है । इसलिये मेरे मित्र श्री शिवमूर्ति स्वामी ने जो कुछ कहा मैं उसे समझ नहीं सका । शायद वह मेरे सुनने के लिये नहीं था, अत: मैं उसे यूंही छोड़ देता हूं ।

श्री वी० पी० नायर : यह बहुत अनुचित है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस तृतीय वाचन में सरकार ने अपने भरसक सभी के उत्तर देने का प्रयत्न किया है । वे उत्तर संतोषजनक हैं या नहीं, यह तो माननीय सदस्यों का अपना अपना विचार है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : सभा दूसरा कार्य प्रारम्भ करेगी । पुनर्वास मंत्री—वे सभा म उपस्थित नहीं हैं ।

श्री वी० पी० नायर : मेरा सुझाव है कि सभा कार्य पांच मिनट के लिय स्थगित कर दिया जाये ।

सभापति महोदय : मेरे विचार से हमें पांच मिनट के लिये कार्य स्थगित कर देना चाहिये ।

(इस के पश्चात् सभा स्थगित हुई)

लोक-सभा एक बज कर चार मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए ।]

निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मुझे सभा की असुविधा का बड़ा खेद है । राज्य सभा में भी एक विधेयक प्रस्तुत था तथा वहां मैं उस पर भाषण दे रहा था । जैसे ही मैं ने सुना वैसे ही अपने भाषण को बीच में ही छोड़ कर मैं यहां चला आया तथा सूचित समय से कुछ मिनट पहले ही उपस्थित हो गया ।

श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने ७ मई, १९५४ को या बाद में कोई ऐसा कार्य किया हो जिस से यदि वे उक्त तिथि से पूर्व करते तो वे निष्क्रान्त सम्पत्ति सम्बन्धी विधि के अधीन आ जाते, उक्त विधि निराकरण करने और इस प्रयोजन तथा कतिपय अन्य प्रयोजनों के लिये निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था अधिनियम १९५०, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मेरे विचार से कोई भी सदस्य इस बात से असहमत नहीं होगा कि निष्क्रान्त सम्पत्ति विधि के समान कोई भी विधि किसी देश में प्रचलित नहीं है । ऐसी विधि पर किसी भी देश को गर्व नहीं हो सकता । परन्तु असाधारण कारणों से हमें इस विधि को प्रस्तुत करना पड़ा । पिछले सात वर्ष से यह लागू है तथा देश ने इस काल में पर्याप्त सफलता प्राप्त कर ली है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय के झगड़े समाप्त हो चुके हैं तथा देश में सर्वत्र शान्ति दिखाई देती है । अब प्रश्न है कि यह असाधारण विधि अब समाप्त हो जानी चाहिये अथवा नहीं । मेरे विचार से अब इस की समाप्ति का समय आ गया है । अतः हम विचार-विनियम के पश्चात् दो निश्चयों पर आए एक तो निष्क्रान्त सम्पत्ति के बटवारे के संबंध में है तथा दूसरा निष्क्रान्त सम्पत्ति विधि की समाप्ति । कुछ दिन हुए अभी लोक सभा में शरणार्थियों के लिये प्रतिकर तथा पुनर्वास अनुदान के सम्बन्ध में एक विधेयक पारित हुआ है । वह उक्त निर्णय का एक भाग था तथा यह दूसरा है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जो सम्पत्ति ७ मई १९५४ से पहले निष्क्रान्त सम्पत्ति थी वही निष्क्रान्त सम्पत्ति समझी जायेगी । वह सम्पत्ति जिस पर ७ मई १९५४ को निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा है निष्क्रान्त सम्पत्ति समझी जायेगी या नहीं यह निर्णय पर निर्भर होगा । तीसरी प्रकार की सम्पत्तियां वे सम्पत्तियां हैं जो विधि के अनुसार ७ मई १९५४ को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित की जानी चाहिये थी परन्तु जिन के बारे में कार्यवाही चालू नहीं हुई । सभा जानती है कि एक बड़ा ही कठिन कार्य है । सारे देश में लाखों सम्पत्तियां बांटी गईं । हम ने उन के लिये व्यवस्था की परन्तु फिर भी देश के कुछ भागों में विधि की, राज्य शासन की कठिनाइयां सामने आईं । जैसे उत्तर प्रदेश में पिछले चार पांच वर्षों में भूमि सुधार हुए तथा ये भूमि सुधार निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम के आड़े आये । पर्याप्त वाद-विवाद

के पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार से इन मामलों पर फैसला हुआ। जो कि माननीय सदस्यों ने समाचार. पत्रों में पढ़ा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार से हमारे समझौते की शर्तें भी विधेयक में रख दी गई हैं। कुछ अन्य राज्यों में दूसरे प्रकार की कठिनाइयां आईं जैसे विधि के अनुसार जो सम्पत्तियां निष्क्रान्त सम्पत्ति के अन्तर्गत आईं परन्तु जिन के विरुद्ध मुकदमे चालू नहीं किये गये उन के सम्बन्ध में क्या करना चाहिये। खंड (ख) में ऐसी सम्पत्तियों के विरुद्ध कार्य करने के सम्बन्ध में कहा गया है। मेरे संशोधन में, खंड (ख) में दिये गये अधिकारों को कम करने के लिये कहा गया है। खंड (ख) में, जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गये हैं तथा जिन्हों ने अपनी सभी वस्तुयें पाकिस्तान भेज दी हैं अथवा जिन को पाकिस्तान में निष्क्रान्त सम्पत्ति मिल गई हैं उन के विरुद्ध कार्य करने के सम्बन्ध में है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अब वह समय आ चुका है जब कि हमें निष्क्रान्त सम्पत्ति विधि की आवश्यकता नहीं रहेगी और इसलिये हम ने इस की पूर्ति करने के लिये ही धारा ३ तथा ७ बनाई हैं। निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम की धारा १६ के अन्तर्गत कुछ सम्पत्तियां निष्क्रान्त सम्पत्ति के अन्तर्गत आई थीं उन को पहले व्यक्तियों को देने का अधिकार दिया गया है। मूल विधि में इस के आवेदन पत्र भेजने के समय को निर्धारित नहीं किया गया है। कुछ दिन पूर्व सभा में एक विधेयक पारित हुआ है कि निष्क्रान्त सम्पत्तियां प्रतिकर के रूप में दी जाने वाली होंगी। परन्तु कुछ सम्पत्तियां ऐसी होंगी जिन के लिये झगड़े चल रहे होंगे। इसीलिये हमने खंड ५ में दिया है कि भविष्य में जो व्यक्ति धारा १६ के अन्तर्गत आवेदन पत्र देना चाहेगा, उसे पहले कस्टोडियन जनरल का आज्ञा-पत्र प्राप्त करना होगा तथा उसके पश्चात् उसको आवेदन पत्रदे ने के लिये ६० दिन का अवसर दिया जायेगा। मेरे विचार से इस समय ऐसे उपबन्ध की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन हुए एक मुकदमे में अबुबकर विरोधी कस्टोडियन जनरल के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने लिखा है कि निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम की धारा ७ में किसी मामले में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मुकदमा समाप्त कर दिया जायेगा। साधारणतया दीवानी के मामलों में, एक पक्ष की मृत्यु हो जाने पर उस का वारिस खड़ा हो जाता है परन्तु इस विधि में कोई ऐसा उपाय नहीं है।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : उस मामले में विवाद समाप्त होने के पश्चात् जिस रोज फैसला होने को था उसी रात को वे सज्जन मर गये तथा फैसले पर हस्ताक्षर होने से रह गये तथा उच्चतम न्यायालय ने फिर भी इस के विरुद्ध ही कहा।

श्री ए० पी० जैन : दिवालिया विधि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो भी उस के विरुद्ध उसी प्रकार मुकदमा चलता रहेगा जैसे कि वह व्यक्ति जीवित हो। परन्तु इस विधि में ऐसा नहीं है। और उच्चतम न्यायालय ने केवल विधि की भाषा पर ही ध्यान दिया। हम ने बड़े-बड़े नैयायिकों से सलाह ली तथा धारा ८ की इस कमी को पूरा किया। और इसीलिये मैं ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है ; अन्य उपबन्धों के सम्बन्ध में यदि विवाद में कोई प्रश्न आयेगा तो उस का उत्तर मैं अन्त में दे दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस पर कुछ संशोधन भी हैं। क्या श्री देशपांडे अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे ह।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को ३० नवम्बर १९५४ तक इस पर राय जनाने के लिये परिचालित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

क्या श्रीमती सुचेता कृपलानी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगी । उन्हों ने प्रवर समिति के सदस्यों के नाम भी अभी तक कार्यालय में नहीं दिये हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि ।

"विधेयक को पंडित ठाकुर दास भार्गव, लाला अचिन्त राम, श्री जी० एस० मुसाफिर, श्री डी० सी० शर्मा, श्री आर० के० चौधरी, डा० रामसुभग सिंह, सरदार अमरसिंह सहगल, श्री राधा रमण, सरदार लाल सिंह, सरदार हुक्म सिंह, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री अजित प्रसाद जैन, श्री एम० एच० रहमान, श्री अमजद अली, तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और इसे अपना प्रतिवेदन ३० सितम्बर, १९५४ तक प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री वी० जी० देशपांडे : उपाध्यक्ष महोदय आज पुनर्वास मंत्री ने एक महत्वपूर्ण विधेयक, इस सदन के सम्मुख रक्खा है । इस बड़े महत्वपूर्ण विषय पर भी विस्तृत भाषण करने की चिन्ता उन्हों ने नहीं की । उन्हों ने उत्तर देते समय इस बारे में बोलने का आश्वासन दिया है । मेरा विरोध इसलिये है कि यह विषय भारत में सात वर्ष तक बना रहा । यह विधान अब तक इस देश में कार्यान्वित होता रहा और इस विधान का प्रभाव इस देश में रहने वाले करीब ७० लाख लोगों के जीवन पर पड़ने वाला है । इस में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति सम्बन्धित है । लेकिन यह सब बातें जनता के सम्मुख नहीं रक्खी गयीं । हम लोगों को "एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैक्वी प्रापर्टी ऐक्ट, १९५०" की प्रतियां भी मिली हैं परन्तु इस के सम्बन्ध में पूरा विवरण जनता के सम्मुख नहीं आया है । इस के साथ हम एक दूसरी बात भी देखते हैं कि जो विधान सदन के सामने आया है उस में अन्तिम दिन तक संशोधन चल रहे हैं । जब पिछला विधेयक हमारे सम्मुख आया था तब यह कहा गया था कि इस में १,२,३,४ केवल इस प्रकार की बातें ही रहेंगी । उस के पश्चात् हमारे मंत्री महोदय ने यहां पर आ कर उस में दूसरा ही संशोधन किया है । वह अपनी औदार्यपूर्ण नीति से इस विधान को ही समाप्त करना चाहते हैं, उस की मौत ज्यादा नजदीक ले आये हैं । मैं इस कारण यहां विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि इतनी जल्दबाजी में आप को यह विधान सदन के सामने नहीं रखना चाहिये । न तो इस को किसी प्रवर समिति में ही भेजा गया है और न जनता का मत इस के बारे संग्रहीत किया गया है । दो तीन वाक्यों में ही उस को बड़ा सरल कर दिया गया है । "मैटर्स आर ओवर सिम्पल फाइड" कि यहां किसी को मतभेद नहीं कि अब यह जो कानून है उसको समाप्त होना ही चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक घोषणा करना चाहूंगा । इस विधेयक के लिये चार घंटों का समय दिया गया है । इसलिये यदि इस पर चर्चा ५–५ तक जारी रहेगी ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : चूंकि माननीय पुनर्वास मंत्री ने कुछ अत्याधिक महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत किये हैं, इसलिये समय बढ़ा देना चाहिये ।

श्री एन० सी० चटर्जी : हमें दो घंटे और चाहियें ।

श्री ए० पी० जैन : मेरे विचार में मेरे संशोधनों के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे माननीय सदस्य जो समय बढ़वाना चाहते हैं, सदन के नेता से कह सकते हैं कि वह एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें । यदि सदन को स्वीकार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । हम एक दो घंटे नहीं, तो कम से कम एक घंटा तो और बैठ सकते हैं । इस के बाद और कोई कार्यवाही नहीं है ।

अब श्री देशपांडे अपना भाषण जारी कर सकते हैं ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

श्री वी० जी० देशपांडे : मंत्री महोदय ने यह बताया कि इस के बारे में कोई मतभेद हो ही नहीं सकता कि अब इस कानून को समाप्त होना चाहिये । मैं यहां पर इस के बारे में मतभेद व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं । एक प्रश्न में अवश्य मतभेद नहीं हो सकता कि भारत के किसी भी नागरिक पर इस कानून के कारण अन्याय नहीं होना चाहिये । किसी भी धर्म का, किसी भी जाति या किसी भी पन्थ का कोई व्यक्ति इस देश में रहने वाला हो, उस पर अन्याय नहीं होना चाहिये । इस के बारे में कोई मतभेद नहीं है । परन्तु मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह जो इवैक्यू प्रापर्टी एक्ट है, परसों जो कानून बनाया गया, उस कानून से इस देश में रहने वाले या इस देश के बाहर जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमें अन्याय नहीं करना चाहिये, न कहीं अन्याय हुआ ही है । मैं तो उल्टे यह बताना चाहता हूं कि इवैक्वी प्रापर्टी को ले कर भी हम ने यहां से जाने वालों को बड़ा दान दिया है । बात यह है कि जब इवैक्वी प्रापर्टी आर्डिनेन्स निकला और ऐक्ट हुआ तब उस का उद्देश्य ठीक था कि जो लोग इस देश को छोड़ गये या अपनी सम्पत्ति छोड़ गये उन की सम्पत्ति की देखभाल करने के लिये यह कानून बना था । लेकिन जब उन की सम्पत्ति की देखभाल करने के लिये हम यहां बैठे तब मालूम हुआ कि जो बेचारे हमारे पुरुषार्थी और शरणार्थी भाई हैं उन्हों ने जिन लोगों ने अपनी सम्पत्ति यहां छोड़ी उन से कई गुनी सम्पत्ति पाकिस्तान में छोड़ी है । जितनी सम्पत्ति यहां के लोग छोड़ गये उस से चार गुनी सम्पत्ति हमारे पुरुषार्थी भाई वहां छोड़ कर चले आये । चार गुनी सम्पत्ति हम ने उन को दान में दी । यहां से जो एक घर छोड़ कर गये उन के लिये वहां चार घर छोड़े, जो एक छोटी जमीन का टुकड़ा छोड़ गये उन के लिये हम ने बड़ी बड़ी जमीनें वहां दे दीं । उन पर इतना बड़ा उपकार करने के बाद जो बेचारे पुरुषार्थी यहां चले आये, जिन्हों ने यहां से जाने वालों के लिये इतनी बड़ी सम्पत्ति छोड़ दी, आखिर उन के लिये अगर कोई प्रबन्ध सम्भव था तो वह इवैक्वी प्रापर्टी से ही सम्भव था । इसलिये इवैक्वी प्रापर्टी की देख भाल करने का जो उद्देश्य इस ऐक्ट का था उस का सम्बन्ध पुरुषार्थियों को कम्पेन्सेशन देने का जो प्रश्न है उस से हुआ । आज जब हम सोचते हैं कि इस कानून को समाप्त होना चाहिये उस समय हमें यह देखना है कि हम जो कम्पेन्सेशन उन लोगों को देने वाले हैं, बरसों जो पुल हम ने बनाया है वह भी इसी चीज पर बना है, उस में जो पैसा है उस से हम कितनी रक़म दे सकेंगे । मुख्तलिफ प्रापर्टी पूल बने हुए हैं । इस इवैक्वी प्रापर्टी पूल से हम लोगों को कम्पेन्सेशन देने वाले हैं । वह कम्पेन्सेशन देने के बाद मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज ऐसा समय आ गया है । मैं यह मानता हूं कि आज इस देश में शान्ति है, किसी भी प्रकार की कम्युनल ट्रब्ल नहीं है, यह भी मैं मानता हूं, लेकिन क्या इस देश के अन्दर आज इस तरह की साम्प्रदा-

[श्री वी० जी० देशपांडे]

यिकता, जिस को कि कांग्रेस से उत्तेजना मिल रही है, देश में नहीं चल रही है ? क्या इस देश में रहने वाले लोग आज पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं ? यहां से सम्पत्ति ले कर जाने वालों की संख्या हर एक प्रदेश से हमारे सम्मुख आ रही है, यू० पी० के उदाहरण हैं, भोपाल के उदाहरण हैं, जो कि हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं ।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : जहां आप के चरण पड़ेंगे वहां ऐसा ही होगा ।

श्री वी० जी० देशपांडे : यह आप के चरणों के कारण हो रहा है इस देश के अन्दर आप ने जान बूझ कर किसी न किसी संस्था को उत्तेजना देना शुरू किया है, आप की छत्रछाया में कितनी साम्प्रदायिक संस्थायें पनप रही हैं जो कि आप की ही मुखालिफत कर रही हैं ।

इस देश में मुसलमान शान्ति से रहते हैं लेकिन उन में झूठी और कृत्रिम अशान्ति पैदा कर के उन को पाकिस्तान में भेजने का उत्तेजन आपकी छत्रछाया में मिल रहा है । इसी कारण इस देश के लोग उस तरफ जाना चाहते हैं । और वे करोड़ों रुपये की सम्पत्ति ले कर जाना चाहते हैं । इस का एक ही कारण आप का यह इवैक्वी प्रापर्टी ऐक्ट है । जो प्रापर्टी इवैक्वी पूल में आने वाली थी या आ सकती थी । इस प्रस्ताव द्वारा आप उस को बेच कर पाकिस्तान जाने की लोगों को अनुमति दे रहे हैं । और इसी कारण मैं पूछता हूं कि आप इस को क्यों समाप्त करना चाहते हैं । मैं यह बात मानने के लिये तैयार हूं कि आप नार्मेल्सी लायें लेकिन फिर आप ने यह धारा १६ किस कारण कायम रखी है । रेस्टोरेशन आफ प्रापर्टी का विधान आप ने समाप्त किया नहीं । आप ने यह चीज रखी है कि कस्टोडियन जनरल के पास जाने के पश्चात् सरकार के पास आ सकती है । सरकार ने अपने हाथ में इतनी शक्ति कायम रखी है । इस इवैक्वी प्रापर्टी पूल से आप कम्पेन्सेशन देने वाले हैं । लेकिन उस को कम करने के लिये रेस्टोरेशन आफ प्रापर्टी की धारा आपने इस में कायम रखी है । करोड़ों रुपये की सम्पत्ति वे लोग ले जायेंगे जो कि वहां के हैं या वहां जाने वाले हैं । यह तत्व मुझे मान्य है कि इस देश में रहने वाले एक भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये लेकिन उस के साथ ही साथ मैं यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि ७० लाख लोग जो कि अपने घर बार छोड़ कर आये हैं उन के साथ अन्याय करना भी कोई बड़ी उदारता नहीं है । मैं तो चाहूंगा कि आप इन ७० लाख लोगों के प्रति अधिक उदारता प्रदर्शित करें । इसलिये आप इवैक्वी प्रापर्टी को न तोड़ दीजिये । मैं इस का विरोध इस कारण करना चाहता हूं कि, जैसा आनरेबिल मिनिस्टर जानते हैं, आज दिल्ली में ऐसे बहुत से लोग बैठे हुए हैं जिन के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, जिन को यहां से पैसा भेजा जाता है । उन की जायदाद यहां पड़ी हुई है । एक आध आदमी यहां रहता है-जिससे कि उन को आप इवैक्वी न कह सकें । इसी कारण मैं कहता हूं कि आप नार्मेल्सी ले आयें लेकिन कम से कम आप इस प्रकार का कानून लाते कि १९५४ के पूर्व जिन की सम्पत्ति इवैक्वी प्रापर्टी घोषित हो गई है उस सम्पत्ति को इवैक्वी पूल में आना चाहिये । यह न करते हुए आप १९५४ के बाद इस कानून को समाप्त करना चाहते हैं ।

इस के आगे चल कर हमारे मंत्री महोदय ने यह कहा है कि मैं ने जो फर्क किया है वह

कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है । वह छोटा फर्क है । पहले तो यह था कि :

"किसी व्यक्ति की सम्पति जिस ने ७ मई, १९५४ से, पूर्व खंड (घ) धारा २ के उपखंड (१), (३) (४) और (५) में, उल्लिखित कोई पग उठाया हो ।"

इस के पश्चात् आज जो संशोधन हमारे मंत्री महोदय सदन के सम्मुख लाये हैं उस में ३ के बजाय आप ने १ बी० सब-क्लाज इस में डाला है और उस के दो एक्सप्लेनेशन दिये हैं । इस के अन्तर्गत मेरी समझ में जो पहला है उतना कायम रहता है बाकी सब को आप ने निकाल दिया है । यह बड़ी सारी बात इस में है । आप जो यह अमेंडिंग बिल लाये हैं इस में यही मुख्य धारा है । इस में आप ने ओरिजिनल कानून से बुनियादी भेद किया है । आप इस कानून को इस तरह बना रहे हैं कि इस के पश्चात् कोई आदमी भी अपनी जायदाद बेच सकेगा । इस के साथ इस में एक और बुराई है जिस को पढ़ कर मैं हैरान हो गया कि इस के अनुसार कोई प्रापर्टी इस पूल में आ सकती है या नहीं । इस में कहा है :

"किसी व्यक्ति की सम्पत्ति जो कि पाकिस्तान बनने के कारण या गड़बड़ या गड़बड़ के डर के कारण १ मार्च, १९४७ को या इस के बाद किसी ऐसे स्थान से जो कि अब भारत का भाग है चला गया था ।"

यह तो पहला है, लेकिन इस के आगे जो बड़ा भारी संशोधन आप ने किया है वह यह है :

"और जो ७ मई, १९५४ को पाकिस्तान में रहता था ।"

यानी इस में यह रखा कि वह पाकिस्तान का रेजीडेंट है । वह हिन्दुस्तान छोड़ कर गया यह हमारे लिये काफी होना चाहिये था । लेकिन उस दिन वह पाकिस्तान का भी रेजीडेंट है या नहीं यह बात हमारी समझ में नहीं आती । उस दिन वह पाकिस्तान को छोड़ कर किसी और देश में चला जा सकता है । हो सकता है कि वह ६ मई तक पाकिस्तान में रहता है और ७ मई को बाहर चला जाता है । तो उस की प्रापर्टी को आप इवैक्वी प्रापर्टी नहीं बनाते हैं । इस प्रकार का यह कानून आप बना रहे हैं ।

चेयरमैन महोदय, मैं इस बिल की बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता । तत्वतः मेरा विरोध एक ही कारण से है और वह कारण यह है कि जो परसों आप ने विधेयक बनाया है उस के अनुसार हमारे रिफ्यूजी भाइयों को काफी कम्पेन्सेशन मिलेगा, लेकिन इस से मालूम होता है कि वह बहुत कम हो जायेगा । मैं इस कानून को समझ सकता था यदि इवैक्वी प्रापर्टी और कम्पेन्सेशन का सम्बन्ध न होता अगर ऐसा होता तब तो हम कहते कि सरकार सारी, प्रापर्टी दे दे पर हम को पूरा कम्पेन्सेशन दे । बात यह है कि जब इवैक्वी प्रापर्टी ला आता है तो आप कहते हैं कि आप को कम्पेन्सेशन मिले आप झगड़े में क्यों पड़ते हैं, और जब कम्पेन्सेशन देने का समय आता है तो सरकार अपनी तरफ से कम्पेन्सेशन में कन्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं देना चाहती और कहा जाता है कि जो कम्पेन्सेशन मिलता है वह केवल पूल से ही मिलेगा । इसलिये हम चाहते हैं कि यह इवैक्वी प्रापर्टी का पूल किसी प्रकार तोड़ा न जाय । हम आज देखते हैं कि अगर यह कानून पास हो गया तो करोड़ों रुपया जो इस पूल में होना चाहिये वह पाकिस्तान चला जायेगा । इसलिये हम इस विधेयक का विरोध करते हैं । और मैं तो यह प्रार्थना करता हूं कि क्यों इतनी जल्द-बाजी में यह बिल लाया जा रहा है । स्वयं मंत्री महोदय के बरताव से मालूम होता है कि वे जल्दबाजी में यह बिल ला रहे हैं । बिल

[श्री वी० जी० देशपांडे]

लाने के पश्चात् वे दो अमेंडमेंट लाये और फिर आज भी एक अमेंडमेंट लाये हैं। इस से प्रतीत होता है कि इस में सुधार होने का बहुत कुछ अवसर है : सिलेक्ट कमेटी के अन्दर आप जाना नहीं चाहते। जनमत भी आप इस पर लेना नहीं चाहते। और साथ ही जो भाई बंगाल और पंजाब से आये हैं उन में से किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते। जैसा मैं ने प्रारम्भ में कहा कि इस देश के रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ अन्याय करने की हमारी इच्छा नहीं है। और आप इस देश को जो छोड़ कर गये हैं उन के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहते। जितनी उदारता आप ने एक तरफ दिखाई है उतनी दूसरी तरफ भी आप को दिखानी चाहिये। इस देश में आने वाले रिफ्यूजीज के साथ भी न्याय किया जाय क्योंकि उन की सम्पत्ति पहले ही छीन ली गई है। अब इस विधेयक के पास होने से यहां की सम्पत्ति भी वहां चली जायेगी और रिफ्यूजीज की आशा पूरी नहीं होगी। इस लिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं प्रार्थना करूंगा कि पहले तो यह विधेयक यहां स्वीकार ही नहीं होना चाहिये और अगर यह सम्भव न हो तो उस को जनमत जानने के लिये ३० नवम्बर तक के लिये भेजा जाना चाहिये। बस इतनी ही मेरी प्रार्थना है।

श्री एम० एच० रहमान (जिला मुरादाबाद मध्य) : सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं यह समझता हूं कि वाकई हमारे इस हाउस में इस बिल को बहुत ही बर वक्त लाया गया है। जैसे अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि दो बिल जो आगे पीछे आये हैं असल में वह दो पार्ट और दो हिस्से हैं एक बेहतर तौर से मुआमले को दुरुस्त करने के—एक हिस्से में यह देखते हुए कि पाकिस्तान ईमानदारी पर आज नहीं आया और इस ने जिस तरीके से इस मसले को हल करना चाहिये था ईमानदारी के साथ इस तरह हल नहीं किया। हमारे पास दो ही रास्ते थे—एक रास्ता यह कि दोनों हुकूमतों के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो और इस में ईमानदारी के साथ जो हमारी जायदादें पाकिस्तान में छोड़ी गई हैं जो हमारे रिफ्यूजी भाइयों ने छोड़ी हैं इन का और यहां का मुकाबला कर के एक इन्साफ के साथ लेन देन हो जाये। लेकिन पाकिस्तान इस बात के लिये आमादा नहीं है। तब हमारे लिये दूसरा रास्ता है। वह रास्ता यह है कि एक तरफ यहां जितनी जायदादें छोड़ी गई हैं इन को वैस्ट करें और मालिकाना हैसियत से इस पर कब्जा करें ताकि रिफ्यूजी को जिस हद तक हम मुआवजा दे सकते हैं दे सकें। मुआवजे की बहस पिछले बिल में काफी आ चुकी है, इसे बार बार दोहराना नहीं है। यह माना गया है, मिनिस्टर साहब ने भी माना है, हाऊस ने भी माना है कि जितना मुआवजा मिलना चाहिये इस के मुकाबले में बहुत कम है और कोशिश करना चाहिये और भी रास्तों कि इन मुसीबतजदों को जो यहां हैं, पाकिस्तान से आये हुए हैं, इन को मदद मिलनी चाहिये लेकिन इस के साथ साथ जिस तरीके से एक तरफ यह बात है इस तरह दूसरी तरफ यह बात भी है कि कि इस पाबन्दी के साथ जिस से कि हम ने इवैक्वी प्रापर्टी बिल में अब तक पाबन्दी लगा दी है इस में गैर निकासी बसने वालों को, इन को आप मुसलमान कह लीजिये या गैर निकासी कह लीजिये, इनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है और इन की इस में जिन्दगी दूभर हो जाती है अब तक इन सात वर्षों में जिस तरह इन की जिन्दगी पर इस का असर पड़ा है वह इस को बेहतर

जानते हैं। आप को याद होगा कि मुख्तलिफ स्टेजिज प्रापर्टी बिल और ऐक्ट की शक्ल में आई है और इस के एतबार से हजारों आदमी ऐसे हैं जो कि गैर निकासी थे इन्हें निकासी बना दिया गया है। मसलन हम ने यह देखा कि शुरू शुरू में यह बात थी कि कानून के अन्दर कोई शख्स भी अगर अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो गया और वह इस का इन्तजाम नहीं कर सकता है वह निकासी बन जाता है, हालांकि वह हिन्दुस्तान में ही है। एक जगह से उखड़ कर दूसरी जगह चला गया लेकिन उस वक्त कानून के पेशे नजर यह बात जरूरी थी। इस वजह से सैंकड़ों हजारों आदमियों को नुक्सान पहुंचा और वह तमाम जायदादें कस्टोडियन के कब्जे में आ गईं। इस तरह टैक्नीकल ग्राउन्ड पर दूसरी और भी मुशकिलें रहीं मसलन कानून के मुताबिक नोटिस बोर्ड पर यह बात लिख देना काफी है कि फलां जायदाद को हम वैस्ट कर रहे हैं। निकासी जायदाद कर रहे हैं। इस के लिये परसनली उस के पास नोटिस सर्व करना जरूरी नहीं है। और इस की बिना पर जाहिल अनपढ़े आदमी बल्कि मैं तो कहूंगा कि पढ़े लिखे आदमी जिन को नोटिस बोर्ड वगैरह देखने का मौका नहीं मिलता वह इस की लपेट में आ जाते हैं। अगर इन्हों ने अपने लिये कोई चारा भी तलाश कर लिया तो बाज दफा ऐसा होता था कि इन को यह पता नहीं चलता था कि हमारी जायदाद कब वैस्ट कर दी गई, कब निकासी बना दी गई। मेरा इरादा नहीं है पाकिस्तान जाने का, एक मिनट और एक सैकिन्ड के लिये भी। मेरी जायदाद नोटिस बोर्ड पर इवैक्वी बना दी गई और मुझे इस के बारे में कोई पता नहीं और अपील के लिये जो दो महीने की मुद्दत होती थी वह खत्म हो गई। अब कानून के मुताबिक टाईम बार्ड हो गया। इसलिये मैं इस की अपील नहीं कर सकता। ऐसी तमाम बातों को सामने रख कर ऐसी सूरत बहम पहुंचाने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से टैक्नीकल ग्राउन्ड पर या कस्टोडियन के मुतअस्सबाना आर्डर के मुताबिक हजारहा आदमी जो गैर निकासी हैं वह निकासी बना दिये जायें। इसलिये इन के साथ इन्साफ नहीं किया गया क्योंकि इन को भी यहीं रहना है वह भी यहां के बाशिन्दे हैं, जैसा कि अभी आनरेबिल मैम्बर ने कहा कि यहां के बसने वाले किसी व्यक्ति को कोई धक्का नहीं पहुंचना चाहिये। कोई इस के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये। लेकिन अमल ऐसा रहा है कि इस में हजारों आदमी इस अन्याय के नीचे आये हैं। इस के साथ साथ आप यह देखें कि आज भी क्या हो रहा है। और मैं थोड़ा इस की तरफ इशारा करता हूं। यहां एक मशहूर लीडर हैं मौलाना अहमद सैयद। सब इन को जानते हैं। वह उन लोगों में से हैं जिन्हों ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की है। एक दिन मैं इन के मकान पर बैठा था कि इन के पास नोटिस पहुंचता है कि हमारा इरादा तुम्हारी जायदाद को इवैक्वी प्रापर्टी बनाने का है, इस बिना पर कि तुम पाकिस्तान जाने वाले हो या पाकिस्तान जा रहे हो। मैं वहां बैठा था। जब वह बात देख कर मुझे हंसी भी आई और तकलीफ भी पहुंची। इस के बाद मैं ने जा कर कस्टोडियन के दफ्तर में दरयाफ्त किया और कहा कि एक ऐसा आदमी जो सुबह से शाम तक हुकूमत के तमाम मुआमिलात से ताल्लुक रखता है जिस को कि पाकिस्तान में जगह मिलना दुशवार है, जिस का कि इरादा कभी नहीं हो सकता कि वह पाकिस्तान जाये, आप ने इस को भी इवैक्वी बना दिया। तो जब हम ने ऐसा कहा तो इन की तरफ से फरमा दिया जाता है कि हम ने जो कुछ किया है वह कानून के मुताबिक किया है। हमारे नजदीक वन टू आल तमाम मुसलमान

[श्री एम० एच० रहमान]

पाकिस्तान जाने वालों में शुमार हैं। अब यह बोझ इस मुसलमान पर है कि वह इस बात का जवाब दे कि वह पाकिस्तान जाने के काबिल है या नहीं या वह पाकिस्तान जायेगा या नहीं जायेगा। मैं ने यह चीज़ मिनिस्टर साहब की नालिज में देर से लाई और उन्हों ने मुझ से फरमाया कि काश तुम उस वक्त मेरे सामने लाते तो इन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती क्योंकि उन्हों ने कानून की खिलाफ वरजी की है। मुझे एक मिसाल देनी थी वह दे दी। अभी एक आनरेबिल मैम्बर ने मुझे आसफ अली तक की मिसाल याद दिलाई। एक मरतबा का ज़िक्र है रोशनआरा गार्डन के अन्दर एक पार्टी हो रही थी जिस में कि हमारे पिछले कस्टोडियन जनरल श्री अछरू राम मौजूद थे और जो मेरे बराबर बैठे हुए थे उन से मुखातिब हो कर मिस्टर आसफ अली अछरू राम साहब से कहने लगे कि आसफ अली जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का गवर्नर है और जिस को कि हर शख्स जानता है उस की भी प्रापर्टी इवैक्वी प्रापर्टी हो सकती है तो इस के लिये आप क्या कहेंगे। मगर अछरू राम कोई जवाब न दे सके। आप ग़ौर कीजिये कि किस किस तरीके से हालात पेश आये। इन हालात के होते हुए भी यह गलत तौर पर निकासी बनाये हुए मुसलमान यह समझते थे कि जब हालात बदलेंगे तो हम अपनी जायदाद पा सकेंगे और हम को इन्साफ मिल सकेगा, आज जो हमारी जायदादें कस्टोडियन ने ले ली हैं वह किसी दिन फिर हमारे हाथ में वापिस आ जायेंगी। लेकिन हम ने देखा कि मिनिस्टर साहब एक पार्ट सामन लाये जिस में कहा गया कि हम मालिकाना कब्जा करने के बाद कम्पेन्सेशन पूल में इन तमाम जायदादों को ले रहे हैं तो इस सूरत में कुदरती तौर पर इन लोगों को जो यहां के रहने वाले ह जो एक मिनट को भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, उन का यह महसूस करना कुदरती है कि अब हम पर पाबन्दी क्यों लगाई जाती है। अब हमारी जायदाद पर इस किस्म की पाबन्दी क्यों आयद की जा रही है और ग़ैर निकासी मुसलमानों को निकासी क्यों बनाया जा रहा है। आखिर हमें भी तो कभी न कभी निजात मिलनी चाहिये। साढ़े चार करोड़ के करीब मुसलमान आज इस देश में रह रहे हैं, वह भी तो यह महसूस करें कि विधान में जो सब के लिये बराबरी का हक दिया है वह महज़ एक किताब में लिखी हुई चीज ही नहीं रहनी चाहिये बल्कि चलते फिरते रोज़ाना जिन्दगी में और बाजार में वह हमारा हक नज़र आना चाहिये। हम भी इस तरीके से आज़ाद रहें जिस तरह हमारे भाई देशपांडे जी आजाद हैं। अपनी जायदाद को बेचने में जिस तरह इन पर कोई पाबन्दी नहीं है, इस तरह से हिफ्जुर्रहमान को भी पूरी आजादी होनी चाहिये। कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये दोनों में कोई फरक नहीं होना चाहिये। कोई भी पाबन्दी नहीं होनी चाहिये, जायदाद के फरोख्त होने के बारे में। आखिर इवैक्वी या नान इवैक्वी होने के बारे में हम कब तक झगड़े में फंसे रहें। आखिर आप ऐसी सूरत क्यों न होने दें कि एक पैसा भी आप का नुकसान न हो और इस पूल में कोई ऐसी कमी न हो जाये जिस से रिफ्यूजी भाइयों को नुकसान पहुंचे तीसरे इन्डिया का रुपया भारत का रुपया पाकिस्तान न जाने पाये। इस तरह से सोलह आने तो रुकावट नहीं हो सकती। मैं इस को मानता हूं लेकिन फिर भी बहुत कुछ रुकावट हो सकती है। लेकिन यह सख्त जुल्म है कि आज एक खास कम्युनिटी पर जिस को हर वक्त इवैक्वी या नान इवैक्वी होने का खतरा बना रहता हो, जिस की जायदाद बिक न सकती हो जिस को कोई चार पैसे देने को तैयार न हो,

जो अपने घर में बैठ कर भी इस बात के लिये मुतमईन न हो कि अपने घर में बैठे होने के बावजूद वह इवैक्वी है या नान इवैक्वी है। यह तमाम सूरतें बाकी रहें तो वह किस तरीके से इस बात को महसूस करे कि हमारे और आप के हक़ अमली तौर पर बराबर हैं। इस का रास्ता यह नहीं है कि जायदादों को यह कह कर कि इवैक्वी हैं या नान इवैक्वी है, इस का फैसला करना मुश्किल है, उस को अपने हक़ के इस्तेमाल करने से रोक दिया जाये, वह हर वक्त खतरे में पड़ा रहे और किसी वक्त उस को इवैक्वी बना कर घसीट लिया जाये। तीन तीन चार चार मरतबा डिक्लेयर कर दिया गया कि फलां आदमी नान इवैक्वी है, लेकिन पांचवी बार इस के पास नोटिस जारी हो जाता है कि तुम को इवैक्वी क्यों न बना दिया जाय। इसलिये इस की सूरत यह नहीं है कि आप अब इस सिलसिले को जारी रक्खें और एक कम्युनिटी को हमेशा हैरेस्मेंट में मुबतिला रक्खें कि खुदा जाने, कि मुझे कब इवैक्वी बना दिया जाय। इस की सूरत दूसरी है। इस पर फाइनैन्स मिनिस्ट्री का कन्ट्रोल होना चाहिये, जिस के जरिये को ईभी चीज हिन्दुस्तान के बाहर न जा सके। इस में जितनी कड़ी से कड़ी शर्तें हैं, वह सारी की सारी शर्तें और पाबन्दियां रख दी जायें कि कोई आदमी अपना रुपया मुलक से बाहर न ले जाये। मसलन एक आदमी अपनी जायदाद को बेचता है और वह दस हजार रुपये में बेचता है तो वह खुली हुई सब के सामने बिकेगी। इस का रजिस्ट्रेशन होगा। जब वह बिके तो उस की जो कीमत आये उस पर कन्ट्रोल होना चाहिये। बेचने पर, फरोख्त होने पर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये। जब वह बिके तो उस के रुपये पर कन्ट्रोल होना चाहिये कि वह रुपया हिन्दुस्तान से बाहर पाकिस्तान न जाने पाये। इस का बेहतरीन तरीका यह है कि जिस तरह कानून के मातहत एक्सचेंज कंट्रोल का तरीका है उस को अगर यहां पर भी रायज कर दिया जाये तो थोड़ी से थोड़ी रकम को भी कोई नहीं ले जा सकता। चोरी करने वालों की बात दूसरी है। और लोग भी चोरी करते हैं। मुल्क में बहुत लोग रिश्वत लेते हैं, डाके डालते हैं, चोरियां करते हैं, इस तरीके से अगर कोई इस रास्ते से भी चोरी कर के चला जाये तो वह थोड़ी मिकदार की रकम होगी। बड़ी बड़ी रकमों का जिनका आप हवाला देते हैं, मजाल नहीं कि हमारे यहां से कोई ले जा सके। बशर्तेकि एक्सचेंज कन्ट्रोल हो।

इस बिना पर मैं अपनी तकरीर को लम्बी न कर के सिर्फ यह ताईद करता हूं कि मिनिस्टर साहब ने गवर्नमेंट आफ इंडिया की जानिब से जो इस वक्त यह बिल पेश किया है तो यह बर वक्त पेश किया है। आप को एक कम्युनिटी को जिस पर इस का कुदरती असर पड़ता है, हमेशा के लिये इस तरीके से मजबूर नहीं करना चाहिये कि वह हर वक्त इस में फंसी रहे और इवैक्वी और नान इवैक्वी की तलवार इस के ऊपर लटकती रहे। वह हर वक्त यह महसूस करे कि कोई हमारी जायदाद को लेने को तैयार नहीं है। इस लिये कि लोग घबराते हैं कि अगर कल यह शख्स पाकिस्तान चला गया तो मेरी यह जायदाद ज़ब्त हो जायेगी। इस तरह से हर वक्त यह मुश्किल पड़ी रहती है कि यह इवैक्वी जायदाद है कि नान वैक्वी जायदाद है। चार चार दफा एक ही ग्राउन्ड पर नान इवैक्वी जायदाद करार देने के बाद इस को इवैक्वी जायदाद करार दिया जाता है। अभी परसों एक साहब पकड़े गये हैं, मैं इस मामले की तफसील में तो नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यकीनन जानता हूं कि वह हिन्दुस्तान से बाहर नहीं जाना चाहते।

मुझे इस बिल में मजमूई हैसियत से बहुत सी दफात पर एतराज होते हुए जिन की

[श्री एम० एच० रहमान]

तफसील में मैं जाना नहीं चाहता मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। मैं समझता हूं कि वह वक्त आ गया है। एक तरफ रिफ्यूजी भाइयों के लिये जो कुछ आप ने किया है इस की वजह से वह मजबूती से कायम रहें। यहां का रुपया मुल्क से बाहर पाकिस्तान को न जाये। इस के लिये एक्सचेंज कन्ट्रोल को ज्यादा मजबूती से पूरे अंकुश के साथ कायम रखा जाये। लेकिन इस बिल को मंजूर किया जाये ताकि दूसरी कम्युनिटी भी अमली दुनिया में महसूस कर सके कि वह यहां हिन्दू भाइयों की तरह बराबर की हकदार है और जायदाद बेचने वाले से जो खरीदें वह भी समझें कि अब कोई खतरा नहीं है और सब लोग आपस में बराबर नज़र आयें।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं अपने मित्र श्री हिफ्जुर्रहमान को आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भारतीय नागरिक के हितों को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। किन्तु मुझे डर है कि इस विधेयक में कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जिन के द्वारा पाकिस्तानी या इस देश में पाकिस्तानियों का समर्थन करने वाले लोग अनुचित लाभ उठा सकेंगे। इन त्रुटियों को दूर नहीं किया गया बल्कि माननीय मंत्री ने ऐसे संशोधनों की सूचना दी है जिन से ये लोग भारत में अपनी आस्तियों को बेच कर इन से प्राप्त रुपया पाकिस्तान भेज सकेंगे।

निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम १९५० का उद्देश्य यह था कि पाकिस्तान जाने वाले लोगों की सम्पत्तियों को ले कर इन्हें शरणार्थियों की सहायता के लिये प्रयोग किया जाये। अब माननीय मंत्री ने जो प्रस्ताव किया है, उस से इस अधिनयिम का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सकेगा। हमारा उद्देश्य यह था कि उन लोगों को निष्क्रान्त घोषित पाकिस्तान बनने के कारण या गड़बड़ से बचने के कारण भारत से बाहर चले जाते हैं। अब माननीय मंत्री ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है :

"पंक्ति १ से ३ तक के स्थान पर निम्न रख दिया जाये—

"(ख) किसी व्यक्ति की सम्पत्ति जो कि पाकिस्तान बनने के कारण या गड़बड़ या गड़बड़ के डर के कारण १ मार्च, १९४७ को या इस के बाद किसी ऐसे स्थान से जो कि अब भारत का भाग है और . . .

अब उन्हों ने ये शब्द जोड़ दिये हैं . . .

"जो ७ मई, १९५४ को पाकिस्तान में रहते थे,"

इन शब्दों को जोड़ने का क्या कारण है? क्या किसी अभिरक्षित या अन्य अधिकारी के लिये यह साबित करना संभव होगा कि किसी व्यक्ति ने जो भारत छोड़ चुका हो उपखंड (ख) में निर्धारित शर्तें पूरी की हैं? वह कह सकता है कि वह इस तिथि के बाद भारत से गया है। किन्तु क्या वह यह कह सकता है कि ७ मई १९५४ को वास्तव में पाकिस्तान में रहता था? क्या यह संभव है? मान लीजिये कि वह अप्रैल के अन्त तक नहीं था किन्तु मई में कहीं और चला गया था या वह तीन साल से वहीं था किन्तु बाद में हालैंड चला गया था। इस तरह से वह बच जाता है। हमारे अधिनियम में "निष्क्रान्त व्यक्ति" की परिभाषा इस उद्देश्य से की गई थी कि उन लोगों को इस के अन्तर्गत लाया जा सके जो १ मार्च १९४७ के बाद भारत छोड़ गये थे और उन लोगों की भी जिन्हों ने पाकिस्तान में जा कर हिन्दुओं या सिक्खों की छोड़ी हुई सम्पत्ति प्राप्त कर ली थी। ऐसे व्यक्ति निष्क्रान्त व्यक्ति समझे

क्रय या विनिमय का मामला हो तो कोई कठिनाई नहीं होगी। किन्तु यदि न क्रय हो और न विनिमय और वह सम्पत्ति को केवल अपने नाम करवा लेता है, तो उसे निष्क्रान्त समझना चाहिये। मेरे माननीय मित्र वास्तव में उस खंड को निकाल रहे हैं जो कि उन्हों ने मूल विधेयक में रखा था। यह एक गम्भीर बात है। मैं सदन से अपील करता हूं कि वह इस संशोधन के प्रभाव पर विचार करें। वे जान बूझ कर या वैसे ही पाकिस्तानियों को सुविधा दे रहे हैं। वे उन सम्पत्तियों का जो कि वास्तव में निष्क्रान्त सम्पत्तियां हों, निपटारा कर के इस देश से चले जायेंगे। ऐसा नहीं होने देना चाहिये। मूल विधेयक में ये शब्द थे :

"किसी व्यक्ति की सम्पत्ति जिस ने उपखंड (१), (३), (४) और (५) ...में उल्लिखित पग उठाये हैं ..."। अब माननीय मंत्री इसे हटा रहे हैं। और वह इस तरह कि उपखंड (३) निकाल दिया जाये। हमें उपखंड (३) और उपखंड (४) को विधेयक में रखना चाहिये।

वह उपखंड अब हटाया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। किन्तु यह एक गम्भीर विषय है। अतः हम आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिये। यह स्वीकार करना होगा कि यह अधिनियम अत्याधिक उदारतापूर्ण ढंग से काम में लाया गया है। यह आरोप लगाना कि मुसलमान निष्क्रमणार्थियों के प्रति अनुचित अथवा अनुदारतापूर्ण व्यवहार किया गया है ठीक नहीं है। सात वर्ष व्यतीत हो गये हैं और अब हम कुछ संशोधन चाहते हैं क्योंकि निरन्तर प्रयत्नों के पश्चात् भी पाकिस्तान ने निष्क्रान्त सम्पत्ति के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है। और उस के व्यवहार में बराबर अनुदारता रही जा रहा है ताकि विस्थापित, पीड़ित तथा निर्धन शरणार्थियों की क्षतिपूर्ति करने के हेतु निष्क्रान्त सम्पत्ति पुंज के लिये ठोस बनाया जा सके। क्या इस के विरुद्ध कोई काम किया जाना चाहिये। अथवा निर्णय के लिये फिर इन सहस्त्रों मामलों को लेना चाहिये।

इस विधेयक के प्रारम्भिक काल से उन मामलों पर पुनः विचार करने के लिये १०,००० से ऊपर प्रार्थनापत्र आ चुके हैं जिन के बारे में उप-अभिरक्षक अथवा महाभिरक्षक और कहीं कहीं उच्च न्यायालय के द्वारा भी निर्णय दिये जा चुके हैं। खंड १६ के अनुसार यह प्रतिपादित किया गया है कि उपखंड (१) के अन्तर्गत उस समय तक कोई प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किया जायगा जब तक प्रार्थनापत्र देने से पूर्व प्रार्थी ने उस आदेश के विरुद्ध जिस के द्वारा उस की सम्पत्ति निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित की गई है, अधिनियम के अन्तर्गत अभ्यनुज्ञेय सारी अपीलें तथा पुनरीक्षण हेतु प्रार्थना पत्र निवेशित नहीं हैं और महाअभिरक्षक ने उस सम्बन्ध में अन्तिम आदेश नहीं दिया है।

इस का अर्थ यह है कि सम्पत्ति के पुनः सौंपे जाने के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र भेजा जा सकता है। मैं इस बात को उस समय मनाने को तैयार हूं जब कि मामले का निर्णय एक पक्षीय हुआ हो और व्यक्ति की ओर से कोई सुनवाई न की गई हो परन्तु जबकि काफी सुनवाई के बाद महाअभिरक्षक ने अन्तिम निर्णय दे दिया हो और उच्चतम प्राधिकार तक पुनरीक्षित हेतु अभ्यावेदन किये जाने के पश्चात् सब कुछ निर्णय हो गया हो तो फिर यह बात उठाना कि मामले पर पुनः विचार किया जाये क्या प्राङ्न्याय के मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं है ? क्या उन सब निर्णयों की उपेक्षा कर के सम्पत्ति के पूर्ववत्करण के सम्बन्ध में प्रार्थना-

[श्री एन० सी० चटर्जी]

श्रीमान्, मैं एक बात और बताता हूं और इस में अतिशयोक्ति नहीं है कि अब भी बहुत सी छिपी हुई सम्पत्तियां हैं जोकि शरणार्थियों के लिये नियत नहीं की गईं और पुनर्वास सम्बन्धी कामों के लिये उन का उपयोग नहीं किया गया । व्यक्तियों ने इस अधिनियम की उदारता का लाभ उठाया है, उन्हों ने अपनी सम्पत्ति को बेच दिया और जो कुछ धन आया उस को पाकिस्तान भेज दिया । क्या यह कहना ठीक है कि ७ मई, १९५४ के बाद किसी सम्पत्ति को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित नहीं किया जायेगा, धारा ७ के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है और कोई अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती । जब हम आयकर आवंटन के बारे में चर्चा कर रहे थे कि यदि किसी ने कानून का अपवंचन किया है अपनी आस्तियों को हिन्दुस्तान से पाकिस्तान भेज दिया या ऐसा करने का उस का इरादा है तो निस्सन्देह ही वह निष्क्रमाणार्थी है । किसी व्यक्ति के निष्क्रमाणार्थी बन जाने के बाद और उस की सम्पत्ति निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित होने के बाद फिर उस को सम्पत्ति बेचने उस का स्थानान्तरण करने अथवा विधि के प्रवर्तन से बचने का अवसर नहीं देना चाहिये । हमें वास्तव में सम्पत्ति पुंज को अधिक ठोस बनाना चाहिये ताकि उन शरणार्थियों के लिये जो कि अभी तक केवल आशा पर ही रखे गये हैं कुछ प्राप्त हो सके यद्यपि यह पूर्ति उन की क्षति का पांचवां भाग भी नहीं होगी मेरा कहने का तात्पर्य केवल यह है कि किसी भी निष्क्रमाणार्थी को, जो कि ७ मई, १९५४ से पूर्व किसी प्रकार अपनी सम्पत्ति को ग़ैर निष्क्रान्त सम्पत्ति के घोषित करवाने में सफल हो गया हो, अपनी सम्पत्ति को बेचने का अधिकार न दिया जाये । साथ ही मैं यह भी निवेदन करता हूं कि कोई ऐसी विधि पारित नहीं करना चाहिये जिस से सम्पत्ति के पूर्ववत्करण से सम्बन्धित इन १०,००० प्रार्थना-पत्रों का प्रश्न उत्पन्न हो जाये क्योंकि इस से काफी समय के लगने तथा सम्पत्ति पूंज के खाली होने की बहुत बड़ी सम्भावना है और उस अवस्था में हम शरणार्थियों की कोई भी सहायता करने में असमर्थ रहेंगे जो कि हमारा परम तथा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता दक्षिण पूर्व) : श्रीमान्, यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सम्बन्ध शरणार्थियों तथा मुसलमानों दोनों से है । यह विवाद रहित है कि निष्क्रान्त सम्पत्ति संबंधी विधि से अल्पसंख्यक जाति अर्थात् मुसलमानों में काफी भ्रम उत्पन्न हो गये हैं, अतः हम को इस विधि से सम्बन्धित सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण कर लेना परमावश्यक है ।

इस विधि की आवश्यकता का कारण कुछ असाधारण परिस्थितियां थीं । देश का विभाजन हुआ था और साम्प्रदायिकता की भावना अपने उग्र रूप में थी जिस के कारण वे व्यक्ति, जो कि अपने पूर्वजों के स्थान को किसी अवस्था में नहीं छोड़ना चाहते थे, अपने घरों को छोड़ने के लिये बाध्य हुए ।

यह सिद्धान्त है कि जो देश अपने राष्ट्रजनों को रक्षण नहीं दे सकता, कम से कम उस को उन व्यक्तियों की क्षत्ति पूर्ति का भार तो अपने ऊपर लेना ही चाहिये । पाकिस्तान से आने वाले हिन्दू तथा सिक्खों की क्षत्तिपूर्ति पाकिस्तान सरकार को करनी चाहिये थी और जो मुसलमान यहां से गये उन की क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर था । परन्तु पाकिस्तान ने अपने दायित्व को पूरा करने से इन्कार कर दिया । फलतः एक सम्पत्ति पुंज का निर्माण करना पड़ा जिस के द्वारा निष्क्रान्त सम्पत्तियों के रूप

में प्राप्त धन से उन व्यक्तियों की क्षत्ति-पूर्ति की जा सके जिन को पाकिस्तान से यहां आना पड़ा। यह मानना पड़ेगा कि हिन्दुओं तथा सिक्खों द्वारा जो सम्पत्ति वहां छोड़ी गई वह मुसलमानों के मुकाबले में कई गुनी थी क्योंकि हिन्दुओं और सिक्खों की आर्थिक दशा मुसलमानों से कहीं अच्छी थी।

अब इस विषय में वस्तुतः सिद्धान्त यह होना चाहिये कि उन्हीं व्यक्तियों की सम्पत्ति पर हाथ लगाया जाये, उस की सम्पत्ति को पुंज में लिया जाये जो कि अन्तिम रूप से पाकिस्तान चले गये हैं और जिन्हों ने अपने को वहां का नागरिक बना लिया है। परन्तु जो व्यक्ति पाकिस्तान नहीं गये हैं अथवा कुछ समय के लिये केवल साम्प्रदायिक झगड़ों के कारण चले गये हैं और शीघ्र ही भारत वापस आना चाहते हैं उन की सम्पत्ति पर अधिकार करना सभ्यता के प्रतिकूल होगा। निष्क्रान्त सम्पत्ति सम्बन्धी विधियों के प्रवर्तन में अभाग्य से ऐसा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश भारत में ही एक स्थान से दूसरे स्थान को चला गया तो उस की सम्पत्ति को भी निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर दिया गया। इस प्रकार के उदाहरणों का अल्पसंख्यक जातियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ देश के नाम को भी डुबाता है। हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष है। और धर्म के आधार पर किसी के साथ न्याय अथवा अन्याय करना हमारे आदर्श के विरुद्ध है। सरकार का यह देखना कर्त्तव्य है कि निष्क्रान्त सम्पत्ति से सम्बन्धित विधि के प्रवर्तन से किसी पर अन्याय न हो। इस दृष्टिकोण से मैं माननीय मंत्री द्वारा पुरःस्थापित संशोधन का समर्थन करता हूं। केवल इसी आधार पर कि एक व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है उस की सम्पत्ति निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित नहीं होनी चाहिये। यदि एक व्यक्ति पाकिस्तान से एक निश्चित समय तक वापिस आ जाता है तो उस के रक्षण का हम पर पूर्ण उत्तरदायित्व है। क्योंकि पुनर्वास हेतु हमारे अधिकार में सम्पत्तियां बहुत कम हैं, यह सुझाव रखने की कोशिश की गई है कि जितना अधिक हो सके मुसलमानों की सम्पत्ति को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित करना चाहिये। वस्तुतः सरकार की सामान्य नीति ही इस के लिये उत्तरदायी है। शरणार्थी तो बुरी अवस्था में हैं हीं, उन को तो कोई न कोई सहारा मिलना ही चाहिये अतः वे ऐसे सुझावों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इस का उपचार उन व्यक्तियों की सम्पत्तियों पर अधिकार प्राप्त करना नहीं है अपितु उन बड़े बड़े जमींदारों, राजाओं और धनवान व्यक्तियों की सम्पत्ति को छीनना है जिन्हों ने जनता का शोषण कर के काफी धन संचित कर लिया है। इस प्रकार से हम शरणार्थियों की सहायता भी कर सकेंगे और इन अल्पसंख्यक जातियों को उन के अधिकार से वंचित भी नहीं करेंगे और उन के हृदयों से भ्रमों का निवारण भी किया जा सकेगा। देश के हित में, शरणार्थियों के हित में तथा हिन्दू और मुसलमान दोनों के हित में इस प्रकार का पुनर्वास सर्वोत्तम सिद्ध होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: जनाब चेयरमैन साहब, यह बिल एक तरह से बड़े मेजर इम्पारटेंस का बिल है क्योंकि आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि वह इवैक्वी प्रापर्टी ला को ऐब्रोगेट करना चाहते हैं जैसा कि इस के प्रिएम्बिल में दिया गया है। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस बिल के बारे में इस को एब्रोगेट किया जाय बहुत सी मुख्तलिफ रायें हो सकती हैं।

इस बिल के अन्दर दो चीज़ें निहायत जरूरी है। जैसा कि जनाब वाला ने सुना दो प्वाइंट्स आफ व्यू पेश किये गये हैं। अभी श्री हिफजुर्रहमान साहब ने फरमाया कि वह खुद

[पंडित ठाकर दास भार्गव]

इस बात के ख्वाहिशमन्द हैं कि हिन्दुस्तान का रुपया हिन्दुस्तान से बाहर न जाये और यही ख्वाहिश मिस्टर देशपांडे ने ज़ाहिर की है और दूसरे दोस्तों ने जाहिर की है। उसूल यह है कि हिन्दुस्तान की सम्पत्ति हिन्दुस्तानियों का हक है और यह एक ऐसा कामन हैरिटेज है जिस को हम दूसरे मुल्क वालों के मुकाबले में अपना हक समझते हैं। इस वास्ते यह बिल्कुल सही है कि यह दोनों प्वाइंट्स आफ व्यू इस बात में एग्रीड हैं कि हिन्दुस्तान की सम्पत्ति और लोगों के पास न जाये।

दूसरी जो झगड़े की चीज है वह यह है कि इधर कहा जाता है कि पूल कम न हो और उधर कहा जाता है कि किसी मुसलमान के साथ इस किस्म की ज्यादती न हो कि उसकी प्रापर्टी जो कि इवैक्वी प्रापर्टी नहीं है उस को भी इवैक्वी प्रापर्टी करार दे दिया जाय। मुझे इस किस्से को सुन कर बर्क साहब की वह स्पीच याद आ गई जो कि उन्हों ने वारन हेस्टिंग के इम्पीचमेंट के वक्त दी थी। उन्हों ने एक टिकटी का जिक्र किया जिस की ईजाद वारन हैस्टिंग के हवारियों ने की थी कि जिस से एक शख्स को और उस के बाप को टिकटी के साथ बांध दिया जाता था। वह टिकटी इस तरह की थी कि अगर उस पर बंधे हुए उन बाप और बेटों के बेत मारे जायें तो अगर बेत बाप को न लगे तो बेटे को लगे। अगर बेटा बचने की कोशिश करे तो वह अपने को तो बचा ले लेकिन वह बेत बाप को लगे और अगर बाप अपने को बचा ले तो वह बेत बेटे को लगे। इस टिकटी की ईजाद वारन हेस्टिंग को मंसूब की गई थी। यही हाल यहां पर दिखाई देता है। अगर रिफ्यूजीज़ को इस जायदाद में से मुआवजा दिया जाता है तो यह डर है कि किसी मुसलमान की जायदाद जो कि इवैक्वी प्रापर्टी नहीं होनी चाहिये वह इवैक्वी प्रापर्टी न कर दी जाये और अगर इस कानून को पास कर दिया जाता है तो डर यह है कि पूल कम हो जायेगा। चाहे मिस्टर हिफजुर्रहमान साहब हों या मिनिस्टर साहब हों कोई भी यह नहीं चाहता कि किसी के साथ ज्यादती हो। लेकिन मिस्टर हिफजुर्रहमान साहब और सारे मेम्बरों की यह राय है कि यह इवैक्वी पूल बेजा तौर पर कम न किया जाय। इस टिकटी का इलाज मैं आनरेबिल मिनिस्टर की खिदमत में अर्ज कर देना चाहता हूं। जैसा मैं ने तीन दिन पहले अर्ज किया था मैं इस देश के रहने वालों में कोई फर्क नहीं करता। मेयो जो कि इस मुल्क में रहते हैं और जो मुसलमान यहां रहते वे मेरे भाई हैं। हमारा कान्स्टीट्यूशन सिटीज़न सिटीज़न में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। मुझे अपने मुसलमान भाई उतने ही अज़ीज़ हैं जितने कि रिफ्यूजी भाई। आप ने १८५ करोड़ देना मुकर्रर किया है। मैं कहता हूं कि आप इस रकम को अंडर राइट कर दीजिये। और फिर जिन मुसलमानों की जायदाद आप को छोड़नी है उस को छोड़ दीजिये। मैं नहीं चाहता कि अगर बेत एक के न लगे तो वह दूसरे के लग जाये। मैं इस तरह से फैसला नहीं करना चाहता। मैं तो यह चाहता हूं कि जो पूल है उस के अन्दर कमी न आये। और साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि किसी की बेजा तौर पर जायदाद न ली जाये।

अब मैं आप के रूबरू अर्ज़ करूंगा कि एक सवाल यह है कि जिस का ताल्लुक दफा १६ में आता है। दूसरा सवाल एब्रोगेट करने का है। इस में शक नहीं जैसा कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि यह ला गैर मामूली हालात में बना। परमात्मा न करे कि दो मुल्कों में ऐसा झगड़ा हो। लेकिन जो कानून बना था उस में तो आनरेबिल मिनिस्टर साहब रिप्रेजेंटटिव थे उन मुसलमानों

के जो कि वहां चले गये जिन की जायदाद थी । होते होते अब आनरेबिल मिनिस्टर साहब रिफ्यूजीज़ के रिप्रेज़ेंटेटिव बन गये हैं। जायदाद के लिये यह दफा १६ इसलिये बनाया गया था कि अगर किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचता हो तो वह उस की अपील कर सके । अब मुसीबत यह हुई कि यह जायदाद हमारे पूल में आ गई । आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने उस जायदाद को पूल में शामिल कर दिया जिस से हम को मुआवज़ा मिलने वाला है । अब इस में दो तीन सवाल पैदा होते हैं । इस में शक नहीं जब तक यह कानून और कायदे रहते हैं अगर किसी शख्स के खिलाफ यह शुबहा होता है कि यह इवैक्वी बन जायगा तो उसकी जायदाद को इवैक्वी प्रापर्टी करार दे दिया जायेगा । मैं यह मानने को तैयार हूं कि इस की वजह से बहुत दिक्कत होती है । लेकिन हम को यह चीज याद रखनी है कि यह सवाल हिन्दू मुसलमान का नहीं है । अगर यह कानून हिन्दुओं के लिये बना होता कि वे यहां की जायदाद का एक बड़ा चेक ले कर देश से बाहर जा सकते हैं तो उस की भी मुखालिफत करता । मेरा आप से सवाल है कि अगर आज सब को इजाजत दे दी जाये तो इस का क्या नतीजा होगा। क्या आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने कोई अदादो शुमार दिये हैं कि कितनी जायदाद बिक जायेगी । कितने ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी जायदादों के मालिक हैं। यू० पी० में बड़े बड़े ताल्लुकेदार हैं । उन का एक आध आदमी यहां मौजूद है जिस के नाम जायदाद है और इस की इजाजत होते ही वह जायदाद को बेच कर रुपया पाकिस्तान भेज देगा । अगर यह आदादो शुमार हमारे सामने होते और उस की रकम ज्यादा भी न होती तब भी मैं यह अर्ज करता कि मैं नहीं चाहता कि हमारे मुसलमान भाई यह फील करें कि जायदाद डिस्पोज आफ करने के मामले में उन में और हिन्दुओं में कोई फर्क है । लेकिन यह कितनी बड़ी चीज है इस का मैं खुद भी अन्दाजा नहीं लगा सका हूं । अगर यह बड़ी रकम है जिस की वजह से कि हिन्दुस्तान की इकानामी पर असर पड़ेगा तो मैं नहीं चाहता कि यह इजाजत दी जाय जब तक कि सरकार इसका इन्तिजाम न कर ले कि यह रुपया रोका जा सके। हिफजुर्रहमान साहब ने ज़िक्र किया कि सरकार रुपये को रोकने का इन्तजाम कर सकती है । लेकिन मैं जानता हूं कि सरकार कितनी ही रोकथाम करे रुपया ऐसी चीज है जो निकल सकता है । दो हजार रुपया तोला डायमंड आता है इस को खरीद कर स्मगिल किया जा सकता है या नोटों का स्मगिल किया जा सकता है और उस फन में बहुत से लोग माहिर हैं । तो मैं समझता हूं कि यह रुपया बाहर चला जायगा । मेरे सामने सवाल यह है कि वह रकम क्या होगी । अगर वह बड़ी रकम है तो मैं कहूंगा कि मैं अपना फर्ज अदा नहीं करूंगा अगर मैं यह न कहूं कि इस रकम को जाने की इजाजत न दी जाये । मैं आप की तवज्जह ऐक्ट २ सन् १९५३ की तरफ दिलाना चाहता हूं । उस की दफा ४० में हम ने यह रखा था कि कस्टोडियन की प्रीवियस सेंक्शन से १९५३ से पहले कोई अपनी जायदा बेच सकता है । कोई पाबन्दी नहीं है । और अगर कोई अपनी जायदाद बेचने के दो साल बाद तक यहां रहे तो फिर उस को क्वेश्चन करने का सवाल ही नहीं है । अगर वह जायदाद ५,००० तक की हो तो उस के लिये इजाज़त की जरूरत नहीं थी । इस का मतलब यह है कि ७० या ८० फी सदी आदमी जिन की जायदाद पांच हजार से कम की है उन के ऊपर तो आज भी कोई पाबन्दी नहीं है । इस वास्ते यह कहना कि सब के ऊपर पाबन्दी है यह तो जायज़ बात नहीं है । लेकिन ताहम जो

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

थोड़ा सा हिस्सा रह सकता है जिस के ऊपर पाबन्दी है और जो महसूस करता है कि उस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है । मैं चाहता हूं कि वह डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश की इकानामी को कायम रखने के वास्ते रखा जाय । वह डिस्क्रिमिनेशन दरअस्ल उन लोगों पर है जो प्रोपाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं । वह मौका मिलते ही अपनी जायदाद बेच कर, पाकिस्तान चले जायेंगे । यह सही है कि इस से वहां के रहने वाले कुछ मुसलमानों को तकलीफ है । मैं नहीं चाहता कि उन को तकलीफ हो । लेकिन इस वक्त हम को अपने मुल्क की इकानमी को देखना है । सन् ५३ में काज़मी साहब ने जो तजवीज़ रखी थी अगर वह कबूल हो जाती तो जो चाहता वह अपनी जायदाद बेच सकता था । मुझे बहुत से लोगों ने बतलाया है, पता नहीं कि यह कहां तक ठीक है कि बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं कि इस बात की इजाज़त हो और वह अपनी जायदाद बेच कर चले जायें । मैं महसूस करता हूं कि यह कुदरती बात है कि बहुत से मुसलमान भाई यह महसूस करते हों कि वे पाकिस्तान चले जायें । अगर वहां हिन्दू रहते होते तो हिन्दुओं की भी यही ख्वाहिश होती । चुनांचे जब बंगाल का एग्जोडस हो रहा था तो मैं ने कहा था कि जो शख्स पाकिस्तान जाना चाहते हैं उन के रास्ते में रुकावट मत डालो और जो आना चाहते हैं उस को आने दो । उन की जायदाद यहां रख लो । जो आदमी वहां जाना चाहते थे वे भी हमारे भाई थे और जो आना चाहते थे वे भी हमारे भाई थे । मैं नहीं चाहता कि किसी को तकलीफ हो । इसलिये मैं ने कहा था कि जो वहां जाये उस को वहां जायदाद दे दो और जो यहां आवे उस को यहां दे दो । लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि जो रुपया यहां के लोगों के लिये इस्तैमाल होना चाहिये उस को फ्रिटर अवे कर दिया जाय ।

आज मैं क्या नई तबदीली देखता हूं । आज क्या पाकिस्तान में कोई नया कानून इस बिल को ऐब्रोग्रेट करने के लिये बनाया गया है । क्या कोई ऐसा साइकौलिजिकल मूवमेंट देखा है जिस से यह महसूस हो कि यह मौजूदा कानून एब्रोगेट कर दिया जाय । जब आप हर एक मुसलमान को जनरल इजाज़त देते हैं हर एक ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान जाना चाहता है अपनी सारी बड़ी से बड़ी जायदाद को बेच दे तो यह ही साइकौलिजिकल वक्त है जब कि आप इस सेक्शन को कायम रक्खें । हम को डर है कि बड़ी बड़ी रकमें यहां से बाहर चली जायेंगी । अगर कोई इनमें से रकम बाहर न भेजे तो तब तो ठीक है लेकिन जो जायदाद बेच कर रकम बाहर भेजे तो जरूरी और मुनासिब है कि ऐसे शख्स की जायदाद जब्त कर ली जाय ऐसे अफेंडर्स के खिलाफ यह ऐक्शन काम में लाया जायगा । ऐसे शख्स जो इस देश की सम्पत्ति यहां के लोगों के फायदे के वास्ते नहीं बल्कि दूसरे देश में उसे भेजना चाहते हैं, उन पर जरूर यह पाबन्दी आयद होगी । इस वास्ते मैं अर्ज करूंगा कि मैं इस चीज को मानता हूं कि नम्बर २ 'डी' का जहां तक ताल्लुक है उस को आप कायम रखिये । २ को वैसे का वैसा रखिये क्योंकि कोई चारा नहीं है । वह लोग पाकिस्तान में गये हैं, यहां की जायदाद का इन्तजाम नहीं कर सकते, वह बहुत सी जायदाद छिपी हुई है, उस को हासिल करना हमारा फर्ज है । जहां तक नम्बर ३ और ५ का सवाल है उन को रखने से कोई फायदा नहीं है । पाकिस्तान की जायदाद के अन्दर अगर कोई हमारे भाई हिस्सा लेते हैं उस से फायदा उठाते हैं तो मैं नहीं समझता कि उस से हमें कोई नुकसान होगा, क्योंकि जो जायदाद यहां की है उस को तो चन्द रोज में हम खत्म करने वाले हैं और कुदरती तौर पर वहां भी सब जायदादें

खत्म हो जायेंगी । लेकिन जहां तक नम्बर ४ का सवाल है अगर आनरेबिल मिनिस्टर के पास ऐसे एदादोशुमार हैं जिन की रू से वह समझते हैं कि बहुत थोड़ी रकम यहां से जायेगी कौर उन्हों ने ऐसे होल्स प्लक कर दिये हैं कि यहां से रकम बाहर नहीं जायेगी तब अवश्य वह जो एबनारमिल्टी है उस को दूर करें । लेकिन जब तक आप यह एश्योरेंस न कर लें तब तक मैं नहीं समझता कि इस एब्रोगेशन के बिल को लाने की क्या जरूरत है । हवाई स्लोगन्स व थ्योरीज़ के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं । अभी सन् ५३ में हम कर चुके हैं, एक साल बाद क्या जरूरत है कि फौरन यह एब्रोगट हो जाय, दूर हो जाय । इस के अन्दर आप इस किस्म से तरमीम कीजिये, उस को अमेंड कीजिये । आप नम्बर ३ से ५ तक को हटा दीजिये । लेकिन नम्बर ४ को कायम रखिये । मैं यह ७ मई, १९५४ का जो तारीख मुकर्रर की है इस में कोई तत्व नहीं देखता मैं इस को पसन्द नहीं करता । मैं नहीं चाहता कि जो पाकिस्तान चले गये उन के बरखिलाफ आप कोई कानून पास करें क्योंकि उन पर हमारा कोई अख्तियार नहीं रह जाता लेकिन मैं ऐसे शख्सों के खिलाफ जरूर इस कानून को कायम रखना चाहता हुं जो यहां की जायदाद ले कर भागना चाहते हैं और यहां से रकम बाहर भेजना चाहते हैं । ऐसे लोगों के लिये मैं जरूर इस कानून को कायम रखना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि हम गलती करेंगे अगर हम इस कानून को खत्म कर दें । दफा १६ के मुताबिक मुझे अर्ज करना है और वह यह है कि दफा १६ की रू से अगर कोई शख्स उस सूरत में ऐप्लाई करता है जिस सूरत में दरख्वास्त देने वाला इवैक्वी हो और किसी सूरत से दफा १६ ऐप्लाई नहीं करती और इवैक्वी की तारीफ नम्बर २ 'डी' में १ से ५ में दी हुई है, तो जब कोई शख्स दरख्वास्त दे गवर्नमेंट के सामने कि मैं इवैकुई नहीं हूं तो वह दफा १६ की रू से आउट आफ कोर्ट है । इस ऐक्ट को जब हम ने बनाया तो हम ने उस का काफी तवज्जह से बनाया था और हम ने इस बात का ख्याल रक्खा कि माइनोरिटीज़ किसी किस्म की कोई शिकायत न कर सकें । हम ने इस के अन्दर किसी शख्स को, सिवाय माइनौरिटीज़ के, सिवाय इवैकुई के, सिविल कोर्ट में जाने का हक नहीं दिया । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और हाई कोर्ट में जाने का हक हम ने सिर्फ इवैकुई को दिया क्योंकि उन की जायदाद पर असर पड़ता था । चुनांचे हम ने जो कानून पास किया उस के अन्दर दफा ७ में हम ने यह तय किया कि जिस के नाम नोटिस होगा वह इंटरेस्टेड पर्सन होगा और वह सारे मामले सिविल कोर्ट और अपील वगैरह के तय कर सकेगा । दूसरे लोगों को इस किस्म की रियायत नहीं दी गई । इस के अलावा जनाब देखेंगे कि इस में एक दफा ८ (२) खास तवज्जह के काबिल है । ८ (२) की रू से वह जायदाद जो कि पहले इवैकुई बना दी गई थी, पहले किसी आर्डिनेंस और ला के मातहत.....

श्री एन० सी० चटर्जी : इस अधिनियम के पूर्व ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उसके वास्ते यह कानून बनाया गया । मैं अर्ज करूंगा कि इस ऐक्ट में जो तारीफ है इवैकुई प्रापर्टी की कि इवैकुई प्रापर्टी वह जायदाद है जिस के अन्दर इवैकुई का कोई इंटरेस्ट हो या उस का किसी किस्म का कुछ वास्ता हो या उस की मिलकियत हो । लेकिन इवैकुई की यह तारीफ नहीं है । वह शख्स जो इवैकुई प्रापर्टी का मालिक है, दफा ४० में जो तारीफ दी गई है उस के मुताबिक भी वह जायदाद भी जिस को कोई तीसरा शख्स खरीदता है वह भी इवैकुई प्रापर्टी करार दी गई है । यह करार देना कि जो शख्स इवैकुई प्रापर्टी का मालिक है

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

या ऐसी जायदाद में अपना हक बतलाता है वह इवैकुई है दुरुस्त नहीं है इस वजह से मुझे को डर है कि वह अशखास जिन को दफा १६ के अन्दर मेरे लायक दोस्त ने शामिल किया हुआ है उन में से कुछ लोग उस दफा १६ में नहीं आ सकेंगे। इवैकुई जब तक वह न बनें, जब तक इस दफा १ से पांच के अन्दर वह न आयें उस वक्त तक किसी शख्स को इवैकुई कहलाने का हक नहीं है और जब तक ऐसा न हो उस वक्त तक उस को यह हक नहीं है कि वह किसी सूरत से दफा १६ के अन्दर आ सके। मैं एक बात और कह कर खत्म किये देता हूं मुझे पता नहीं कि मैं यह प्वाइंट पूरे तौर से समझा सका हूं या नहीं। मैं ने इतना अर्ज किया है कि जो शख्स यह कहे कि इवैकुई प्रापर्टी का मैं मालिक हूं वह जरूरी तौर पर इवैकुई नहीं। जो इवैकुई प्रापर्टी का मालिक है वह ज़रूरी तौर पर इवैकुई नहीं है। जो ८ (२) 'डी' से ५ तक नहीं आ सकते वह दफा १६ में नहीं आ सकते। जिन अशखासों को हम ने दफा ७ में इजाज़त दी थी, कि वह रिवीज़न के लिये ऐप्लाई कर सकें, उन के लिये हम ने यह प्राविज़न किया है। फिर हम ने उन के वास्ते दफा २३, २४, २५ और २८ में यह प्रोवाइड किया कि आखिरी जो फैसला होगा अदालत का वह आखिरी फैसला होगा, कस्टोडियन का फैसला नातिक होगा, फाइनल होगा। किसी कानून का मंशा नहीं हो सकता कि एक फाइनल फैसला हो जाये, उस के बाद भी किसी कोर्ट को किसी एथारिटी को उस के अन्दर आम तौर पर दख्ल देने का हक हो। दफा १६ में इस वास्ते जो इम्तियाज रक्खा था वह बड़ा जरूरी था कि बावजूद इन सारी चीजों के अगर किसी की ऐप्लीकेशन हो अगर वह इवैकुई हो चाहे वह पाकिस्तान से आया हुआ शख्स हो या यहां का है जिस ने अपनी जायदाद बाहर भेजनी चाही उस को इवैकुई करार दिया गया अगर उस को कहीं तकलीफ हो और गवर्नमेंट उस को जस्ट और प्रापर समझे तभी सर्टिफिकेट दे। सन् १९५३ से पहले जो ला की हालत थी वह एक अजीब तरह की थी उस के अन्दर आप को मालूम है कि बावजूद इसके कि उस को सर्टिफिकेट मिला हो उस में कस्टोडियन का अख्तियार था कि उस की ऐप्लीकेशन को खारिज कर दे। लेकिन सन् ५३ के कानून की रू से हम ने इस में तरमीम की और गवर्नमेंट को अख्तियार दिया कि गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ऐसा नहीं हो सकता। इस का बिल्कुल सहल तरीका है जिस के अन्दर हम इस को तय कर सकते हैं। नम्बर आफ एप्लीकेशंस से हमें घबड़ाना नहीं चाहिये और जो जस्ट केस हो उस को हमें रिलीफ देना चाहिये।

मेरी अदब से गुजारिश है कि पेशतर इस के कि इस ला को ऐब्रोगेट किया जाय इस के ऊपर काफी गौर और खोज होना चाहिये। मेरे पास कोई फीगर्स नहीं, मुझे आप कुछ फीगर्ज दीजिये जिन से यह साबित हो कि आप के ऐसा कानून बनाने से इस देश की राष्ट्रीय इकानोमी पर खास असर नहीं पड़ेगा, अगर थोड़ी बहुत सम्पत्ति हो तो मैं उस की परवाह नहीं करता। जब तक यह चीज हमारे सामने न हो, मैं इस कानून को मानने को तैयार नहीं हूं जब तक यह नहीं मुझे यकीन दिला दिया जाता कि इस कानून से देश की इकानोमी को नुक्सान नहीं पहुंचेगा, मैं इस को मानने को तैयार नहीं हूं।

श्री ए० पी० जैन : चूंकि खण्ड ३ ही एक महत्वपूर्ण खण्ड है अतः इस पर चर्चा के लिये अधिक समय दिया जाना चाहिये जिससे जो सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं उन्हें अवसर मिल सके। इस का तात्पर्य इस पर सामान्य चर्चा करना होगा।

सभापति महोदय : खण्डवार चर्चा ४५ मिनट में समाप्त हो जानी चाहिये ।

श्री ए०पी० जैन : तृतीय वाचन के लिये आप एक घण्टा १५ मिनट का समय रख सकते हैं क्योंकि उस समय वाद विवाद तो होगा नहीं ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री को उत्तर देने में कितना समय लगेगा ?

श्री ए० पी० जैन : पन्द्रह मिनट ।

सभापति महोदय : लाला अचित राम ।

लाला अचित राम : सभापति जी, मैं पहले ही अर्ज कर दूं कि मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं । जब बिल को पेश किया गया तो उस के ग्राउन्ड्स भी बताये गये । एक तो यहां अभी एक कम्पेन्सेशन बिल पास हो चुका है और उस के अन्दर जितनी इवैकुई प्रापर्टी थी उस के टाइट्ल वगैरह क्वैश कर दिये जायेंगे और वह रुपया जो है वह बांट दिया जायेगा रिफ्यूजीज को कम्पेन्सेशन के तौर पर ।

साहबे सदर, जो दलील आज इस बिल को पेश करने के लिये दी गई है वह मुझे बहुत मजबूत नहीं मालूम पड़ती है । यह उसी सूरत में हो सकता था जब कि उतना कम्पेन्सेशन मिल गया होता जितना कि उनका हक था और अब और रुपये की जरूरत न होती । ऐसी सूरत में अगर इस बिल को पेश करने की यह दलील दी जाती तब तो मैं समझ सकता था, लेकिन जब कि यह रकम कुल २० परसेंट है तो ऐसी सूरत में इस बिल को पेश करने की यह दलील देना बहुत मुनासिब नहीं है ।

दूसरी बात जो कही गई वह यह कि इस वक्त मुल्क के अन्दर हालात बिल्कुल शान्त हो गये हैं, सब कुछ ठीक है इसलिये इस बिल को पास कर देना चाहिये । मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हालात के मुताल्लिक मेरी रीडिंग मुखतलिफ है । मैं समझता हूं कि इस वक्त भी मुल्क के अन्दर नार्मल हालात नहीं हैं । छोटी छोटी बातों से ही यह चीज साफ हो सकती है । आज जब मैं अपने दिल से पूछता हूं कि क्या यह मुमकिन है कि जो हिन्दू यहां पर रहते हैं वह पाकिस्तान के अन्दर इंडियन नेशनल के तौर पर रहें, जैसे कि इंगलैंड के अन्दर हिन्दुस्तान के आदमी रह सकते हैं, या फ्रान्स के अन्दर, या अमरीका के अन्दर हमारे यहां के आदमी रह सकते हैं । तो मेरे दिल से जवाब यह आता है कि आज पाकिस्तान के अन्दर किसी भी आदमी का रहना जो कि यह डिक्लेअर करता है कि मैं इंडियन नेशनल हूं, मुश्किल है । इसी तरह अगर हिन्दुस्तान के अन्दर अगर कोई आदमी यह कहे कि मैं पाकिस्तानी नेशनल हूं, तो उस के लिये भी मैं समझता हूं यहां रहना मुश्किल है । मैं देखता हूं कि पाकिस्तान के अन्दर, आप हिन्दुस्तानी नेशनल के रहने की बात तो छोड़ दीजिये, फजलुल हक साहब का क्या फेट हुआ है । यह सब को पता है । वह भी पाकिस्तानी थे, लेकिन वहां की हुकूमत का कहना यह था कि उन्होंने प्रोइंडियन तकरीर की । इस का खम्याजा उन को यह भुगतना पड़ा कि तख्त से उतरना पड़ा । इस लिये कहा जाय कि पाकिस्तान के अन्दर हालात नार्मल हैं, यह ठीक नहीं मालूम पड़ता । यह वाक्यात के खिलाफ है । इसी तरह से हिन्दुस्तान के अन्दर भी अगर कोई शख्स यह कहे कि मैं पाकिस्तानी हूं, अम्बेसडर वगैरह की बात जाने दीजिये, तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि वह यहां आराम से रह सकें । आज यहां की हालत यह है कि अगर कोई दयानतदार मुसलमान भी हो, और उस को बदनाम करना होता है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ है । मैं समझता हूं कि अगर आज यह कहा जाये

[लाला अचित राम]

कि हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसे नार्मल हालात हैं कि कोई भी अपने को पाकिस्तानी कह कर रह सके या पाकिस्तान के अन्दर यह कहा जाय कि कोई भी शख्स हिन्दुस्तानी बन कर रह सके, तो यह सही नहीं है। इस वास्ते इन हालात का ख्याल रखते हुए अगर यह समझा जावे कि हिन्दुस्तान के हालात नार्मल हैं, तो यह ठीक नहीं है ।

साहबे सदर, इस के अलावा जो हालात आप इस वक्त देख रहे हैं हिन्दुस्तान के अन्दर, अभी १५ अगस्त का मामला आया, कैसे वाक्यात हुए, हैदराबाद में क्या हुआ और औरंगाबाद में क्या हुआ, क्या उस से यही नतीजा निकलता है कि हालात नार्मल हैं। मैं समझता हूं कि आप हर्गिज यह नतीजा नहीं निकाल सकते । एक बात नहीं, मैं कई बातें बतला सकता हूं । अभी ईस्ट बंगाल से रेणुका राय जी लौट कर आई हैं, उन्हों ने बताया कि किस तरह से एग्जोडस वहां से बढ़ रहा है। पहले एक हजार था, दो हजार था, चार या पांच हजार था, लेकिन अब दस हजार की तादाद में लोग चले आ रहे हैं। आखिर यह क्यों चले आ रहे हैं ? जब यह सब हो रहा है तो यह मुश्किल है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में हालात नार्मल रह सकें । इस वास्ते अगर यह कहा जाये कि इस ला को हम इस लिये लाये हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर हालात नार्मल हैं, मैं इस चीज को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। लेकिन मैं इस की ताईद क्यों कर रहा हूं ? मैं समझता हूं कि हमें उस बात की कोशिश करनी चाहिये कि जितनी जल्दी हो सके हम हालात को नार्मल बनाने की कोशिश करें। इस में जल्दी कैसे हो सकती है ? पहले हमारा फर्ज है कि जो हिन्दुस्तान के नेशनल हैं, वह असहाब जिन्होंने यह फैसला किया कि हम अपनी किस्मत को हिन्दुस्तान के साथ वाबस्ता करते हैं, उन के लिये हम ऐसे हालात पैदा करें कि वह निडर हो कर, बे खौफ होकर रह सकें और उन के रास्ते में कोई रुकावट न हो । मैं चाहता हूं कि आप में यह ईमान हो कि हिन्दू और मुसलमान सब एक साथ मिल कर रह सकें । मैं समझता हूं कि जिस मुसलमान ने यह फैसला किया कि वह अपनी किस्मत को हिन्दुस्तान के साथ वाबस्ता करता है, उस को हिन्दुस्तान में रहने का ज्यादा अधिकार उस को ज्यादा क्रेडिट है बजाय उस के जो कि यह कहे कि मैं हिन्दू हूं । मैं समझता हूं कि आज उस के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। आज लोग उन को पाकिस्तानी भी कहते हैं, और दूसरी बातें भी होती हैं, लेकिन फिर भी वह अपने आप को हिन्दुस्तानी कहते हैं, इसलिये अगर उन के रास्ते में आज कोई रुकावट हो तो आप उसे दूर करें। एक बड़ी रुकावट आज यह है कि अगर एक मुसलमान दयानतदारी से कारबार करने के लिये अपनी प्रापर्टी को बेचना चाहता है तो भी नहीं बेच सकता है। उस पर शक किया जाता है कि वह पाकिस्तान चला जायेगा। वह मुसलमान बहुत ईमानदारी के साथ अपनी प्रापर्टी को या बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, लेकिन कहा जाता है कि हम तो प्रापर्टी ला को उस पर लागू करेंगे क्योंकि वह आदमी भले ही हिन्दुस्तानी अपने को कहे लेकिन हृदय से वह अब भी पाकिस्तानी है। प्रापर्टी ला को लागू करने का यह नाजायज फायदा उठायेगा । मैं उन से पूछता हूं कि आखिरकार हम चाहते क्या हैं ? क्या हम यही तो चाहते हैं कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान के लायल हैं वह हिन्दुस्तान में न रहें ? अगर ऐसा है तो हमें इस में कोई ऐतराज नहीं हो सकता। हम तो सिर्फ इसी के बर्खिलाफ हैं कि हमारा रुपया यहां से जायेगा ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप इस इवैकुई प्रापर्टी ला को हटाते हैं, या उन को अपनी जायदाद को बेचने की इजाज़त देते हैं तो आप दरहकीकत उन लोगों को जो सच्चे देशभक्त हैं, एक मौका देते हैं कि वह दयानतदारी से और भी देशभक्त बनें और हिन्दुस्तान की सेवा करें। साथ ही वह पाकिस्तानी जो भारतीय नागरिक होना चाहते हों, उन से आप कहते हैं कि हम तुम को आसानी देंगे। मैं कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति आज लाखों होंगे जो पाकिस्तान में रहना पसन्द करेंगे। वह पाकिस्तान में जा कर रहेंगे और लायिल हिन्दुस्तान के रहेंगे। वह पाकिस्तान में जा कर रहेंगे और जिन की वहां पर प्रोपर्टी है उस की रक्षा भी करेंगे। मैं चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान में जा कर रहूं, लेकिन इंडियन नेशनल के तौर पर रहूं और अपनी जायदाद की रक्षा करूं। मैं समझता हूं कि आज लाखों हिन्दू लोग जो दिल से हिन्दुस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहना चाहेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग भी यहां हो सकते हैं कि जो दिल से पाकिस्तानी हैं, लेकिन हिन्दू हैं। हमारा फर्ज है कि हम उन का रास्ता खोलें और उस का तरीका यही है कि अगर हमारा प्रापर्टी ला इस की इजाजत न देता हो तो इस का रास्ता निकालें। और कम से कम जो उन का प्रापर्टी से अटेचमेंट है उस से उन को रिलीज़ कर दिया जाये। वह आज हिन्दुस्तान की प्रापर्टी के साथ बंधे हुए हैं। जब वह अपनी प्रापर्टी बेच दें तो हमें यह देखना चाहिये कि वह रुपया बाहर न जाये। अगर हम यह इन्तजाम कर लेते हैं कि देश का रुपया बाहर न जाये तो हम समझते हैं कि हम देश की बहुत सेवा कर लेते हैं। ऐसा करने से आप को पता चल जायेगा कि किस की नेशनेलिटी डाउटफुल थी। लेकिन यह आसान काम नहीं है। आप कहते हैं कि हम रुपया बाहर न जाने देंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो हो सकता है। लेकिन ज्यादातर मैं यही समझता हूं कि यह नहीं हो सकता। लेकिन क्या किया जाये। मैं ने एक छोटा सा अमेंडमेंट दिया था। मैं यह नहीं कहता कि मेरा अमेंडमेंट कबूल कर लिया जाये लेकिन मुझे जवाब तो दिया जाये। फर्ज कीजिये कि एक जायदाद बिकती है और उस के बाद रुपया बाहर जाता है और आप पकड़ नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे। जब आप जानते हैं कि प्रापर्टी बिक रही है और रुपया भेजा जा रहा है लेकिन आप पकड़ नहीं सकते तो आप क्या करेंगे। जो अमेंडमेंट मैं ने दिया है वह इस चीज को रोकने में मदद कर सकता है। आप उस को रिव्यू करें। अगर आप समझते हैं कि उस से वह बात नहीं हो सकती तो ठीक है। मैं यह नहीं कहता कि मेरा अमेंडमेंट ठीक है। अगर आप समझते हैं कि स्टेट कन्ट्रोल कर सकती है तो ठीक है। मगर मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं हो सकेगा। आप इस चीज को अपने सामने रखें। मैं आप के इस बिल को होल हार्टेली सपोर्ट करता हूं। और मैं चाहता हूं कि हम अपने मुल्क को मजबूत करें। अगर हम इस कानून को लाते हैं तो मुल्क जरूर मजबूत होता है लेकिन कहीं ऐसा न हो कि मजबूत करने के साथ साथ हम इस को नुकसान पहुंचा दें।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : चेयरमैन साहब, यह जो बिल हमारे सामने आया है उसूलन हमें इस से कोई ऐतराज नहीं है। हम सब लोग यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में जो भी आदमी रहते हों, चाहे हिन्दू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों या पारसी हों, हम सब को बराबर अधिकार दें और हर एक यहां आराम से रहे। अगर आप चाहते हैं कि यहां के मुसलमान अपनी जमीन जयदाद बेच सकें और इस की उन को पूरी आजादी हो तो इस में हम को कोई ऐतरज नहीं है।

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

हमारा ऐतराज दूसरा है । एक तो मैं यह समझती हूं कि हमारी बदकिस्मती यह है कि पार्टीशन के बाद ऐसा सिलसिला चला कि इवैक्वी पूल ही कम्पेन्सेशन पूल माना गया । अगर ऐसा न हुआ होता तो बहुत अच्छा होता । इसलिये कि जब हम रिफ्यूजीज के वास्ते कुछ प्रार्थना करते हैं तो हमारे कोई भाई समझते हैं कि हम उन के खिलाफ हैं । अगर वह अपने लिये कुछ प्रार्थना करते हैं तो इधर रिफ्यूजीज यह समझते हैं कि हमारे खिलाफ हैं । यह हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसी परिस्थिति में पड़े । जब हम ऐतराज उठाने लगते हैं कि रिफ्यूजी पूल बहुत कम न हो जाये तो दूसरे भाई ऐतराज उठाते हैं कि कहीं दूसरे आदमी इवैक्वी न बना दिये जायें । ऐसे कुछ केसेज हिफजुर्रहमान साहब । बतलाये । अगर कोई ऐसा गलत केस है तो उस को ठीक किया जाय । इस में हम उन के साथ हैं । अगर किसी को नाजायज तरीके से इवैक्वी बनाया गया है तो हम उस के लिये लड़ाई करने को तैयार हैं । लेकिन जो आप यह ऐक्ट पास करना चाहते हैं उस से हमें जो परेशानी होती है उस की तरफ हम आप की तवज्जह दिलाना चाहते हैं । जब पार्टीशन हुआ तो बहुत से हिन्दू और सिख पाकिस्तान से यहां आये और मूसलमान वहां चले गये और उन की बहुत सी जायदाद दोनों मुल्कों में पड़ी रही । उस जायदाद को संभालने के लिये यह ला बनाय गया । दोनों गवर्नमेंटों ने यह समझा कि अगर गवर्नमेंट इस जायदाद को संभाल लेगी तो यह जायदाद बच जायेगी और जो हकदार होंगे उन को वह मिल जायेगी । इसलिये हम लोगों ने यह कानून बनाया और हम अब तक यह समझते रहे कि अगर हमारा पाकिस्तान से फैसला हो जायेगा तो हमारी जायदाद हम को मिल जायेगी और उन की जायदाद हम उन को दे देंगे । अब सारी दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा जायदाद है और इसलिये वह समझता है कि हम को हिन्दुस्तान से समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है : इसलिये आज हम इस हालत में पहुंच गये हैं । तीन दिन पहले जो डिबेट हुई उस में आपने देखा कि हमारे पास १०० करोड़ रुपये की इवैक्वी प्रापर्टी है जिस में से रिफ्यूजीज को कम्पेन्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट को इस परेशानी से निकालने के लिये हमारा यह सुझाव है कि अगर वह चाहें तो मुसलमानों की सारी जायदाद रेस्टोर कर दें, हमें ऐतराज नहीं है, सिर्फ हमारे लिये १८५ करोड़ रुपया अंडर राइट कर दें जिस से रिफ्यूजीज और मुसलमान दोनों का काम हो जाये । हम तो न रिफ्यूजीज के खिलाफ कहना चाहते हैं और न मुसलमानों के खलाफ कहना चाहते हैं ।

जब हमने इवैक्वी प्रापर्टी ला बनाया तो हम को ख्याल हुआ कि कहीं किसी मुसलमान को बेजा तौर पर इवैक्वी न बना दिया जाय । इसलिये हम ने इस के लिये कानून में काफी गुंजाइश कर दी । हम ने क्लाज़ १६ रेस्टोरेशन के लिये रखा । और अगर उस से भी पूरा न पड़े तो हम ने अपील के लिये २४ से ले कर २८ तक के क्लाज़ेज में प्रावीजन किया । हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इस बात की पूरी कोशिश थी कि किसी मूसलमान को गलत तरीके से इवैक्वी न बना दिया जाय । और अगर किसी को गलती से इवैक्वी करार दे दिया जाये तो उस को अपील का पूरा मौका मिले और उस के साथ इन्साफ हो जाये । इस कानून में काफी प्रावीजन है कि मुसलमान भाइयों के साथ बेइन्साफी न हो सके । इसलिये आज इस ऐक्ट में जो आप प्रावीजन रख रहे हैं मैं समझती हूं कि वह आप ज्यादा रख रहे हैं । आप ने उन के लिये सारा इन्साफ करने का प्रावीजन रखा लेकिन उस के बाद भी उन के लिये एक सुपर सुप्रीम कोर्ट

बनाना चाहते हैं कि वह पुराने मामलों को खोल सकें । यह जो ७ मई सन् १९५४ के आप नें नियम बदले हैं उस का नतीजा यह हुआं है कि दस हजार नई अर्जियां आई हैं । एक लेटेस्ट रयूमर मैं ने सुनी है कि किसी रिलीफ कमेटी की मार्फत ११ हजार अर्जियां इन के अलावा और आई हैं । इस तरह से २० या २२ हजार अर्जियां आ गयी हैं । रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर साहब इस चीज को बतलायेंगे कि यह सही है या नहीं । लेकिन अगर इतनी अर्जियां आ गयी हैं तो यह इवैक्वी पूल तो रहेगा नहीं । आप सारे पूल को ले लें और हम को १८५ करोड़ अंडर राइट कर दें तो हम को कोई ऐतराज नहीं होगा । अभी तक रिफ्यूजीज को कुछ मिला नहीं है और जब मिलने का वक्त आया तो समूहन समाप्त हो रहे हैं । इसलिये परेशानी होती है । अगर आप इस प्रापर्टी को छोड़ देंगे तो जो लाखों रुपया आप ने इन सात सालों में कस्टोडियन डिपार्टमेंट पर खर्च किया है वह भी जायेगा । हम चाहते हैं कि ऐसा न हो इन ऐप्लीकेशन्स की वजह से सारा समूहन खतम हो जाये । हो सकता है कि बहुत सी अर्जियां आवें और केसेज चल जायें और चाहे बाद में वे खिलाफ भी फैसला हो जायें लेकिन उन के चलने में सालों लग जायेंगी और तब तक आप कम्पेन्सेशन नहीं दे सकेंगे । इससे कम्पेन्सेशन पूल का एक बड़ा हिस्सा गड़बड़ी में पड़ जायेगा । इसलिये हमारा सब से बड़ा ऐतराज यह है कि जब आप ने पूरा लीगल प्रावीजन रखा है, अपील के लिये प्रावीजन रखा है, फिर आप सात साल के बाद एक नया कानून क्यों बना रहे हैं जिस से नये सिरे से मामलों को खोला जा सकता है । कुछ दिन पहले १० या ११ सितम्बर की न्यूज है कि कुछ मुसलमान भाई डेपुटेशन ले कर गये थे अपने वास्ते कुछ सहूलियत लेने । उन का एक प्वाइंट था जो मेरी समझ में नहीं आया । वह यह था कि जो मुसलमान ऐप्लाई करे प्रापर्टी के रेस्टोरेशन के वास्ते उस से यह भी जांच नही की जाये कि कि आया वह पाकिस्तान गया था या नहीं । अगर यह न्यूज सही है तो जो भी ऐप्लाई करेगा उस को प्रापर्टी रेस्टोर कर दी जायेगी और यह भी जांच नहीं की जायेगी कि वह हिन्दुस्तान से चला गया था या नहीं । तो इस तरह तो पूल खत्म हो जायेगा ।

श्री एम० एच० रहमान : मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : तो हमारा यही कहना है कि यह पूल खत्म न किया जाये । दूसरी बात जिस की तरफ मैं आप की तवज्जह दिलाना चाहती हूं वह यह है कि एक तरफ तो ऐसे केसेज़ हो सकते हैं कि जो लोग हिन्दुस्तान में रह रहे हैं उन को गलती से इवैक्वी करार दे दिया गया हो, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे केसेज़ भी हैं कि लोग चले गये हैं लेकिन उन्हो ने कोई न कोई ऐसी शक्ल बना रखी है कि उन की प्रापर्टी इवैक्वी प्रापर्टी नहीं करार दी जा सकती । किसी न किसी की मदद से वह ऐसा कर लेते हैं । किसी दूसरे को वह मालिक बना देते हैं ।

श्री ए० पी० जैन : कोई किसी को फर्जी तरीके से कैसे मालिक बना सकता है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी : आप को खुद मालूम है कि दिल्ली में बहुत से मकान हैं जो इवैक्वी प्रापर्टी होना चाहिये थे मगर वह किसी न किसी दूर के रिश्तेदार को उस में रख देते हैं जिस से यह मालूम होता है कि ओनर यहां है । मैं समझती हूं कि ऐसी काफी प्रापर्टी है जो कि इवैक्वी प्रापर्टी होनी चाहिये थी जो कि नहीं हुई है । हम समझते हैं कि कई ऐसे फैमिलीज़ हैं जिन्हों ने लाखों रुपया पाकिस्तान को भेजा है । तीन भाई वहां रहते हैं और एक भाई यहां रहता है । ऐसे जो इवेजन के केसेज़ हैं वे नहीं छूटने चाहियें । आप जिस तरह से इनकम टैक्स इवेडर्स

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

पर सख्ती करते हैं और अगर कोई कानून तोड़ कर इवेजन करता है तो उस को सजा देते हैं इसी तरह आपको यहां करना चाहिये ।

श्री ए० पी० जैन : मैं आप की बात समझने के लिये आप का मतलब समझना चाहता हूं । इस वक्त कानून यह है कि अगर चार भाई हैं और उन में से तीन भाई पाकिस्तान चले गये हैं तो तीन चौथाई हिस्सा निकासी की जायदाद हो जायेगी और जो आदमी यहां बैठा है उस की चौथाई जायदाद निकासी की नहीं होगी । इसलिये मैं समझ नहीं पाया कि आप का क्या मतलब है ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मुझे सिर्फ यही कहना है कि ऐसे भी केसेज़ देखने में आये हैं कि एक आदमी को यहां पर छोड़ दिया जाता है और उस को मालिक बना दिया जाता है और बाकी सारे पार्टनर्स यहां से चले जाते और, यह भी देखा गया है कि वह मालिक की नकल करते हैं और वास्तव में मालिक होते भी नहीं हैं, ऐसे केसेज़ में मैं चाहूंगी कि जहां कि ला का इवैज़न हुआ है, कानून का उल्लंघन हुआ है वहां कानून के तोड़ने वाले को जरूर सज़ा मिलनी चाहिये । इस ऐक्ट के अन्दर जो मुसलमान यहां पर रह रहे हैं उन को अपनी प्रापर्टी बेचने का हक हो मुझे इस में कोई ऐतराज नहीं लेकिन जो आप के कानून के मुताबिक औफेंडर्स बन चुके हैं उन को नहीं छोड़ना चाहिये । ऐसे लोगों की प्रोपर्टीज़ को हमें देखना चाहिये कि वह इवैक्वी पूल में आयें । यही मेरे दो, तीन एतराज इस ऐक्ट के सम्बन्ध में थे जिन की ओर मैं ने तवज्जह दिलाई, बाकी मेरा इस ऐक्ट से इत्तिफाक है ।

श्री गिडवानी (थाना) : इस विधेयक के दो पहलू हैं एक राष्ट्रीय और दूसरा शरणार्थी। राष्ट्रीय पहलू के सम्बन्ध में सभी लोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि हम सब को यह प्रयत्न करना चाहिये कि यहां से पाकिस्तान को धन न जा सके । धन भिन्न भिन्न प्रकार से ले जाया जा सकता है । इस सम्बन्ध में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार का उद्धरण देते हुए उन्हों ने बताया कि हैदराबाद के मंत्री ने उस राज्य की विधान सभा में बताया कि विदेश से लौटे उस राज्य के आठ छात्र तथा चौदह प्रतिनियुक्त कर्मचारी, जिन में दो स्त्रियां भी थीं, पाकिस्तान चले गये ? इसी प्रकार उत्तर प्रदेश विधान सभा में रामपुर के नवाब तथा एक अन्य भूतपूर्व राज्य के प्रशासक द्वारा सम्पत्ति पाकिस्तान ले जाने के सम्बन्ध में पूछे जाने वाले प्रश्न अध्यक्ष महोदय द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये । राज्य में पाकिस्तानी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के विषय में भी पूछा गया प्रश्न डा० सम्पूर्णानन्द ने अस्वीकार कर दिया ।

यदि इसी प्रकार की चीजें होती रहीं तो क्या परिणाम निकलेगा । पहले वाले अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार धन भेजने वालों को इच्छुक निष्क्रमणार्थी' कहते थे । इस प्रकार भेजा गया धन पाकिस्तान सरकार लेगी अथवा हमारे यहां के समूहन में जायेगा ?

राष्ट्रीय पहलू यह है कि क्या इस प्रकार रुपया भेजने के लिये अनुमति देना हमारे देश के हित में है ? इस प्रश्न का निर्णय माननीय सदस्य तथा मंत्री करेंगे ।

शरणार्थी पहलू यह है कि यदि कुछ मुसलमान यहां शान्ति से यहीं के नागरिक हो कर रहना चाहते हैं तो मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है । मेरा कथन केवल यह है कि यह जो १०० करोड़ रुपयों का निष्क्राम्य समूहन है, इस में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिये । जैसा श्रीमती सुचेता कृपलानी ने कहा है १०,००० आवेदन पत्र

प्राप्त हुए हैं जिस में से कुछ न कुछ को रुपया अवश्य मिलेगा । मैं यह मानने को तैयार नहीं कि बहुत से लोगों को बेकार तंग किया जा रहा है । शरणार्थियों के एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यदि इस समूहन में से किसी को सहायता दी जाती है तो इस का चन्दा बढ़ाना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है । अतः हमें इस बात का आश्वासन दिया जाना चाहिये कि इस समूहन में कमी नहीं होगी वरन् उस में वृद्धि की जायेगी । यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो विस्थापित व्यक्तियों के मन में यह सन्देह बना रहेगा कि उन के हितों के विपरीत कार्य किया गया है ।

अब मैं थोड़ा सा हिन्दी में मौलाना हिफजुर्रहमान साहब की खिदमत में अर्ज कर दूं । आज रिफ्यूजीज की समस्या यह है कि फर्ज कीजिये कि एक भूखे आदमी को अपना पेट भरने के लिये चार रोटियों की जरूरत है और उस भूखे इंसान के सामने आप एक रोटी डालें तो वह कैसा भी समझदार क्यों न हो उस की आत्मा तड़प उठेगी और उस का दिल हमेशा दुखी रहेगा । अब हमारी बहिन सुभद्रा जोशी ने जो कुछ हमारे बुजुर्गों के लिये कहा है मैं उस पर उन को क्या कहूं, क्योंकि हमें एक मर्यादा में रह कर बोलना पड़ता है और आचरण करना पड़ता है । हमारी बहिन ने जिस प्रकार हमारे ऊपर आक्षेप लगाये और इलजाम लगाये और यह कहा कि हम पाकिस्तान बनने के बाद ऐसी बातें कह कर के लीडर बनना चाहते हैं तो मैं उन से कहना चाहूंगा कि लीडरी की ख्वाहिश हम में कतई नहीं है और हम तो आज से नहीं पिछले ५० वर्षों से पबलिक में काम कर रहे हैं, जब से काम कर रहे हैं जब कि हमारी बहिन पैदा भी नहीं हुई होंगी । मैं और ज्यादा उन से नहीं कहना चाहता सिवाय इस के कि आप की सत्ता है, आप का एनफुलुएंस है जो मन में आये कहिये ।

हमारे जो अरबन प्रापर्टी वाले रिफ्यूजी भाई हैं उन्हों ने गवर्नमेंट से ६६ परसेंट कम्पेन्सेशन मांगा है और आप ने जो इस पर विचार करने के लिये सेलेक्ट कमेटी बिठायी थी उस ने फिफटी परसेंट कम्पेन्सेशन देने की सिफारिश की थी तो मेरा कहना है कि आप फिफटी परसेंट ही दीजिये, आधा ही दीजिये, लेकिन बांटिये तो सही । आप ऐसा करें, तो हमारा झगड़ा नहीं है और हम आप के शुक्रगुज़ार होंगे ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (करनाल) : सभापति महोदय, आज जिस कानून को हम खत्म करने के लिये यहां जमा हुए हैं मुझे यह कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि वह कानन ऐसे हालात के लिये था जो कि देश के लिये नार्मल हालात नहीं थे, और किसी मुल्क की स्टेट्युट बुक पर इस किस्म का कानून होना कोई गौरव की बात नहीं है ।

सभापति महोदय, आज मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई जिस वक्त मौलाना साहब ने यहां उठ कर यह कहा कि इस मुल्क में मुझ को भी वह अधिकार होना चाहिये जो कि देशपांडे जी को हैं । मुझे इस बात की शर्म महसूस हुई, पर शर्म तो शर्म वालों को ही महसूस होती है, सब को तो नहीं महसूस होती । सभापति महोदय, सवाल यह है कि हमारे देश में जिस को कि हम सेकुलर हुकूमत कहते हैं, उस देश में दूसरे मजहब वालों को रहना चाहिये या नहीं रहना चाहिये । यह पहला सवाल है । हमारे यहां कुछ भाइयों ने यह कहा कि जो हिन्दुस्तान के नागरिक हैं उन को परेशान नहीं करना चाहते हैं । पर जैसा बहिन सुचेता कृपलानी ने कहा कि यह हमारी बदकिस्मती है कि हम ने इस झगड़े के वक्त इस कानून को बनाया था और हम ने इस कनून को

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

इस लिये बनाया था कि वह इवैक्वी प्रापर्टी की रक्षा करे । लेकिन उस सम्पत्ति में हम लोगों ने एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया । मैं आप से कहती हूं कि कानून रहे या न रहे, एक बेसिक सवाल है, एक उसूल का सवाल है कि अगर आप एक पड़ौसी का इंटरेस्ट इस बात में कायम कर दें, अगर आप पड़ौसी से यह कह दें कि तुम अपने दूसरे पड़ौसी को देश से भगा दो तो यह प्रापर्टी तुम को मिल सकती है तो एक सेकुलर हुकूमत इस देश में अमन चैन रखने के लिये कैसे काम कर सकती है । मैं कहती हूं कि हम अगर पड़ौसी पड़ौसी में एक ऐसा इन्टरेस्ट कायम कर दें कि अगर तुम किसी तरह से इन्तजाम कर के अपने पड़ौसी को यहां से भगा दो तो कम्पेन्सेशन तुम को ज्यादा मिल जायेगा । तुम को मुआवजा ज्यादा मिलेगा, तुम को इनाम मिलेगा आप हिन्दू मुसलमान की बात को छोड़ दें, मैं सच कहती हूं कि अगर ऐसा इन्टरेस्ट आप सुचेता बहिन और कृपलानी जी में पैदा कर दें तो उन दोनों में भी झगड़ा होने का खतरा रहेगा । यह एक ऐसा इन्टरेस्ट है कि अगर आप हिन्दू मुसलमान में यह कह दें, हिन्दू और सिख में यह कह दें, किसी से भी इस बात को कह दें कि एक भाई के हिन्दुस्तान से चले जाने से तुम को फायदा हो जायेगा, तो आप इस देश में अमन चैन की बात नहीं रख सकते हैं और सेकुलर हुकूमत को कायम नहीं रख सकते हैं । आज यहां पर जो भाषण हुए उन से जो मैं पहले सोचती थी और जिस की मैं ने पहले हिदायत की, वह खतरा और भी अधिक मालूम पड़ता है । आज मुझे यह सुन कर ताज्जुब हुआ कि मेरे बहुत से भाई इस बात पर जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान से मुसलमान जा रहे हैं, आज तक हम बराबर यह सुनते आरहे थे कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वहां हिन्दू भाइयों का रहना मुश्किल है । रोज सवाल यहां आते हैं कि कितने लोग वहां से आये लेकिन आज इस बात का ज़िक्र तो नहीं किया गया, आज यह कहा जाता है कि यहां से भी लोग बाहर जाते हैं, हमारे श्री वी० जी० देशपांडे जी ने भी इसी बात पर जोर दिया । मैं सोचती हूं कि जब तक आप इस चीज की इजाजत देंगे, तब तक हमारे इन भाइयों की खास कर इन फिर्कापरस्त जमातों की यह कोशिश रहेगी कि इस चीज का फायदा उठाते हुए वह देश में अमन चैन न होने दें । क्या होता है यहां पर ? इस सभा में जो कुछ कहा जाता है वह जरा काबू में रह कर, संयम में रह कर कहा जाता है, पर जरा इन भाइयों की स्पीचेज बाहर जा कर सुनिये । जहां यह लोग बाहर जाते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं जब इलैक्शन आता है तब खास कर सुनिये, खुले ऐलान करते हैं कि इन शरणार्थी भाइयों का बसाना जरा भी मुश्किल नहीं है । अगर हम से कह दिया जाये कि इन मुसलमानों को देश से बाहर भेज दो तो हम उन को निकाल कर शरणार्थियों को आबाद कर देंगे । यह कहा जाता है ....

एक माननीय सदस्य : कहां पढ़ा है ?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : सभापति जी, मैं आप से कहना चाहती हूं कि हम आज इस कानून को खत्म करें । सिर्फ यही नहीं जो भाई यहां रहते हैं उन के इन्टरेस्ट को, यहां के नागरिकों के इन्टरेस्ट को दूसरों की प्रापर्टी से हटाने के बाद उनकी हिफाज़त करने को कहें, हम यह भी कहें कि हम तुम्हारी जान की भी हिफाज़त करेंगे । ऐसा करने के बाद जरा काम आसान हो जायेगा ।

मुझे इस बात का भी बड़ा रंज हुआ कि बार बार इस चीज को कहा जाता है कि

रेस्टोरेशन का जो तरीका है उसे आप ने खत्म क्यों नहीं किया है ? हम लोगों की दिलचस्पी इस बात में कम है कि जो यहां के नागरिक हैं हम उन की प्रापर्टी ले लें, हम में से किसी की भी दिलचस्पी इस में नहीं है, खास कर जो सदस्य बोले हैं उन्होंने कहा है कि जो यहां के नागरिक हैं उन की प्रापर्टी लेने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जब यह बात है तो क्या वजह है कि आप इस बात से परेशान हैं कि रेस्टोरेशन का अधिकार खत्म कर दिया जाये ? जो हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, जो यहां से गये नहीं, जो यहां पर रहना चाहते हैं, मैं कहती हूं कि आप की १०० बार कोशिश होनी चाहिये, उस को उस का हक दें। उस को ५० दफा अपील का हक है और आप का फर्ज है कि आप उस को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दें कि वह अपनी प्रापर्टी पा सके। आप उस की प्रापर्टी को न छीनें। लेकिन अब उस की अपील एसिस्टेंट कस्टोडियन के पास पहुंच गई, कस्टोडियन जनरल के पास पहुंच गई, इस तरह की बहाने बाजी करती हैं। क्या अब उस को अपनी प्रापर्टी मांगने का अधिकार नहीं रहा ? आखिर यह बहाने बाजी क्यों की जाती है। जो यहां से चले गये हैं उन में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, उन की प्रापर्टी आप ले लीजिये। लेकिन जो यहां हैं उन की प्रापर्टी का अधिकार उन से छीन लेना और यह कहना कि यह प्रापर्टी हमारी है कानून का बहाना लेकर अगर हुकूमत उनकी जायदाद छीन ले तो यह हुकूमत कोई मुनासिब बात नहीं करेगी। यह तो बहाने बाजी से उन की जायदाद को ले लेना होगा।

जैसा मौलाना हिफ्जुर्रहमान साहब ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहां पर मौजद रहे हैं और कई कई दफा उन की प्रापर्टी इवैक्वी प्रापर्टी हो गई है। आप ने कोई न कोई बहाना उस के लिये खोज निकाला। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन के मकान बार बार इवैक्वी प्रापर्टी हो गये क्योंकि आप ने वार बार इवैक्वीज की डेफिनेशन को बदला। मैं आप को एक उदाहरण देना चाहती हूं जिस का मकान एक बार छूटा, दूसरी बार छूटा, तीसरी बार छूटा, चौथी दफा छूटा। जब से पार्टिशन हुआ तब से वह औरत और उसके बच्चे कस्टोडियन के दफ्तर में जायें, एक बार, दो बार, तीन बार रेस्टोरेशन के लिये। उस के लिये इतने पैसे खर्च करने पड़ें और अर्जियां देनी पड़ें यह हमारे लिये कोई गौरव की बात नहीं है।

श्री ए० पी० जैन : आप बिल्कुल बे बुनियाद बातें कह रही हैं।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : सभापति महोदय, मैं कहती हूं कि हमारी इस में कोई गल्ती नहीं है और हमने जान बूझ कर कोई ऐसी बात नहीं की। हमारा कानून ऐसा है, इतना ऐबनार्मल कानून है कि उस की वर्किंग में दिक्कतें आयेंगी रोज रोज। आप चाहे जितनी कोशिश करें, हम बिल्कुल मजबूर हैं। लेकिन मैं पूछती हूं कि अगर कोई मुसलमान हो तो उस ने कोई कुसूर किया ? जो कुछ उस ने किया है कस्टोडियन के कानून के मुताबिक ही तो किया ? पहले उस की प्रापर्टी को रेस्टोर कर दिया जाये, इस का फैसला हो गया, लेकिन इस के बाद ही इवैक्वी की डैफीनिशन बदल गई और उस की प्रापर्टी फिर इवैक्वी प्रापर्टी हो गई। इसी तरह से कई बार हो चुका है। इस तरह से जो ऐबनार्मल कानून है उस को नार्मल तरीके से फंक्शन कराते हैं।

श्री ए० पी० जैन : साढ़े चार साल से एक ही कानून है।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : इस के बाद, सभापति महोदय, मुझे इस बात से भी बहुत

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

परेशानी है कि बार बार यह कहा जाता है कि एक आदमी वहां है और उस के घरवाले यहां हैं । जैसा अभी मिनिस्टर साहब ने बतलाया कि कानून यह है कि जो आदमी पाकिस्तान में है उस की प्रापर्टी हुकूमत की है और जो आदमी यहां हैं, उस की प्रापर्टी उस की है । आज किसी बहाने से जैसे कि उस की बीवी यहां है और वह पाकिस्तान में है, या उस के बच्चे यहां हैं और वह पाकिस्तान में है, अगर उस की प्रापर्टी को छीनने की कोशिश करते हैं तो यह कोई मुनासिब बात नहीं है । सभापति महोदय, जहां तक हमारे देश की बात है, हम को यह मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान से हम इस बात का मुकाबला नहीं कर सकते । दोनों मुल्कों के हालात में फर्क है । वह अपने को एक सेकुलर हुकूमत नहीं कहते हैं, हम अपने को सेकुलर हुकूमत कहते हैं, उन के यहां जिन्हों ने प्रापर्टी रक्खी हुई थी वह भाई बदकिस्मती से यहां आ गये । जिन की प्रापर्टी इवैक्वी हो गयी वह तो वहां चले गये लेकिन फिर भी हमारे यहां फैमिलीज़ डिवाइड हो गयीं । एक भाई वहां है तो एक यहां है । बीवी बच्चे वहां हैं तो आदमी यहां है । अगर चाचा चला गया तो भतीजा यहां है । इस तरह से हमारे यहां फैमिलीज़ डिवाइड हो गयीं । इसलिये इस कानून को लगाने में हैरासमेंट जरूर होगा । मैं आप से कहती हूं कि जब इन फैमिलीज़ को यूनाइट करने की बात होती है, जिन के बीवी बच्चे अपने आदमी के पास यहां आकर रहना चाहते हैं तो उस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये । एक वक्त था कि जब उन के बीवी बच्चे यहां आना चाहते थे और अपने घर में आकर रहना चाहते थे तो दिक्कत होती थी और यह ख्याल होता था कि इस से इवैक्वी पूल तो कम नहीं होता । परेशानी यह होती थी कि अगर वह वापस आ गये तो उन को प्रापर्टी वापस न देनी पड़े । इसलिये आप यहां के सिटीज़न को परमानेंटली दूसरे मुल्क में धकेल देते थे । तो हम ने दरखास्त दी और उन लोगों ने भी कहा कि आप हमारी प्रापर्टी ले लीजिये । लेकिन हम को अपने घरों में तो आने दीजिये । हम को अपने बीवी बच्चों के साथ तो रहने दीजिये । तो ऐसे भी बहुत से फैमिलीज़ हैं जो कि वहां पर गये थे और फिर वापस आये । पर उन के साथ यह शर्त है कि जो प्रापर्टी थी उस के रेस्टोरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा । मैं समझती हूं कि यह भी उन के साथ इन्साफ की बात नहीं है । मैं बतलाना चाहती हूं कि जब हालात नार्मल हैं तब यह बातें ठीक नहीं हैं । जो भाई वहां से आये उन्हों ने भी बहुत परेशानी उठाई है और उस की वजह से अगर कुछ हमारे यहां भी परेशानी या दिक्कत होती है तो किसी को उस परेशानी को उठाने में हिचकिचाना नहीं चाहिये । एक दिन आना चाहिये जब यह चीजें खत्म हों और यह न हो कि हम उसको लम्बा करते चले जायें । आज सात साल हो गये । इन सात साल के अन्दर ऐसे कितने केसेज़ हुए कि जिन की प्रापर्टी इवैक्वी डिक्लेअर होनी चाहिये थी और आप ने नहीं की । लेकिन अगर आप ने एक भी प्रापर्टी गलती से ले ली तो उस का यह नतीजा होता है कि उस आदमी के दिल में आप बिटरनैस पैदा कर देते हैं और उस की लायलटी को कम कर देते हैं । अगर आप उन लोगों को परेशान कर के इस मुल्क में रखना चाहते हैं तो यह बहुत मुनासिब बात नहीं है । इस लिये सभापति महोदय मैं ने यह कहा कि यह जो आज इस कानून को खत्म करने की बात है मैं इस को वैलकम करती हूं ।

अभी गिडवानी जी ने कहा कि भूखे का दिमाग दुखी होता है । भूखे तो इस देश में बहुत हैं । अगर आप आज हिन्दुस्तान में मजदूरों को यह इजाजत दे दें कि वे लोगों की कोठियां छीन लें, मकान छीन लें राजा महाराजाओं को महलों में से निकाल कर उन को ले लें और उन लोगों को धकेल कर यहां से बाहर निकाल दें, मारें नहीं, तो क्या यह मुनासिब बात होगी । सरकार का फर्ज है कि वह हर एक भूखे का इन्तजाम करे, हर बेघर को घर दे । सरकार का फर्ज है कि जितना ज्यादा कम्पेन्सेशन कर सके कर दे । लेकिन सरकार का यह फर्ज नहीं है कि मिस्टर हिफजुर्रहमान की प्रापर्टी छीन कर या कम कर के उस को पूल में डाल दें । और अगर सरकार का यह फर्ज है तो सरकार का यह भी फर्ज है कि देशपांडे जी की भी दौलत छीन ले और पूल में डाल दे । मैं तो कहती हूं कि भूखों को खाना खिलाने के लिये अगर हमारे देशवासी जो पैसे वाले हैं उन से सरकार जो कुछ भी ले ले वह कम है । और सरकार वह पैसा शरणार्थियों को दे दे । लेकिन अगर किसी एक मजहब के लोगों से वह लेने की कोशिश की जाये तो मैं उस का विरोध करूंगी । मैं चहाती हूं कि हिन्दू हों या मुसलमान हों, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं उन से आप पैसा लीजिये, उन की प्रापर्टी रिक्वीजीशन कर लीजिये, उन पर ज्यादा टैक्स लगा दीजिये और उस से शरणार्थियों का पूल जितना चाहें बढ़ा दीजिये लेकिन एक मज़हब के लोगों से लेना तो मैं समझती हूं कि हुकूमत को शोभा नहीं देता ।

गिडवानी साहब ने फरमाया कि सब पैसा सुभद्रा बहिन को दे दो और वह आधा आधा हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में बांट दें मुझे खुशी है कि उन को कम से कम इस बात का भरोसा है कि मुझे जो पैसा मिल जायेगा उस को मैं बांट दूंगी ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (जिला प्रतापगढ़ पूर्व) : सभापति महोदय, इस विधेयक का जो मुख्य विषय है वह कम्पेन्सेशन पूल है । यह वह रकम है जिस के द्वारा हम शरणार्थियों का जो नुकसान हुआ है उस का मुआवजा दे सकेंगे । यह मुख्य विषय है । जितनी दलीलें अभी हमारे और साथियों ने दी हैं वे घूम घामकर इसी पर आती हैं कि क्या प्रबन्ध किया जाय जिस से कि यह कम्पेन्सेशन पूल में कोई कमी न हो और यहां तक हो सके हम ज्यादा से ज्यादा इस का हिस्सा शरणार्थियों को मुआवजे के रूप में दे सकें ।

मैं यह समझता था कि यह सम्भव है कि किसी तरफ से ऐसी भी आवाज आती कि चूंकि पाकिस्तान की हरकत ऐसी हो रही है तो हम लोगों को भी उस रास्ते पर चलना चाहिये । बड़ी खुशी की बात है कि कहीं किसी एक माननीय सदस्य की ओर से भी कोई इस तरह का सुझाव नहीं आया । कोई इस सदन में इस तरह की भावना भी नहीं है । यह बड़ी प्रसन्नता की बात है । श्रीमती कृपलानीं जी ने कहा कि बड़ी परेशानी होती है कि अगर न्याय की बात कहने के लिये उठते हैं तो यह शुबहा होता है कि ऐसा न हो कि दूसरा पक्ष यह समझे कि हमारा विरोध कर रहे हैं । जहां इतना अहसास हो इन बातों का, जहां यह सोचा जाये कि ऐसा न हो कि दूसरा पक्ष बुरा मान जाये, इस को देख कर हम कह सकते हैं कि हमारे सदन का स्तर कितना ऊंचा है । पाकिस्तान से कोई हमारी बराबरी नहीं की जा सकती ।

जब हम यह चाहते हैं कि जो मुआवजे की धन राशि है वह कम न हो, और जहां तक हो सके हम अपने शरणार्थियों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे सकें तो उस के लिये कुछ सुझाव जो आप के सामने आये हैं उन से हम को बड़ी सहायता मिलती है । पंडित

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

भार्गव जी का सुझाव है कि दफा १६ लागू न होगी। दफा १६ के प्रावीजन्स की वजह से जो कमी पड़ने की आशंका है उस का उन को भय लगा हुआ है। मैं भी उन से सहमत हूं कि वह नहीं लागू किया जाना चाहिये।

दूसरा एक बहुत बड़ा सुझाव हिफजुर्रहमान साहब ने दिया है। उन का सुझाव यह है कि जो पैसा इन बड़ी बड़ी जायदादों को बेचने से आवे वह पाकिस्तान न भेजा जाने पावे। अगर वह पैसा पाकिस्तान नहीं जा सके तो इतना हल्ला क्यों हो। गिडवानी साहब ने कहा कि वह तरह तरह से स्मगिल हो कर जा रहा है। और इसी तरह यह भी चला ही जायेगा। इस की भी पाबन्दी हो जानी चाहिये।

इस के अलावा और भी सुझाव पंडित भार्गव जी ने और दूसरे साथियों ने दिया था कि इस में सरकार हमारी काफी सहायता करे। पर आप को पाकिस्तान से पाला पड़ा है। अब ऐसी स्थिति आ गई है जब कि आप समझते हैं कि अब नार्मेल्सी आ गई है और हम को इस कानून को मिटा देना चाहियें। हमारे हिन्दुस्तान जैसे देश को जिस की इज्जत सारे संसार में इतनी ऊंची है ऐसा कानून रखना उचित नहीं है।

लाला अचिंत राम जी ने कहा कि अभी नार्मेल्सी नही आई है। उन्हों ने कुछ मिसालें दीं। मैं उन से सहमत नहीं हूं। वह कहते हैं कि अगर कोई शख्स यहां आता है या वहां जाता है तो उस का स्वागत नहीं होता इसलिये नार्मेल्सी नहीं आई है। लेकिन यह सब कुछ देखने की बात नहीं है। दरअस्ल यहां एक बड़ा झमेला था। वह अब मिट गया है। अब कुछ है नहीं। हमारी स्थिति नार्मल है। ऐसी स्थिति में हमारे लिये ऐसा कानून रखना मुनासिब नहीं है। दूसरे जो कानून अभी तीन रोज हुए आप ने पास किया है उस के बाद तो यह नैसेसरीली फालो करता है। उस के बाद तो इस को अवश्य आना चाहिये था। वहां तो आप ने सारा इंतजाम सारी जायदाद का मिल्कियत का जितना है वह सब अपने हाथ में ले लिया है। अब आप क्या चाहते हैं। यह आखिरी काम जो आप ने उठाया, तो फिर यह तो सावाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस कानून को फिर जारी रक्खें। स्थिति दरअस्ल ऐसी है कि आप को तो इस कानून को मिटा ही देना है। लेकिन यह कम्पेन्सेशन का जो पूल है यह कम हो जाये और शरणार्थियों को सहारा न मिले तो आप के विभाग का और आप की मिनिस्ट्री का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा और एक फेल्योर होगा। मेरा कहना यह है कि जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने सुझाव दिया या मौलाना साहब ने भी जिस को कहा और करीब करीब सबों ने सुझाव दिया है कि कम्पेन्सेशन पूल को कम नहीं करना चाहिये बल्कि उस को बढ़ाना चाहिये, तो अगर आप इस पूल को इस काबिल रख सकते हैं कि शरणार्थियों को उस में से मुआविजा दे सकें, तभी आप का उद्देश्य पूरा होता है अन्यथा नहीं। यह जरूर है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये मुआविजा कोष को बढ़ाने में उस में इजाफा करने में एक दिक्कत मालूम होती है। कोष के सम्बन्ध में अभी हमारे मंत्री महोदय ने कोई ऐसी बात नहीं बतायी जिस से हम समझें कि सरकार की ओर से भी हम को इतना धन मिल सकेगा जिस से कि हम शरणार्थियों को सहारा दे सकें। यह हमारा मुख्य उद्देश्य है और मैं उन से अनुरोध करूंगा कि अब और जगह से सारे रास्ते बन्द हो जाते हैं तो एक ही रास्ता हमारे सामने रह जाता है कि जहां आप करोड़ों

रुपये खर्च कर रहे हैं वहां सरकार इस मुआवंजा कोष में भी धन दे कर के और उस कोष को बढ़ा कर के इस मसले को सफलता के साथ हल करे और समाप्त करे। अगर आप यह चाहें कि इवैक्वी प्रयपर्टी बना कर और उस से धन प्राप्त कर के कुछ इस दिशा में काम करें, तो मुमकिन है कि थोड़ा बहुत कुछ आप को इस से सहारा मिल जाये लेकिन कोई बड़ा हिस्सा नहीं मिल सकता है और सरकार को ही इस दिशा में आगे बढ़ना हो, हमारे देशपांडे जी ने भी बीच में कहा था कि बड़ी बड़ी जायदादें जो यहां पर हमारी इवैक्वी प्रापर्टी हो जानी चाहियें थीं, कुछ लोग उन जायदादों पर अभी भी डटे हुए बैठे हैं जिस की वजह से वह जायदादें इवैक्वी प्रापर्टी में नहीं आतीं हैं और हमारे पूल में नहीं आती हैं तो मेरा कहना है कि इस तरह से जब कोई एक आदमी उस प्रापर्टी पर डटा हुआ है, तब वह हमारे पूल में जायदाद आने वाली नहीं है, कानून चाहे जैसा है वैसा ही बना रहे तब भी वह जायदाद पूल में नहीं आयेगी। हमारे देशपांडे ने जो कहा कि लोग एक आदमी को यहां पर मालिक बना कर छोड़ देते हैं और सारे पार्टनर्स और उन की फैमिलीज़ पाकिस्तान में चले जाते हैं और वह शख्स यहां से उस प्रापर्टी से रकम भेजता है, हालांकि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो लेकिन इस को रोकना कठिन है क्योंकि जब तक उस शख्स के नाम मिल्कियत है तब तक उस जायदाद को इवैक्वी पूल में शामिल नहीं किया जा सकता। मंत्री जी ने भी इसे स्वीकार किया कि ऐसी स्थिति है। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो कम्पेन्सेशन पूल है इस को आप बढ़ायें और इस काबिल बनायें जिससे आप शरणार्थियों की क्षति पूर्ति किसी अंश तक कर सकें। जहां तक इस कानून का सम्बन्ध है यह तो समाप्त हो जाना चाहिये। ऐसा कानून हमारी शान के खिलाफ है। संसार में जितने देश हैं उन में हमारी हैसियत बहुत ऊंची है। ऐसा कानून हमें नहीं रखना चाहिये, भले ही कोई देश चाहे ऐसा कानून रक्खे भी, लेकिन हिन्दुतान नहीं रख सकता।

श्री ए० पी० जैन : दो बातों से बहुत से लोग सहमत हैं। लगभग जिन माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है उन में से प्रत्येक ने यह स्वीकार किया है कि निष्क्रान्त सम्पत्ति विधि एक असाधारण और आसामन्य विधि है। यह भी सामान्यतः स्वीकार किया गया है कि देश के एक भाग के लोगों पर इस विधि का अत्याधिक प्रभाव पड़ता है। तो भी अन्तर इस बात में है कि क्या वह समय आ गया है जब कि इस विधि का निराकरण कर देना चाहिये।

मैं ने सभा में अपने भाषण में कहा था कि अब भारत में समान्य स्थिति हो गई है। अब भारत का जीवन पूर्णतः शान्तिपूर्ण हो चुका है। अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है और उन्हें अन्य नागरिकों के समान अधिकार मिले हुए हैं। इस कथन के सम्बन्ध में कुछ शंकायें व्यक्त की गई हैं। श्री गिडवानी ने समाचारपत्रों के दो उद्धरण पढ़ कर सुनाये हैं। अन्य कुछ मित्रों ने भी कहा है कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों का यहां स्वागत नहीं किया जाता और यहां के लोग पाकिस्तान नहीं जा सकते। श्रीमान् मैं उन मित्रों से सादर पूछना चाहता हूं कि क्या ये बातें असाधारण हैं ? क्या यह तथ्य नहीं कि भारत में प्रत्येक मुसलमान अन्य नागरिकों की ही तरह अपना व्यवसाय चला रहा है ? क्या यह सच नहीं कि संविधान के अधीन उसे अन्य सभी नागिरिकों के समान अधिकार प्राप्त हैं ? क्या यह सच नहीं है कि विधि के समक्ष उस में और अन्य किसी नागरिक के बीच कोई भेद भाव नहीं किया जाता है ? हो सकता है कि कहीं एक आध स्थान पर झंडा लगाने

[श्री ए० पी० जैन]

के कारण कोई घटना हो गई हो । हो सकता है कि कहीं उत्तेजना और क्रोध के कारण छोटी-मोटी घटना हो गई हो । परन्तु यदि विभाजन के पश्चात् भारत के इतिहास की तुलना पूर्व की घटनाओं से करें तो मैं निस्सन्देह कह सकता हूं कि अल्प-संख्यकों को कभी भी इतनी स्वतन्त्रता, समानता और स्वच्छन्दता नहीं प्राप्त थी जितनी उन्हें आज प्राप्त है भारत उन देशों में से एक है, जो अल्प-संख्यकों के प्रति अपने व्यवहार के लिये गर्व कर सकते हैं । हम अपने अल्पसंख्यक राष्ट्रजनों के प्रति जैसा व्यवहार कर रहे हैं वह उस व्यवहार से अच्छा है जो अमरीकन अपने अल्पसंख्यकों के प्रति करते हैं ।

यदि कोई भारतीय जा कर इंगलैंड या अमरीका में बस जाये, तो हम समझते हैं कि यह कोई असाधारण बात नहीं है । परन्तु यदि आधी दर्जन छात्र विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर हैदराबाद आते हैं और पाकिस्तान चले जाते हैं, तो यह एक असाधारण स्थिति का प्रमाण बन जाता है । अथवा मान लीजिये कि कोई नवाब या शासक अथवा कोई अन्य व्यक्ति धन पाकिस्तान ले जाना चाहता है, तो क्या यह भारत में असाधारण स्थिति का द्योतक है ?

मेरा यह विचार है कि भारत में सर्वथा साधारण स्थिति है । विभाजन का प्रभाव समाप्त हो चुका है । तब भी हमें खंड तीन की जांच करनी है, जो कि इस विधेयक का मुख्य खण्ड है और इस के पूर्व कि मैं सभा का मत प्राप्त करूं मुझे स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करना होगा कि भारत की वर्तमान परिस्थितियों के अधीन खण्ड ३ के उपबंध लागू किये जाने के लिये उपयुक्त हैं ।

खंड ३ में क्या है ? इस के बाद ७ मई १९५४ के पश्चात् किये गये किसी कार्य के कारण किसी व्यक्ति को निष्क्रान्त घोषित नहीं किया जायेगा ।

यदि आप एक बार स्वीकार कर लें कि यह विधि असाधारण है और आप यह भी स्वीकार कर लें कि इस का लोगों के एक भाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और यदि मैं यह सिद्ध कर सकूं कि अब परिस्थितियां साधारण हो चुकी हैं तो भविष्य में इस विधि को जारी रखने में क्या औचित्य है ? मैं कहता हूं कि इस में कोई औचित्य नहीं है । सभा की एक सदस्या श्रीमती सुचेता कृपलानी ने, जिन के लिये मेरे हृदय में बहुत सम्मान है, यह कहा था कि उन्हें इस के भविष्य में निराकरण कर देने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

मैं उन कार्यों की लेता हूं जो ७ मई १९५४ से पूर्व किये गये थे और जिन के फलस्वरूप कोई व्यक्ति निष्क्रान्त घोषित किया जा सकता था । पहले दो भागों के लिये अर्थात् उन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में जो निष्क्रान्त सम्पत्तियां बन चुकी हैं और जिन के विरुद्ध कोई मामले लम्बित नहीं हैं, कोई विवाद नहीं है । केवल खण्ड (ख) के सम्बन्ध में, अर्थात् ऐसी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में, जो विधि अनुसार निष्क्रान्त सम्पत्तियां बन चुकी हैं, परन्तु जिन के सम्बन्ध में कोई अभियोग आरम्भ नहीं किया गया, कुछ अन्तर है । यह सत्य है कि मूल प्रारूप में हम ने खंड (ख) के उपबन्धों को विस्तार से लागू किया था, अर्थात् यह उपबन्ध किया था कि जो व्यक्ति पाकिस्तान चला जाये या अपनी आस्तियां पाकिस्तान को भेज दे या भारत में अपनी सम्पत्ति के बदले में पाकिस्तान में सम्पत्ति ले ले या जिसे पाकिस्तान में सम्पत्ति दे दी जाये या वह अन्य प्रकार से पाकिस्तान में सम्पत्ति प्राप्त कर ले, तो यदि वह ७ मई,

१९५४ से पूर्व किये गये किसी कार्य के कारण निष्क्रान्त घोषित किया जा सकता हो, तो उस के विरुद्ध कर्यवाही की जायेगी। मैं ने यह परिवर्तन क्यों किया है इस की व्याख्या की आवश्यकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि यदि पाकिस्तान में सम्पत्ति के विनिमय या अधिग्रहण या आवंटन से सम्बन्धित धारा २(घ) के खण्ड (३) का निराकरण किया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अनुभव से यह पता लगा है कि जिस व्यक्ति ने अपने नाम या अपने निजी सम्बन्धी के नाम से पाकिस्तान में सम्पत्ति प्राप्त कर ली थी या आवंटन द्वारा सम्पत्ति ले ली थी तो उस का हमें कहीं पता नहीं मिला। व्यवहार्यतः यह हमारे लिये लाभदायक नहीं रहा है। इस की बजाये अन्य लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था। मामले चलाये गये, परन्तु वे सिद्ध नहीं किये जा सके। फिर उन लोगों का मामला है जो पाकिस्तान के निवासी हैं और जिनकी सम्पत्ति यहां है। मूल खण्ड के प्रारूप में भी हम ने खण्ड (घ) के उपखण्ड (२) को इस कारण से अपवर्जित कर दिया था कि ऐसी सम्पत्तियां ली जा चु के थीं। धारा २(घ) के खण्ड (२) का सम्बन्ध उस काल से है जब १९४७ में पहले पहल निष्क्रान्त सम्पत्ति विधि बनाई गई थी। यदि १९४७ में कोई व्यक्ति स्थायी रूप से पाकिस्तान का निवासी था और उस की सम्पत्ति भारत में थी तो वह निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित की जा सकती थी। ऐसी सम्पत्ति ली जा चुकी है और ऐसे खण्ड को दोहराने से क्या लाभ है जो बहुत पहले ही निर्थरक हो चुका है।

इसी प्रकार मैं एक और बात को लेता हूं। जिस व्यक्ति ने अपनी आस्तियों का कुछ भाग पाकिस्तान स्थानान्तरित कर दिया हो, उसे वर्तमान विधि के अधीन निष्क्रान्त घोषित किया जा सकता है। मैं इस खण्ड का निराकरण क्यों करना चाहता हूं। कारण सीधा ही है। उन लोगों में से जिन्हें निष्क्रान्त घोषित किया जा चुका है, ९९ प्रतिशत से भी अधिक लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान जा चुके हैं। संभवतः ५ प्रतिशत या इस से भी कम लोग ऐसे हों जो दूसरी श्रेणियों में आते हों, मेरा अभिप्राय यह है कि वे धारा २(घ) के उपखण्ड (३), (४) और (५) से सम्बन्धित हैं। यदि हम उन लोगों के मामलों की जांच करते रहें, जिन्होंने कुछ धन पाकिस्तान स्थानान्तरित कर दिया है, कृपया यह याद रक्खें कि इस का सम्बन्ध केवल उन मामलों से है जिन में धन ७ मई १९५४ से पूर्व स्थानान्तरित किया गया था, तो इस से कुछ ऐसी लम्बी चौड़ी जांच की कार्यवाही करनी पड़ेगी जिस में सब लेखों का परीक्षण करना होगा और उस का कोई निश्चित फल नहीं निकलेगा। इस विधेयक का सारा उद्देश्य यह है कि यहां अल्पसंख्यकों के मन से सब आशंकाओं को दूर किया जाये। यदि हम कोई ऐसा उपबन्ध रक्खें जिस से जांच कार्यवाही या किसी प्रकार की सामान्य जांच करनी पड़े, तो इस से विधेयक का एक मूल उद्देश्य विफल हो जायेगा। इसलिये मैं ने अपने संशोधन में निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम की धारा २(घ) के खण्ड (३), (४), और (५) का निराकरण किया है। मैं समझता हूं कि यदि हम वस्तुतः इस विधेयक के उद्देश्यों को सफल बनाना चाहते हैं तो जिस संशोधन की मैं ने पूर्व-सूचना दी है केवल वही इस के लिये उपयुक्त है, क्योंकि जहां एक ओर इस से ऐसे व्यक्ति को संरक्षण नहीं मिलता जो स्थायी रूप से पाकिस्तान में बस चुका है, तो दूसरी ओर इस से भारत में रहने वाले व्यक्ति को भय नहीं रहता। मैं समझता हूं कि इस कारण जो कुछ हम कर रहे हैं वह पर्याप्त रूप से न्यायोचित है।

[श्री ए० पी० जैन]

निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम की धारा १६ के प्रवर्तन के सम्बन्ध में मुझे कुछ स्पष्टीकरण करना है। मुझे भय है कि इस धारा के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के मन में बहुत गलत धारणा है। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह दिया था कि सरकार अपने आप को सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय क्यों बनाती है? मेरे माननीय मित्र श्री एन० सी० चटर्जी और पंडित ठाकुर दास भार्गव के तर्कों का उद्देश्य प्रायः एक ही था। मुझे संदेह है कि वे सम्भवतः धारा १६ में निहित उद्देश्य को ठीक प्रकार से समझ नहीं सके। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धारा १६ से यह अधिकार नहीं मिल जाता कि महा-अभिरक्षक के निर्णय पर अपील की जा सकती है। माननीय सदस्य यदि निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के नियम १५(ख) के उपखंडों को पढ़ें तो उन्हें लाभ होगा . . .

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या नय नियमों को ?

श्री ए० पी० जैन : जी हां, जिस में उन स्थितियों का उपबंध किया गया है, जिन के अधीन सम्पत्ति धारा १६ के अधीन लौटाई जा सकती है मैं मुख्य-मुख्य उपबन्धों का उल्लेख करूंगा।

इस में पहले वे लोग आते हैं जो कभी पाकिस्तान नहीं गये। दूसरे वे लोग हैं जो १ मार्च, १९४७ को या उस के पश्चात् भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन कर गये थे, परन्तु १८ जुलाई, १९४८ को भारत वापस आ गये और यहां बस गये। तीसरे वे लोग हैं जो १५ अक्तूबर १९५२ से पूर्व आपत्ति न होने के प्रमाणपत्र ले कर थोड़े समय के लिये पाकिस्तान गये थे और उन शर्तों के अधीन वापस आ गये थे। फिर अलवर और भरतपुर के मेव हैं। मैं चार बज कर पांच मिनट तक बोल सकता हूं।

सभापति महोदय : दो या तीन मिनट और हैं।

श्री ए० पी० जैन : सात मिनट और। इस के बाद विदेशी राष्ट्रजन हैं जो विदेशों में जा कर नहीं बसे और जिन्हों ने और कोई सम्पत्ति प्राप्त नहीं की। निश्चित शर्तें रख दी गई हैं। किसी व्यक्ति को सम्पत्ति लौटाने का हमें मनमाना अधिकार नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से कहता हूं कि वे ऐसा उपबन्ध बतायें जिस पर उन्हें आपत्ति है। धारा १६ मूल अधिनियम का एक भाग है। जब हम ने यह निश्चय किया था कि सरकार प्रतिकर कोष में डालने के लिये निष्क्रान्त सम्पत्ति का अधिग्रहण कर ले, तो हमारा यह कर्त्तव्य था कि उन लोगों को प्रार्थनापत्र देने का अवसर दें जो धारा १६ के अधीन प्रार्थनापत्र दे सकते थे। नगरीय सम्पत्तियों के सम्बन्ध में लगभग ३००० प्रार्थनापत्र प्राप्त हो चुके हैं। लगभग ३,००० संभवतः ३,५०० प्रार्थनापत्र ग्रामीण सम्पत्तियों के सम्बन्ध में प्राप्त हो चुके हैं। मत्स्य के मेवों से बहुत से प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं। मैं निश्चित रूप से यह समझता हूं कि ये प्रार्थनापत्र निष्फल हैं, क्योंकि मत्स्य में पहले ही हम ने मेवों की भूमियां लौटा दी हैं।

यह एक ऐसी चीज है जिसे पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने आवेश में उन से ऐसा करने को कहा हो। वास्तव में उन का एक प्रतिनिधि मेरे पास आया था और उस ने बताया कि वह एक बंडल आवेदन-पत्र भेज चुका था। मैं ने पूछा कि इन आवेदन-पत्रों के भेजने का क्या कारण था। हम ने स्वयं

उन की भूमि उन्हें लौटा दी है। इस प्रकार ६,५०० प्रभावशाली आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं। यह एक बड़ी संख्या है। हो सकता है कि बहुत से आवेदन-पत्र समुचित आधार पर न हों। पर इसी सभा ने विधि निर्माण किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में धारा १६ के अन्तर्गत सम्पत्ति लौटा दी जा सकती थी। मैं इस सभा द्वारा निश्चित किये गये नियम का पालन कर रहा हूं और इस में क्या गलती है ? चाहे आवेदन-पत्रों की संख्या १ हो, १० हो या १०० हो, यदि सभा एक विधि बनाती है, मुझे उस का पालन करना ही होगा। मुझे उस आज्ञा का पालन करना ही होगा।

श्री एन० सी० चटर्जी : मेरा विचार है कि माननीय मंत्री का विचार यही है और वह इसी प्रकार अधिनियम का प्रवर्तन करने जा रहे हैं कि इन आवेदन-पत्रों में से किसी की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि वह धारा १५(घ) (२) के उपबन्धों की पूर्ति नहीं करते।

श्री ए० पी० जैन : हां मैं यही कह रहा हूं।

श्री एन० सी० चटर्जी : जब तक कि वह किसी न किसी शर्त के अन्तर्गत न आ जायें।

श्री ए० पी० जैन : यही नियम है। अब मैं माननीय सदस्यों से पूछता हूं कि इस में उन को क्या आपति है ? क्या इसी सभा ने धारा १६ का निर्माण नहीं किया था ? क्या वे चाहते हैं कि मैं उन को बनाई हुई विधि का पालन न करूं ? इन नियमों में क्या गलती है ? उन में क्या अन्याय है। कुछ मिनट पूर्व मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव से बात कर रहा था तो उन्हों ने बताया कि वह कदापि ऐसा नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति जो कभी पाकिस्तान नहीं गया उस को उस की सम्पत्ति वापिस न दी जाय।

श्रीमान्, अब मैं एक और बात की ओर आप का ध्यान आकर्षित करूंगा। सभा के दो माननीय सदस्यों ने हमारे प्रशासन के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये हैं। मैं मौलाना हिफजुर्रहमान और श्रीमती सुभद्रा जोशी के नाम लेता हूं। उन्हों ने कहा, "एक, दो, तीन, चार बार मामलों के तय हो जाने के बाद भी पांचवीं बार सूचना दी जाती है।"

श्री एन० सी० चटर्जी : बिना किसी सूचना के।

श्री ए० पी० जैन : मैं स्वीकार करता हूं कि किसी एक मामले में ऐसा हो सकता है पर सामान्य रूप से यह वक्तव्य नितान्त असत्य है। कुछ दिनों पूर्व लोक-सभा के कुछ सदस्यों का एक शिष्टमंडल प्रधान मंत्री से मिलने गया और मेरी उपस्थिति में उन्हों ने कहा कि ७ मई १९५४ से बिना किसी विचार के मुकदमे फिर से खोले जा रहे हैं और शिष्टमंडल के एक सदस्य ने कहा, "मुझे पता है १२५ मुकदमे फिर से शुरू किये जा चुके हैं।" मैं सतर्क था, मैं सो नहीं रहा था। मैं जानता था कि ऐसी परिस्थिति आयेगी और मैं ने अपने अभिरक्षक से टेलीफोन द्वारा पूछताछ की। उस ने बताया कि केवल ५ या ७ मुकदमे फिर से शुरू किये गये हैं। उन के पास सभी अभिलेख नहीं थे पर मैं ने आदेश दिया कि उन मामलों का पूरा विवरण मेरे पास भेजा जाय। मैं ने शिष्टमंडल के सदस्यों की बातों का वहीं पर खण्डन किया। उस के पश्चात् मैं ने अभिरक्षक को बुलाया। वास्तव में आठ मुकदमे फिर से शुरू किये गये थे। और ये मुकदमे किस प्रकार थे ? उन सभी मामलों में अनिष्क्रान्त घोषित व्यक्ति पाकिस्तान चले गये थ। एक भी ऐसा मामला नहीं था जिस में आस्तियां परिवर्तित की गयी हों। एक भी ऐसा

[श्री ए० पी० जैन]

मामला नहीं था जिस में सम्पत्ति के विनिमय का प्रश्न रहा हो। एक भी ऐसा मामला नहीं था जिस में यह आरोप लगाया गया हो कि उस व्यक्ति ने पाकिस्तान में कोई सम्पत्ति प्राप्त कर ली है या उस के नाम कोई आवंटन कर दिया गया है।

अब आप मुझ से क्या कराना चाहते हैं? क्यों आप शिकायत करते हैं? एक व्यक्ति निष्क्रान्त घोषित किया जाता है वह पाकिस्तान चला जाता है। क्या आप चाहते हैं कि इस प्रकार का मुकदमा फिर से प्रारम्भ न किया जाय? ऐसे मुकदमें को फिर से क्यों प्रारम्भ न किया जाय? मैं कैसे गलती पर हूं? मैं ने क्या किया है? मुझे दुख है कि मैं एक बड़ी दुखद स्थिति में हूं और गैर-जिम्मेवार ढ़ंग से दोनों दिशाओं से मुझ पर गोलियों की बौछार की जा रही है।

मेरा विश्वास है कि मेरे वे मित्र जो समझते थे कि उन तर्कों को उपस्थित करके वे मेरा समर्थन कर रहे हैं, वास्तव में बड़े सहायक मित्र नहीं थे क्योंकि किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना किसी की सहायता नहीं करता। हमें महत्वपूर्ण निश्चय करने हैं। हमें समस्याओं पर शान्त ढ़ंग से विचार करना चाहिये। हमें कल्पना या भावनाओं के वश में नहीं होना चाहिये। ऐसा करना हितकारी नहीं।

मुझे आशा है कि सभा मुझ से सहमत होगी कि अब वह समय आ गया है कि हम इस असाधारण विधि के प्रयोग को रोकें। वस्तुत : मुझे ऐसा भास हो रहा है कि इस पर लोग बहुत अधिक सहमत हैं।

सभापति महोदय द्वारा परिचालन प्रस्ताव रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : इस के पश्चात् श्रीमती सुचेता कृपालानी का प्रस्ताव होगा।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : वह उपस्थित नहीं हैं।

सभापति महोदय : ठीक, मुझे उसे सभा के सम्मुख रखना चाहिये।

सभापति महोदय द्वारा विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २—(१९५० के अधिनियम ३१ की धारा ४ का संशोधन

नया खण्ड २ (क) —(१९५० के अधिनियम ३१ की धारा ७ का संशोधन)

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे एक संशोधन प्रस्तुत करना है।

सभापति महोदय : एक सरकारी संशोधन भी है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे संशोधन की संख्या १८ है।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या १५ श्री ए० पी० जैन का है।

श्री ए० पी० जैन : नहीं श्रीमान्। मैं संशोधन संख्या १५ नहीं रक्खूंगा संशोधन संख्या २८ रक्खूंगा। पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन सरकारी संशोधन संख्या २८ में समाविष्ट है।

श्री एन० सी० चटर्जी : मेरा विचार है कि हम सभी लोगों को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री ए० पी० जैन : मैं ने उसे समाविष्ट कर दिया है । मेरे संशोधन संख्या २८ में संशोधन संख्या १५ तथा पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन, दोनों हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उसे स्वीकार किया जा सकता है ।

श्री ए० पी० जैन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पृष्ठ १ में पंक्ति १३ के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये,

"2 A. Amendment of Section 7, Act XXXI of 1950 :—

In section 7 of the Principal Act after sub-section (1) the following sub-section shall be inserted, and shall be deemed always to have been inserted namely:—(1A) where during the pendency of any proceeding under sub-section (1) for declaring any property to be evacuee property any person interested in the property dies, the proceeding shall, unless, the Custodian otherwise directs, be continued and disposed of as if such person were alive"

[२ क. सन् १९५० के अधिनियम ३१ की धारा ७ का संशोधन :—

मुख्य अधिनियम की धारा ७ में उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा प्रविष्ट कर दी जायेगी और सदा प्रविष्ट समझी जायेगी, अर्थात्:—(१क) उपधारा (१) के अधीन यदि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित करने की प्रक्रिया विचाराधीन हो और इस बीच उस सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई व्यक्ति मर जाये तो जब तक अभिरक्षक कोई दूसरा आदेश नहीं दे, वह प्रक्रिया जारी रहेगी और वह उसी प्रकार पूरी की जायेगी जैसे वह व्यक्ति जीवित हो ।]

अध्यक्ष महोदय : अन्य कोई संशोधन नहीं है ।

संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : मैं समझता हूं कि इस संशोधन का जन्म उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये एक निर्णय से हुआ है । उच्चतम न्यायालय का निर्णय यह था कि यदि अभिरक्षक या महाभिरक्षक के सम्मुख कार्यवाही लम्बित होने पर और उस व्यक्ति के निष्क्रान्त घोषित किये जाने के पूर्व उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मामले की कार्यवाही समाप्त कर दी जायेगी । इस तर्क का आधार मुस्लिम विधि था कि पिता की मृत्यु के पश्चात् तुरन्त ही पुत्र सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है । पर यह जो कुछ करने का प्रयत्न किया जा रहा है यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरोध में होगा । यदि पुत्र या उत्तराधिकारी भारत में ही हैं, पाकिस्तान नहीं गये और उन्हों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि उन्हें निष्क्रान्त घोषित किया जाय तब भी पिता के अपराधों का प्रतिफल पुत्रों को भोगना पड़ेगा ।

मेरा तर्क यह है कि यदि पिता पुत्र या उत्तराधिकारी सभी पाकिस्तान चले गये हैं तो इस मामले की कार्यवाही जारी रखना चाहिये चाहे सम्पत्ति के स्वामी की मृत्यु क्यों न हो जाये क्योंकि वह निष्क्रान्त घोषित किये ही जायेंगे ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पर यदि पुत्र, पिता के पाकिस्तान जाने के बाद पाकिस्तान जाना नहीं चाहता तो फिर पिता के पापों का परिणाम पुत्र को क्यों भुगतना पड़े । इसी कारण यह संशोधन मेरे विचार से उचित और आवश्यक नहीं है और सभा द्वारा स्वीकार नहीं होना चाहिये ।

श्री ए० पी० जैन : मैं माननीय सदस्य द्वारा दी गई विधि की व्याख्या से सहमत नहीं हूं । यदि एक मुसलमान अपनी सम्पत्ति

[श्री ए० पी० जैन]

को गिरवी कर जाता है तो क्या वह सम्पत्ति उस के उत्तराधिकारी को मिलने पर गिरवी मुक्त हो जाती है । यदि सम्पत्ति के ऊपर कोई ऋण या निबन्धन होता है तो क्या वह सम्पत्ति उस के उत्तराधिकारी को मिलने पर ऋण और निबन्धन से मुक्त हो जाती है ? यह विधि का सुरक्षित सिद्धान्त है जिसे सारा संसार मानता है कि एक व्यक्ति जो दूसरे से कुछ अधिकार प्राप्त करता है वह उस व्यक्ति से उस से अधिक अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता जिस का कि वह स्वामी था अतः यदि पिता की सम्पत्ति निष्क्रान्त घोषित की जाने वाली थी तो पुत्र उस सम्पत्ति का स्वामी नहीं बन सकता क्योंकि वह पिता के अधिकार से अधिक है । पिता की सम्पत्ति निष्क्रान्त सम्पत्ति विधि के अनुसार लगाये गये निबन्धनों के अधीन है तो पुत्र सम्पत्ति पर अधिक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता ।

इस के अतिरिक्त, माननीय सदस्य ने उन पिता और पुत्र के सम्बन्ध में एक प्रश्न की ओर संकेत किया है । जो यहीं भारत में हैं । यह सच है कि सम्पत्ति के अनेकों स्वामी पाकिस्तान चले गये हैं और उन के पुत्र यहीं हैं । सभा में कई बार ऐसा कहा जा चुका है कि मुसलमान यहां जो सम्पत्ति छोड़ गये हैं उस के तीन, चार और पांच गुना मूल्य की सम्पत्ति शरणार्थी पाकिस्तान में छोड़ आये हैं । पिता जो पाकिस्तान जाता है वहां पर निष्क्रान्तों द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति में भाग पाता है इधर पुत्र भारत का राष्ट्रीय बनने के नाते पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बन जाता है । इस प्रकार उन को दोनों तरफ से लाभ होता है, पिता पाकिस्तान में पाता है पुत्र भारतवर्ष में । पर यहां के शरणार्थी अपनी सम्पत्ति पाकिस्तान में छोड़ आते हैं और यहां निष्क्रान्त सम्पत्ति में उन्हें कोई भाग नहीं मिलता क्योंकि निष्क्रान्त सम्पत्ति उस के पुत्र को दे दी जाती है । अतः चाहे वैधानिक दृष्टि से विचार किया जाय या नैतिक दृष्टि से विचार किया जाय, पर हमारे माननीय सदस्य द्वारा उपस्थित किये गये तर्क युक्तियुक्त नहीं हैं और मुझे आशा है कि सभा उसे स्वीकार नहीं करेगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : स्वयं अधिनियम की धारा ४३ में दिया गया सिद्धान्त ही हम यहां दुहरा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड २ और नया खण्ड २क प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ १ में पंक्ति १३ के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये :

"2A. Amendment of Section 7, Act XXXI of 1950:—

In section 7 of the Principal Act after sub-section (1) the following sub-section shall be inserted, and shall be deemed always to have been inserted namely:— (1A) where during the pendency of any proceeding under sub-section (1) for declaring any property to be evacuee property any person interested in the property dies, the proceeding shall, unless the Custodian otherwise directs, be continued and disposed of as if such person were alive"

[२क. सन् १९५० के अधिनियम ३१ की धारा ७ का संशोधन :--

मुख्य अधिनियम की धारा ७ में उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा प्रविष्ट कर दी जायेगी और सदा प्रविष्ट समझी जायेगी, अर्थात :--(१क) उपधारा (१) के अधीन यदि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित करने की प्रक्रिया विचाराधीन हो और इस बीच उस सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई व्यक्ति मर जाये तो जब तक अभिरक्षक कोई दूसरा आदेश नहीं दे, वह प्रक्रिया जारी रहेगी और वह उसी प्रकार पूरी की जायेगी जैसे वह व्यक्ति जीवित हो ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खण्ड २क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३--(१९५० के अधिनियम ३१ में नई धारा ७क का निवेश)

श्री ए० पी० जैन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ २ में, पंक्ति १ से ३ तक के स्थान पर यह रखा जाय :

(b) the property of any person who, on account of the setting up of the Dominions of India and Pakistan or on account of civil disturbances or the fear of such disturbanceshad left on or after the 1st day of march, 1947, any place now forming part of India, and who on 7th day of May, 1954, was resident in Pakistan :

Provided further that no notice under section 7 for declaring any property to be evacuee property with reference to clause (b) of the preceding proviso shall be issued after the expiry of six months from the commencement of the Administration of Evacuee Property (Amendment) Act, 1954.

Explanation I.--A person who had left India for Pakistan before the 7th day of May 1954, on the authority of a passport or any other valid travel document issued by any competent authority in India, and who was temporarily residing in Pakistan on that date shall not be deemed to have been resident in Pakistan on that date within the meaning of clause (b) of the first proviso.

Explanation II.--A person who left Pakistan for India on or after the 18th day of July, 1948, and who was in India on the 7th day of May, 1954, shall unless he came to India under a valid permit for permanent return or for permanent resettlement issued under the Influx from Pakistan (Control) Act, 1949 (XXIII of 1949), be deemed to have been resident in Pakistan on the 7th day of May, 1954, within the meaning of clause (b) of the first proviso"

["(ख) ऐसे किसी व्यक्ति की सम्पत्ति जो भारत तथा पाकिस्तान डोमिनियन

[श्री ए० पी० जैन]

बनने के कारण या असैनिक उपद्रवों के कारण अथवा इस प्रकार के उपद्रवों के भय के कारण १ मार्च, १९४७ को या उस के पश्चात् ऐसे किसी स्थान को, जो अब भारत का भाग है, छोड़ कर चला गया हो या जो ७ मई, १९५४ को पाकिस्तान का निवासी था :

आगे यह उपबन्ध है कि निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम १९५४ के लागू होने के छः महीने बाद, पहले परन्तुक के खण्ड (ख) के सम्बन्ध में, धारा ७ के अन्तर्गत किसी सम्पत्ति को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित करने के लिये कोई नोटिस नहीं दिया जायगा ।

व्याख्या १.—जो व्यक्ति ७ मई, १९५४ से पहले पारपत्र ले कर या भारत के किसी सक्षम प्राधिकारी से अन्य कोई वैध यात्रा सम्बन्धी दस्तावेज ले कर भारत से पाकिस्तान चला गया था और जो उस तिथि को पाकिस्तान में रहता था उसे प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) के अर्थ के अन्तर्गत पाकिस्तान का निवासी नहीं समझा जायगा ।

व्याख्या २.—जो व्यक्ति १८ जुलाई १९५४ को या इस के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आ गया था और जो ७ मई १९५४ को भारत में था, यदि वह पाकिस्तान से आगम (नियंत्रण) अधिनियम १९४९ (१९४९ के २३) के अन्तर्गत स्थायी रूप से पुनरागमन अथवा स्थायी रूप से पुनः संस्थापन के लिये जारी किये गये एक वैध अनुज्ञा-पत्र के अधीन भारत न आया हो, तो उसे प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) के अर्थ के अन्तर्गत ७ मई १९५४ को पाकिस्तान का निवासी समझा जायेगा ।"]

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : इस संशोधन में मैं एक संशोधन रखना चाहता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

श्री अजित प्रसाद जैन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों की सूची संख्या ९ में संख्या १९ के रूप में मुद्रित संशोधन में परन्तुक के पश्चात् यह व्याख्या १ जोड़ दी जाये और व्याख्या १ और २ को क्रमशः २ और ३ संख्या दी जाये :

"Explanation I.—A person shall be deemed to have been resident in Pakistan on the 7th day of May 1954, within the meaning of Clause (b) of the first proviso, if he was ordinarily residing in Pakistan before that date, notwithstanding that he was temporarily absent from Pakistan on that date."

["व्याख्या १.—किसी व्यक्ति को प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) के अर्थ के अन्तर्गत ७ मई, १९५४ को पाकिस्तान का निवासी माना जाएगा, यदि वह उस तिथि से पहले साधारणतया पाकिस्तान में रहता था, इस बात का ध्यान न रखते हुए कि वह इस तिथि को अस्थायी रूप से पाकिस्तान से अनुपस्थित था ।"]

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा अपना संशोधन संख्या १९ संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ :

पंडित ठाकर दास भडर्गव ने अपने संशोधन संख्या २०, २१, २२ और २३ प्रस्तुत किये ।

श्री एन० सी० चटर्जी द्वारा अपने संशोधन संख्या २६ तथा ८ प्रस्तुत किये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए । अब इन के विषय में सर्वप्रथम कौन बोलना चाहता है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं तो अपने संशोधन को पूर्णतया स्पष्ट कर चुका हूं ।

श्री पाटस्कर : मैं अपने संशोधन के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा । इस खण्ड से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम ७ मई १९५४ के बाद से कोई निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित करना नहीं चाहते यद्यपि हम ने इस के लिये कुछ अपवाद रखे हैं ।

अब इन अपवादों में एक स्थान पर ये शब्द आते हैं कि "जो ७ मई १९५४ को पाकिस्तान में रहता था ।"

इस विषय में श्री चटर्जी ने ठीक ही कहा था कि यदि वह पाकिस्तानी संयोग से ७ मई को पाकिस्तान में न हुआ तो क्या उस की भारत स्थित सम्पत्ति 'निष्क्रान्त' नहीं कहलायेगी ? इसी बात को स्पष्ट करने के हेतु मैं ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है ।

इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति १ मार्च, १९५४ के पश्चात् भारत से चले गये थे और सामान्य रूप में पाकिस्तान में रहते थे, वे इस के क्षेत्राधिकार से नहीं बचने चाहियें, क्योंकि उन्हों ने सम्पत्ति का अर्जन अवश्य कर लिया होगा । इसलिये मैं खण्ड (ख) में ही यह उपबन्ध कर के यह स्पष्ट करना चाहता था । अतः यह स्पष्ट हो जाता है । आशा है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी ।

श्री ए० पी० जैन : यह संशोधन स्थिति को स्पष्ट बनाता है, अतः मुझे स्वीकार है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : श्रीमान्, मैं ने अपने संशोधन संख्या १९, २०, २१, २२ तथा २३ प्रस्तुत किये हैं । यदि माननीय मंत्री को संशोधन संख्या १९ स्वीकार्य न हो तो मेरे वैकल्पिक संशोधन संख्या २१, २२ तथा २३ हैं । यदि २१ और २३ संशोधन स्वीकार्य न हों, तो मेरा एक और संशोधन संख्या २० है । इस संशोधन को प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य बड़ा सरल है । माननीय मंत्री और अन्य मित्रों के भाषण सुनने के पश्चात् भी मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अब इस विधि को समाप्त कर देने का समय आ गया है । मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम इस समय इस विधि को समाप्त कर के ठीक नहीं कर रहे हैं । इस का कारण यह नहीं है कि मैं यह चाहता हूं कि मेरे साथी नागरिकों पर कोई प्रतिबन्ध रहे । किन्तु मुझे भय है कि इस से भारत से पर्याप्त धन बाहर जा सकता है । कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि कदाचित् यह राशि ५० करोड़ रुपये की हो । हो सकता है कि यह पूर्णतया गलत हो, परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकार हमें आंकड़े बता कर सन्तुष्ट करे । इस के साथ ही साथ यदि ऐसी शंकायें उत्पन्न होती हैं, तो मेरा सविनय निवेदन है कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इतना अधिक धन भारत से बाहर न जाने दिया जाये । मेरे मित्र माननीय मंत्री कहते हैं कि अब असाधारण समय नहीं है । जहां तक विधि और सुव्यवस्था का सम्बन्ध है, संभव है कि यह बात सच हो । परन्तु इस दृष्टि से समय साधारण नहीं है जैसा कि मैं ने सुना है कि बहुत से लोग उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वे अपनी सम्पत्तियों को बेच कर पाकिस्तान चले जायें ।

जहां तक मेरे इस संशोधन का सम्बन्ध है, जिस में 'पाकिस्तान' के स्थान पर कोई भी स्थान जो भारत की सीमा में न आता हो

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

शब्द रखे जायें, का प्रस्ताव है, वह मैं ने मूल अधिनियम के २(घ) (१) के आधार पर रखा है। मैं केवल उस विधि को वापिस ला रहा हूं जो श्री ए० पी० जैन ने बनाई थी। उन्हों ने इस का कोई कारण नहीं बताया है कि वह अब परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं।

१९५३ में हम ने विधि में परिवर्तन किया था और हम ने उन लोगों को, जो अपनी ५००० रु० या इस से कम की सम्पत्तियों का स्थानान्तरण करना चाहते थे, अनुमति दी थी। मैं इस बात के लिये इच्छुक हूं जो लोग अपनी सम्पत्तियों का विक्रय करना चाहें वह उन का विक्रय कर सकें, परन्तु शर्त यह है कि कोई ऐसा साधन अपनाया जाये जो यह देखे कि धन भारत से बाहर न जा सके। यदि ऐसा हो सके तो संरक्षक की पूर्व अनुमति ले कर स्थानान्तरण करने की अनुमति दी जाये।

विचार अवस्था में बोलते हुए मैं ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि यद्यपि विदेशी विनिमय के प्रतिबन्ध हैं तथा मुझे सन्देह है कि चोरी से माल आदि नहीं भेजा जायेगा या धन बाहर नहीं ले जाया जायेगा। मैं महसूस करता हूं कि माननीय मंत्री के लिये भी यह कहना बहुत कठिन है कि धन बाहर नहीं जायेगा। यदि धनराशि थोड़ी होती तो मैं चिन्तित न होता। परन्तु यदि राशि ५० करोड़ या अधिक है, तो मैं समझता हूं कि भारत की अर्थ-व्यवस्था इतनी डांवाडोल हो जायेगी कि हमें पछताना पड़ेगा कि हम ने यह विधि क्यों पारित की।

ऐसी व्यवस्था हो जाने के बाद ही इस विधान को निराकरण करने का कोई औचित्य हो सकता है। अन्यथा कम से कम उपखण्ड (१) तथा (४) के सम्बन्ध में मेरे संशोधन स्वीकार किये जायें। सात वर्ष से बराबर हम ने इस विधान को भारत में लागू रखा है, वह इसी लिये कि हमारे देश के आर्थिक ढांचे को एक बारगी बहुत बड़ा आघात न पहुंचने पाये। और अब हम बिना किसी उचित कारण के ही इस विधान का निराकरण कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ७ मई सन् १९५४ को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जा रहा है।

धारा (२) (घ) के खण्ड (३) तथा (५) के हटा दिये जाने का समर्थन मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि अब इस प्रकार के मामले नहीं उठते हैं परन्तु खण्ड ४ तो बहुत ही आवश्यक है और मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को पास करने की सिफारिश करने के पहले माननीय मंत्री इन बातों पर पर्याप्त रूप से विचार कर लेंगे।

श्री एन० सी० चटर्जी : उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण से पता चलता है कि सरकार इस विधेयक को इसलिये पास कराना चाहती है कि सरकार विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर का एक अंश देने के लिये निष्क्रान्त सम्पत्तियों का प्रयोग करना चाहती है और इस के लिये वह निष्क्रान्त सम्पत्तियों के स्वामियों के ऐसे अधिकार, स्वत्व तथा हितों को ग्रहण करना चाहती है जो उन्हें भारत स्थित निष्क्रान्त सम्पत्तियों में प्राप्त हैं।

आज कल जो निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम लागू है उस की धारा २(घ) में निष्क्रान्त व्यक्तियों के पांच वर्ग दिये हुए हैं। माननीय मंत्री का कहना है कि वह केवल प्रथम वर्ग को ही रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह चौथे वर्ग को अवश्य रहने दें। चौथे वर्ग के अनुसार ऐसे सारे व्यक्ति, जिन्हों ने १८ अक्तूबर १९५४ के

पश्चात् अभिरक्षक की आज्ञा के बिना, अपनी आस्तियों या आस्तियों के किसी अंश को, जो ऐसे राज्य क्षेत्र में स्थित हो जहां यह अधिनियम लागू है, पाकिस्तान भेज दिया है, निष्क्रान्त व्यक्ति समझे जायेंगे । अब माननीय मंत्री कहते हैं कि वह इस विधेयक को अल्पसंख्यकों का भय दूर करने के लिये पास कराना चाहते हैं । इस के लिये वे उन्हें कुछ सुविधायें देना चाहते हैं । इस प्रकार के प्रस्ताव का समर्थन तो मौलाना साहब ने भी नहीं किया है । इसीलिये मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव का समर्थन करता हूं कि उपखंड (४) के निराकरण का कोई भी औचित्य नहीं है ।

माननीय मंत्री के संशोधन संख्या १६ में न केवल यही है कि उपखंड (१) शब्दशः रख दिया गया है वरन् "जो ७ मई १९५४ को पाकिस्तान का निवासी था" शब्द और बढ़ा दिये गये हैं । यह संशोधन बहत ही कुटिलता-पूर्ण है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह ७ मई, १९५४ के कुछ दिन पहले वापस आ गया तो ?

श्री ए० पी० जैन : यदि आप हमारे संशोधन की व्याख्या को देखें तो आप को ज्ञात होगा कि यदि कोई व्यक्ति १८ जुलाई १९४८ को या उस के पश्चात् पाकिस्तान से भारत में आया था और ७ मई १९५४ तक वह भारत में रहा तो वह पाकिस्तान का नागरिक समझा जायेगा अपवाद केवल उस देश में होगा जब कि वह स्थायी निवास अनुज्ञा ले कर आया हो । यदि वह ऐसी अनुज्ञा ले कर नहीं आया है तो यह समझा जायेगा कि ७ मई १९५४ को वह पाकिस्तान का नागरिक था ।

इस मत का समर्थन करने वाले कितने ही विनिर्णय तथा निर्वचन हैं । अस्थायी रूप से किसी कार्यवश अपना निवास स्थान छोड़ कर किसी अन्य स्थान में चले जाने पर भी वह व्यक्ति निवासी और अपने मूल स्थान का ही समझा जायेगा । स्थिति को और भी स्पष्ट करने के लिये एक और व्याख्या श्री पाटस्कर द्वारा बढ़ा दी गई है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : धारा २ की उपधारा (घ) के खण्ड (१) में और कोई नया प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं है । यह जिस रूप में अध्यादेश में था उसी रूप में बराबर चला आता है । इस प्रकार के परिवर्तन करने का अर्थ होगा कि १९४७ से १९५४ तक वह बराबर पाकिस्तान का निवासी रहा हो । ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति केवल चार वर्ष ही पाकिस्तान में रहा हो । और शेष समय वह किसी नौकरी कर लेने के कारण इंग्लैंड में रहा हो । हम जो धारा बनावें वह ऐसी व्यापक होनी चाहिये कि जिस में इस प्रकार के सारे व्यक्ति आ सकें । खण्ड (२) (३) तथा (५) को आप निकाल दें मुझ कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु भगवान के लिये उपधारा (४) को बना रहने दीजिये । इस अधिनियम का तीन बार संशोधन किया गया परन्तु उपधारा (४) को जैसा का तैसा ही रहने दिया गया ।

धारा ४० का निराकरण किया जा रहा है जिस का परिणाम बहुत खराब होगा । कितनी ही आस्तियां पाकिस्तान भेजी जा चुकी हैं । मैं चाहता हूं कि इस धारा को बना रहने दिया जाये जिस के अनुसार अभि-रक्षक की आज्ञा बिना कोई सम्पत्ति नहीं भेजी जा सकती जिस से अभिरक्षक को पता रहे कि कितना धन भेजा जा रहा है । १०,००० रुपये में से यदि एक हजार किसी काम के लिये तो यहां तक तो समझ में आ सकता है परन्तु यदि कोई दस लाख रुपये की सम्पत्ति बेच कर सारा धन देश के बाहर ले जाना चाहे तो सरकार को अवश्य ही उस पर रोक लगाना

[श्री एन० सी० चटर्जी]

चाहिये । तीसरी बात यह है कि "निष्क्रान्त" शब्द की परिभाषा का क्षेत्र संकुचित न किया जाये ।

श्री ए० पी० जैन : माननीय सदस्यों ने दो बातों पर बहुत जोर दिया है । एक तो यह कि धारा (२) (घ) (४) का निरसन करने से भारत की पूंजी पाकिस्तान चली जायेगी । दूसरी यह कि ऐसी कोई शर्त न रखी जाये कि वह व्यक्ति ७ मई, १९५४ को पाकिस्तान का निवासी हो ।

इस बात पर तो सभी एकमत हैं कि पूंजी के भारत से पाकिस्तान जाने से रोकने के लिये यथा संभव प्रत्येक प्रयत्न किया जाये । पूंजी का बाहर जाना कोई ऐसी बात नहीं है जो भारत में पहली बार हुई है या होने जा रही है। ऐसी घटना तो संसार के किसी भी देश में हो सकती है । आज भी राष्ट्र संघ पौंड पावने के संचय करने का प्रयत्न कर रहा है । किसी देश ने भी यह नियम नहीं बनाया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संविदा के अनुसार अपनी आस्तियों को देश के बाहर भेजे तो उस की सारी सम्पत्ति ज़ब्त कर ली जायेगी । आज किसी सम्पत्ति को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर देने का अर्थ वस्तुतः यही होता है कि वह ज़ब्त कर ली गई है । पूंजी को देश के बाहर जाने से रोकने के लिये कुछ निश्चित सिद्धान्त हैं और उनको विनिमय नियंत्रण कहा जाता है । मैं ने वित्त मंत्री से कहा है कि विनिमय नियंत्रण के नियमों को वे अच्छी तरह से जांच लें जिस से पूंजी के पाकिस्तान चले जाने की कोई संभावना न रहे । परन्तु एक बार यह स्वीकार कर लेने के बाद कि अब असाधारण स्थिति समाप्त हो गई है यदि हम किसी की सम्पत्ति केवल इसलिये ज़ब्त कर लें कि वह पूंजी को भारत के बाहर भेज रहा है तो यह तो एक प्रकार से अशिष्टता का व्यवहार कहना होगा निष्क्रान्त सम्पत्ति का विधान असाधारण परिस्थितियों में बनाया गया था जो देश के विभाजन से उत्पन्न हो गई थीं । मेरा विचार है कि अब असाधारण परिस्थितियों का अन्त हो चुका है । मैं यह नहीं कहता हूं कि सब कोई चोरी से अपनी पूंजी पाकिस्तान को भेजने का प्रयत्न नहीं करेगा । मैं यह भी नहीं कह सकता कि कितने लोग पाकिस्तान जाना पसन्द करेंगे । मेरा अपना अनुमान है कि पाकिस्तान में बसने के विचार से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम होगी । हाल में हमारे पास बहिया के समान ऐसे प्रार्थना-पत्र आये हैं जिन में लोगों ने भारत लौटने की प्रार्थना की है । फिर भी मैं इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की अटकल बाजी नहीं करना चाहता । पूंजी को बाहर जाने से रोकने का उचित ढंग विनिमय नियंत्रण के नियमों को कठोर बनाना है । इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से पूर्ण रूप से सहमत हूं । परन्तु यह शर्त रखना कि यदि कोई अपनी पूंजी पाकिस्तान भेजे तो उस की सारी सम्पत्ति ज़ब्त कर ली जाये उचित नहीं है । यदि कोई चोरी से पूंजी पाकिस्तान भेजता है तो उस को साधारण विधान के अन्तर्गत ही दण्ड मिलना चाहिये ।

इस विधान का उद्देश्य है कि ७ मई १९५४ के पश्चात् किये गये किसी कार्य के लिये कोई भी निष्क्रान्त व्यक्ति घोषित न किया जाये । वह भी अन्य नागरिकों के समान एक साधारण नागरिक है । विनिमय नियंत्रण नियमों का उल्लंघन कर के यदि मैं चोरी से कोई वस्तु जापान भेजूं तो मैं दण्ड का भागी हूंगा । इसी प्रकार यदि मैं कोई वस्तु पाकिस्तान भेजूं तो भी मुझे उसी प्रकार दण्ड मिलना चाहिये । पाकिस्तान के पड़ौसी होने के कारण यदि नियमों में किसी प्रकार का

अभाव हो तो नियमों को और कठोर कर दिया जाये । परन्तु काम साधारण विधियों से ही लेना उचित है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या कुछ व्यक्ति पाकिस्तान जाने की तरह जापान जाने के लिये भी उत्सुक हैं ?

श्री ए० पी० जैन : लोग अमरीका में डालर खरीदने के उत्सुक हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या वे किसी अन्य देश में स्थानान्तरित होना चाहते हैं ?

श्री ए० पी० जैन : वे अमरीका में अपना धन भेजने को तैयार हैं । मैं ने तो यह एक उदाहरण लिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन्हों ने विनियमों के विपरीत धन भेज दिया है, उन की क्या स्थिति है ?

श्री ए० पी० जैन : इस के विषय में मैं बहुत कुछ कह चुका हूं । जिन लोगों ने ७ मई से पहले स्थानान्तरित कर दिया है, हमें उन को अवश्य क्षमा कर देना चाहिये, क्योंकि इस कारण हमें प्रत्येक मामले का बहुत अधिक अन्वेषण करना पड़ेगा और उस का निष्क्रान्त कोष के लिये कुछ लाभ नहीं होगा ।

७ मई १९५४ को वह व्यक्ति पाकिस्तान का निवासी होना चाहिये । यह शर्त लगाई गई है, क्योंकि सभा को विदित है कि बहुत से लोगों को १९४९ की विधि के अधीन स्थायी वापसी की अनुज्ञा और अस्थायी पुनःसंस्थापन की अनुज्ञा दी गई है । वे हमारे प्राधिकार के अधीन वापिस आ कर भारत में बस चुके हैं । यदि उन की सम्पत्ति ले ली जाती तो एक निश्चित अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय परिस्थितियों को छोड़ कर हम ने उन्हें उन की सम्पत्ति नहीं लौटाई है । यदि उन की सम्पत्ति नहीं ली गई और वह भारत में आ कर यहां बस गया है तो नये सिरे से कार्यवाई करना कठिन होगा । इसी कारण हम ने यह शर्त लगाई है । मैं समझता हूं कि संशोधन में जो विधि मैं ने बताई है वह उचित और न्यायपूर्ण है :

श्री काजमी (जिला सुलतानपुर—उत्तर व जिला फैजाबाद—दक्षिण-पश्चिम): प्रश्न यह है कि संविधान का उल्लंघन किये बिना किसी व्यक्ति को जो भारत से अपनी आस्तियों को बाहिर स्थानान्तरित करता है अभारतीय घोषित करना कहां तक संभव है, संविधान में उपबन्ध है कि संविधान के लागू होने से पूर्व पांच वर्ष से रहने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और पाकिस्तान से स्थायी आवास के लिये वापिस न जाने वाला व्यक्ति इस परिभाषा में नहीं आयेगा । मेरा प्रश्न यह है कि क्या ७ मई से पहले या बाद जिस व्यक्ति ने अपनी आस्तियां पाकिस्तान या किसी अन्य देश को स्थानान्तरित की हैं, क्या उसे अभारतीय घोषित किया जायेगा ? इस विषय में संविधान के अनुच्छेद स्पष्ट हैं । आप प्रतिबन्ध लगा सकते हैं तथा उन व्यक्तियों को धन बाहर भेजने के लिये दण्ड दे सकते हैं, किन्तु केवल बाहर धन भेजने के कारण उसे अभारतीय घोषित करना संविधान के विरुद्ध है । इस तर्क पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

श्री एन० सी० चटर्जी : यदि कोई भारतीय राष्ट्रजन भी "निष्क्रान्त" की परिभाषा में आता है । यदि कोई पाकिस्तान में अपनी आस्तियां भेजता है, और वह इस खण्ड के अधीन आता है, तो वह भारतीय राष्ट्रीयता के होते हुए भी निश्चित रूप से "निष्क्रान्त व्यक्ति" है । आस्तियों के स्थानान्तरण के मामले में राष्ट्रीयता का कोई प्रश्न नहीं है, कोई भी स्थानान्तरित करने वाला व्यक्ति इस खण्ड के अन्तर्गत आयेगा ।

श्री काजरोलकर : क्या इस का अर्थ यह है कि वह अनुच्छेद १९ द्वारा नहीं संरक्षित होगा ?

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं ऐसा नहीं समझता ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह निश्चय ही हटा दिया जायेगा । मंत्री जी ने कहा है कि इस प्रकार के मामलों का अन्वेषण करना कठिन होगा और फिर उस का कोई लाभ भी नहीं है । अतः यह भूतकाल के सम्बन्ध में है । भविष्य में सब लोगों पर सामान्य विधि लागू होगी और कुछ प्रतिबन्धों के अधीन सब को खरीदने, बेचने तथा स्थानान्तरित करने की स्वतन्त्रता होगी । अब सभा मतदान द्वारा इस का निर्णय करेगी ।

प्रश्न यह है कि :

श्री अजित प्रसाद जैन के संशोधन में श्री पाटस्कर का संशोधन अर्थात् परन्तुक के पश्चात् यह व्याख्या १ जोड़ दी जाये तथा व्याख्या १ और २ को क्रमशः व्याख्या २ और ३ अंकित कर दिया जाये ।

"Explanation I :—A person shall be deemed to have been resident in Pakistan on the 7th day of May, 1954, within the meaning of clause (b) of the first proviso, if he was ordinarily residing in Pakistan before that date, notwithstanding that he was temporarily absent from Pakistan on that date."

["व्याख्या १ : किसी व्यक्ति को प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) के अर्थ के अन्तर्गत ७ मई, १९५४ को पाकिस्तान का निवासी माना जायेगा, यदि वह इस तिथि से पहले साधारणतया पाकिस्तान में रहता था, इस बात का ध्यान न रखते हुए कि वह इस तिथि को अस्थायी रूप से पाकिस्तान से अनुपस्थित था ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री ए० पी० जैन के संशोधन पर शेष संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये, और अस्वीकृत हुए ।

श्री अजित प्रसाद जैन द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, जिसकी संख्या संशोधनों की सूची संख्या ९ में १६ है, उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ तथा २९ प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"(b) the property of any person who, on account of setting up the Dominions of India and Pakistan or on account of civil disturbances or the fear of such disturbances had left on or after the 1st day of March, 1947, any place now forming part of India, and who on the 7th day of May, 1954, was resident in Pakistan :

Provided further that no notice under section 7 for declaring any property to be evacuee property with reference to clause (b) of the preceding proviso shall be issued after the expiry of six months from the commencement of the Administration of Evacuee Property (Amendment) Act, 1954.

Explanation I :—A person shall be deemed to have been resident in Pakistan on the 7th day of May, 1954 within the meaning of clause (b) of the first proviso, if he was

ordinarily residing in Pakistan before that date, notwithstanding that he was temporarily absent from Pakistan on that date.

Explanation II:—A person who had left India for Pakistan before the 7th day of May, 1954, on the authority of a passport or any other valid travel document issued by any competent authority in India, and who was temporarily residing in Pakistan on that date, shall not be deemed to have been resident in Pakistan on that date within the meaning of clause (b) of the first proviso.

Explanation III:—A person who had left Pakistan for India on or after the 18th day of July, 1948, and who was in India on the 7th day of May, 1954, shall, unless he came to India under a valid permit for permanent return or for permanent resettlement, issued under the Influx from Pakistan (Control) Act, 1949, (XXIII of 1949), be deemed to have been resident in Pakistan on the 7th day of May, 1954 within the meaning of clause (b) of the first proviso."

["(ख) ऐसे किसी व्यक्ति की सम्पत्ति जो भारत तथा पाकिस्तान डोमीनियन बनने के कारण या असैनिक उपद्रवों के कारण अथवा इस प्रकार के उपद्रवों के भय के कारण १ मार्च १९४७ को या उसके पश्चात् ऐसे किसी स्थान को, जो अब भारत का भाग है, छोड़ कर चला गया हो या जो ७ मई, १९५४ को पाकिस्तान का निवासी था :

आगे यह उपबन्ध है कि निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के लागू होने के छः महीने के बाद, पहले परन्तुक के खण्ड (ख) के सम्बन्ध में, धारा ७ के अन्तर्गत किसी सम्पत्ति को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित करने के लिये कोई नोटिस नहीं दिया जायेगा ।

व्याख्या १—किसी व्यक्ति को प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) के अर्थ के अन्तर्गत ७ मई, १९५४ को पाकिस्तान का निवासी माना जायेगा, यदि वह उस तिथि से पहले साधारणतया पाकिस्तान में रहता था, इस बात का ध्यान न रखते हुए कि वह इस तिथि को अस्थायी रूप से पाकिस्तान से अनुपस्थित था ।

व्याख्या २—जो व्यक्ति ७ मई, १९५४ से पहले पारपत्र ले कर या भारत के किसी सक्षम प्राधिकारी से अन्य कोई वैध यात्रा सम्बन्धी दस्तावेज ले कर भारत से पाकिस्तान चला गया था और जो उसस तिथि को पाकिस्तान में रहता था उसे प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) के अर्थ के अन्तर्गत पाकिस्तान का निवासी नहीं समझा जायेगा ।

व्याख्या ३—जो व्यक्ति १८ जुलाई, १९४८ को या इस के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आ गया था और जो ७ मई, १९५४ को भारत में था, यदि वह पाकिस्तान से आगम (नियंत्रण) अधिनियम, १९४९ (१९४९ के २३) के अन्तर्गत स्थायी रूप से पुनरागमन अथवा स्थायी रूप से पुनः संस्थापन के लिये जारी किये गये एक वैध अनुज्ञा-पत्र के अधीन भारत न आया हो, तो उसे प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) के अर्थ के अन्तर्गत ७ मई, १९५४ को पाकिस्तान का निवासी समझा जायेगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : पंडित ठाकुरदास भार्गव का पहला संशोधन तथा दूसरा श्री चटर्जी का संशोधन इससे प्रतिसिद्ध हो जाते हैं ।

[उपायक्ष महोदय]

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड ४ में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५—१९५० के अधिनियम ३१ की धारा १६ का संशोधन

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इस खंड पर कुछ कहना चाहता हूं । मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मूल अधिनियम के खंड १६ (१) में लिखा है कि :

" ऐसे नियमों के अधीन जो इस सम्बन्ध में बनाये जायें, केन्द्रीय सरकार अथवा इस सम्बन्ध में उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी निष्क्रान्त अथवा किसी व्यक्ति के आवेदन-पत्र देने पर ....."

मेरा विनम्र निवेदन है कि इन शब्दों का एक ही अर्थ हो सकता है "निष्क्रान्त" का अर्थ इस अधिनियम में परिभाषित निष्क्रान्त ही है और किसी अधिनियम का नहीं । इसमें यदि वे धारा ५६ का निर्देश करें तो भी वे केवल निष्क्रान्त व्यक्ति के लिये ही बियम बना सकते हैं कोई दूसरा व्यक्ति धारा १६ के अधीन आवेदन नहीं कर सकता ।

श्री ए० पी० जैन : यह शब्दावलि मूल नियम की धारा १६ से ली गई है जिसमें कुछ उपबन्ध जोड़ दिये गये हैं । मैं नहीं समझता कि कोई कठिनाई उत्पन्न होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खंड ५ व खंड ६ जिनमें कोई संशोधन नहीं हैं साथ ही रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

"खंड ५ व ६ विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५ व ६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री एन० सी० चटर्जी संशोधन रख रहे हैं ?

श्री एन० सी० चटर्जी ने खंड ७ में अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत किया ।

श्री ए० पी० जैन : मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"खंड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री ए० पी० जैन : वास्तव में उस संशोधन को ध्यान में रखते हुए जो कि खंड २ में स्वीकृत किया गया है इसे हटा देना चाहिये । आप इस पर मत लीजिये । हम लोग "नहीं" कह देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

खंड ८ विधेयक में से हटा दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"खंड ९ तथा १० विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ९ तथा १० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड १ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अधिनियम सूत्र तथा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री ए० पी० जैन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार २७ सितम्बर १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—441 LSD—28-1-55—240